लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१	२०८५–२१०७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७	२१०८–१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५	२११३–५०
मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में	२१५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१५०
राज्य सभा से संदेश	२१५०–५१
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना	२१५१
कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक	
विचार के लिए प्रस्ताव	२१५१–८३
दैनिक संक्षेपिका	२१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६	२१८९–२२१५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१	२२१५–२७
अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६०	२२२७–६२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२२६२–६३
कार्य मंत्रणा समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	२२६३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२२६३–२३०१
खण्ड २ और १	२२८५–२३००
पारित करने के लिए प्रस्ताव	२३००
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक --	
विचार के लिए प्रस्ताव	२३०१–०४
दैनिक संक्षेपिका	२३०५–१०
अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९	२३११–३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२	२३३६–५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४	३३५३–९०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९०–९२
राज्य सभा से सन्देश	२३९२
भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया	२३९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	२३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
ब्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०--५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधेयक—
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव २५५७–६६

दैनिक संक्षेपिका २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ २५७१–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ २६०५–३२

सभा का कार्य २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६–६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८–६९, ३६७२–८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९–७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण के लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१–८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८–८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९–२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४–२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४–२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७–३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५–६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२९, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५९, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८९ २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव--

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक--

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक--पुरःस्थापित--

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८३७–४९

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन २८४९–६०

कार्य मंत्रणा समिति--

सोलहवां प्रतिवेदन २८५३

दैनिक संक्षेपिका २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११९० से ११९२, ११९४ से १२०२ और १२०४ २८६७–९१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८९१–२९०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७९५ और १७९७ से १८०२	२९०२–२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९२९–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२९३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२९३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२९३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२९३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२९३२–७२
सभा का कार्य	२९५८–५९
दैनिक संक्षेपिका	२९७३–७७
अंक २९, बुधवार, १८ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२९, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२९७९–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५९, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२९०, १२९०-क और १२९१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८९०, १८९२ से १८९६, १८९६-क, और १८९७ से १९०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक---

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति---

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति---

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक---

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७-९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१-९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे के सम्बन्ध में ३०९५-९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८-३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५-२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३-३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६–३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२२६–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६–३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया --	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक--वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों को सवेतन छुट्टी विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक-सभा

मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

ज्वालामुखी में पैट्रोल के लिये छिद्र करना

+

†*११९०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिशी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी क्षेत्र में पैट्रोल की खोज करने के बारे में क्या प्रगति हुई और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) ३० नवम्बर, १९५७ तक अधिकतम कितनी गहरी खुदाई की जा चुकी थी;

(ग) क्या छिद्र करने के काम में कोई विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ङ) छिद्र करने के काम में अब तक कुल कितनी लागत आई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) ज्वालामुखी कुआं नं० १ ५२०० फुट गहरा खोदा जा चुका है। कुछ बड़े ही आशापूर्ण चिह्न दिखाई दिये हैं परन्तु फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार की खोज की गई है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि ज्वालामुखी में छिद्र करने से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं जिस से हिमालय की तिलहटी में तेल मिलने की बड़ी सम्भावना दिखाई देती है। पूर्ण निर्धारण १०,००० फुट से अधिक खुदाई होने के बाद, जब तेल वाली चट्टानें आ जायेंगी, किया जा सकता है।

(ख) ४९३० फुट ।

(ग) यह देखते हुए कि चट्टानें बड़ी सख्त हैं और मिट्टी चिकनी है खुदाई में प्रगति काफी सन्तोषजनक है और इसकी रफ्तार उस रफ्तार से कम नहीं जो ऐसी परिस्थितियों में अन्य स्थानों पर रिकार्ड की गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) २४.८० लाख रुपये ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि उत्तर में उल्लिखित १०,००० फुट की गहराई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : यदि हम वर्तमान गति से खुदाई करते रहें तो आशा है कि अप्रैल के अन्त तक हम १०,००० फुट तक पहुंच जायेंगे अथवा उसे पार कर जायेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह न कहकर कि "क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे" आदि, प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा करें। कितने फुट अथवा कितने रुपये आदि। वह सरल रहेगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : खुदाई के प्रयोजनों के लिए कितने कुओं का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि माननीय मंत्री ने कुआं संख्या १ के संबंध में बताया था ?

†श्री के० दे० मालवीय : जब ज्वालामुखी संख्या १ की खुदाई समाप्त हो जायेगी अथवा जब हम सन्तोषजनक गहराई तक पहुंच जायेंगे जहां कुछ निर्धारण किया जा सके तब हम दायीं या बांई ओर दूसरे स्थल के संबंध में निर्णय करेंगे। संभवतः इस बात के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए कि वहां तेल है या नहीं एक या दो छेद और करने पड़ेंगे।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या ऐसा कोई खतरा है कि जब तेल का विदोहन पूरी गति से चालू हो जायेगा तो ज्वालामुखी खतम हो जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार होगा कि कितनी मात्रा उपलब्ध होगी और आप उसे कब तक निकाल सकते हैं ?

†डा० राम सुभग सिंह : क्या ऐसा कोई खतरा है कि जब तेल का विदोहन पूरी गति से चालू हो जायेगा तो ज्वालामुखी खतम हो जायेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : जहां तक विदोहन का संबंध है, मुझे विश्वास है कि हम उसे अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे ?

एक माननीय सदस्य : तेल विदोहन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : जब तेल विदोहन का प्रश्न आयेगा हम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकेंगे कि ज्वालामूखी की लपट समाप्त हो जायगी या नहीं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या सरकार निकटवर्ती क्षेत्रों में छिद्रण कार्य प्रारम्भ करना चाहती है जहां अधिक मात्राओं में गैसों का होना पाया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, नहीं। छिद्रण स्थल समस्त प्रश्न के सब प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् चुना गया है। हमने इस बात का विचार रखा है कि आसपास ऐसे क्षेत्र हैं।

†डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह छिद्रण कार्य समाप्त हो जाने पर उस समस्या पर विचार करेंगे। जब छिद्रण कार्य पूर्ण हो जायेगा और यह पता लगेगा कि ज्वालामुखी समाप्त हो गया है तो क्या सरकार छिद्रण और तेल विदोहन कार्य को रोक देगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं, श्रीमान्। हम प्रथम छेद के बाद छिद्रण समाप्त नहीं करेंगे हमें अधिक जानकारी ही प्राप्त होगी। फिर हम यह निर्णय करेंगे कि क्या अन्य स्थान अथवा स्थानों पर छिद्रण करना चाहिए। तभी हम इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि उन लपटों को कुछ हुआ है या नहीं।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : इसके सम्बन्ध में पर्याप्त पूछताछ की जा चुकी है। वह पहले ही क्यों नहीं खड़े हुए थे ?

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं। ज्वालामुखी में छिद्रण व्यय नहरकोटिया की तुलना में कैसा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं समझता हूं कि ज्वालामुखी में छिद्रण व्यय अपेक्षाकृत कम होगा।

दुर्गापुर में इंजीनियरिंग कालेज

†*११६१ { श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २७ अगस्त, १६५७ को लोक-सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में दूसरी योजनावधि में कोई और इंजीनियरिंग कालेज खोला अथवा खोले जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री रा० च० माझी** : पश्चिमी बंगाल सरकार का प्रार्थनापत्र कब प्राप्त हुआ था और इस कालेज के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

†**श्री म० मो० दास** : आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से नहीं आया था । वह केन्द्रीय सरकार के पास चन्द्रकांत घोष समिति की सिफारिशों के साथ आया था जिसकी नियुक्ति दूसरी योजना के अन्त में इंजीनियरिंग कर्मचारियों की मांग की पूर्ति करने के प्रश्न की जांच करने के लिये की गई थी ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार का दूसरी योजाना के अन्तर्गत अनेक इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना का कार्यक्रम था ? फिर माननीय मंत्री ने भाग (ग) के उत्तर में यह अथवा इस प्रकार की बात कैसे कही कि यह उत्पन्न नहीं होता ?

†**श्री म० मो० दास** : प्रारम्भ में राज्य सरकारों का अपने अपने राज्य में आठ इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव था और इनमें से ६ की स्थापना हो चुकी है । अब केवल दो की स्थापना करना शेष है । इस कालेज की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकारों की मूल योजनायें बन जाने के पश्चात् चन्द्रकान्त घोष समिति की सिफारिश के रूप में आया था ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार के पास इसके कोई आंकड़े हैं कि दूसरी योजनावधि में कितने इंजीनियरों की आवश्यकता होगी और क्या उतने इंजीनियर इन कालेजों से प्राप्त हो जायेंगे ?

†**श्री म० मो० दास** : इस प्रश्न की जांच करने के लिये भारत सरकार ने इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति नामक एक समिति नियुक्त की थी और उसने कुछ सिफारिशें की थीं । उन सिफारिशों की और जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी और इस समिति की सिफारिशें दो भागों में विभाजित थीं । एक भाग वर्तमान कालेजों के विस्तार से सम्बन्धित था और दूसरा भाग तीन नये कालेजों की स्थापना के सम्बन्ध में था जहां तक डिगरी पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है । मंत्रिमंडल ने विस्तार कार्यक्रम अर्थात् वर्तमान १९ इंजीनियरिंग कालेजों का विस्तार स्वीकार कर लिया, परन्तु मंत्रिमंडल ने यह राय व्यक्त की कि जहां तक तीन नये कालेजों की स्थापना का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में देश के समस्त भागों को शिक्षा सुविधायें देने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए विस्तारपूर्वक विचार करना होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

†**श्री म० मो० दास** : केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये इन संस्थाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है । राज्य सरकार की संस्थाओं को सामान्य विस्तार कार्यक्रम के लिये पूंजी व्यय का तिहाई भाग मिलेगा और कुछ नहीं । नये इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिये, यदि कालेज राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जायेंगे, वही सूत्र लागू होगा, अर्थात् पूंजी व्यय का एक तिहाई केन्द्र द्वारा दिया जायेगा और शेष पूंजी व्यय तथा आवर्तक व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री मधुसूदन राव : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि इन ८ कालेजों में वारंगल में जो ६ लाख रुपया की बिल्डिंग (इमारत) पिंगरी ब्रदर्स को दी गई है वह इन्क्लूड (शामिल) की गई है या नहीं ?

†**श्री म० मो० दास** : प्रश्न में निर्दिष्ट कालेज के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की पूर्वसूचना दें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री तिम्मय्या** : वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजों में, विशेषकर केन्द्र सरकार के, प्रविधिक अध्यापकों की संस्था अपर्याप्त है। सरकार इसके लिये क्या कदम उठाती है कि देश में जब कोई नये इंजीनियरिंग कालेज खुलें तो उसके पूर्व पर्याप्त प्रविधिज्ञों की व्यवस्था कर ली जाये।

†**श्री म० मो० दास** : हम देश में अपनी ५ इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। इन पांच कालेजों में इंजीनियरिंग अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने का एक कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय गवेषणा प्रयोगशालाओं में संग्रहालय

+

†*११९२. { **श्री सुबोध हासदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत ऐसी कितनी राष्ट्रीय गवेषणा प्रयोगशालायें चल रही हैं जिन्होंने अपने संग्रहालय चालू किये हैं ;

(ख) इन संग्रहालयों के कार्य क्या हैं ;

(ग) क्या ये संग्रहालय सामान्य जनता के लिये खुले हुए हैं ; और

(घ) इस समूह में एक संग्रहालय के चालन की औसत लागत कितनी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६**]।

(ख) विज्ञान/अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी के सम्बन्धित क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन करना और प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में किये जाने वाले कार्य की व्याख्या करना।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) इन संग्रहालयों का चालन प्रयोगशालाओं के कार्य का ही भाग है और इसलिये उसके चालन के व्यय के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या इन संग्रहालयों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने के लिये किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों को निमंत्रित किया गया है ; यदि हां, तो वह कौन हैं और उन पर कितना व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० मो० दास :** जब हमारी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के संग्रहालय की स्थापना की जा रही थी, हमने यूनेस्को से अपने एक संग्रहालय विशेषज्ञ को भेजने का अनुरोध किया था और उसने श्री डब्लू० टी० ओ'डी को भेजा था जो साउथ कैनसिंगटन के लन्दन विज्ञान संग्रहालय के रक्षक[२] हैं। श्री ओ'डी दिसम्बर, १९५६ में आये थे और यहां तीन महीने रहे थे। उन्होंने हमें इस मामले में अनुदेश दिये थे। दूसरे सज्जन न्यू यार्क के राजधानी संग्रहालय[३] के श्री लारेंस हैरिसन, जो अमेरिका के रॉकफेलर प्रतिष्ठान द्वारा इस देश को भेजे गये हैं, अभी भारत में हैं। हम ने अपने कलकत्ता के बिड़ला औद्योगिक एवं प्रविधिक संग्रहालय के नियोजन अधिकारी से उनसे परामर्श करने के लिये कहा है। एक अन्य प्रस्ताव यूनेस्को से श्री ओ'डी को वर्ष १९५८ में पुनः भेजने के लिये प्रार्थना करने का है।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन में से अधिकांश वैज्ञानिक गवेषणा संस्थायें देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इन गवेषणा संथाओं में जो गवेषणायें की जा रही हैं उनका प्रदर्शन करने वाली वस्तुयें भारत में किसी केन्द्रीय संग्रहालय में रखी जायें जिसके लिये भौतिक प्रयोगशालाओं के लिये बनाये जा रहे संग्रहालय को अधिमान्यता दी जा सकती है जैसी कि दिल्ली की गवेषणा संस्था है ?

श्री म० मो० दास : यह संग्रहालय एक विशेष प्रयोगशाला से सम्बद्ध है। इस समय हमारे यहां दस प्रयोगशालाओं से सम्बद्ध ऐसे दस संग्रहालय हैं, परन्तु हमें आशा है कि अन्य प्रयोगशालाओं के भी अपने संग्रहालय बन जायेंगे। जहां तक उनका एक केन्द्रीय स्थान में प्रदर्शन करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एक या दो वर्ष पूर्व स्वयं दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा एक प्रदर्शिनी का संगठन किया गया था जिसमें इन समस्त विकासों का प्रदर्शन किया गया था जो इन प्रयोगशालाओं में की गई गवेषणाओं के परिणामस्वरूप हुए हैं और उनकी जनता द्वारा बहुत प्रशंसा की गई थी।

श्री रंगा : मैं यहां केन्द्र में एक स्थायी प्रदर्शिनी की बात सोच रहा था। आप दो विशेषज्ञ बुला चुके हैं और उन में से एक को पुनः बुलाया जा रहा है। क्या यह सुझाव उसके सामने रखा जायेगा ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार के समक्ष नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सरकार यह बता सकती है कि इन संग्रहालयों में औसतन कितने दर्शनार्थी आये होंगे ?

श्री म० मो० दास : मेरे लिये यह बताना बहुत कठिन है कि इन संग्रहालयों में कितने दर्शनार्थी आते हैं, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हाल में इन प्रयोगशालाओं के प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी ने हमें यह बताया था कि प्रयोगशाला में दर्शनार्थियों के निरन्तर आते रहने से प्रयोगशाला के कार्य में बाधा होती है और इसलिये वह यह सोच रहे हैं कि दर्शनार्थियों के आने के लिये सप्ताह में कुछ दिन निश्चित कर दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Keeper.

[३]Metropolitan museum.

हिन्दू धार्मिक संस्थायें

*११९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री २६ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धार्मिक सस्थाओं, मठों और मन्दिरों की आय का उचित उपयोग करने और उन के विकास करने के विचाराधीन प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यह निर्णय कब कार्यान्वित किया जायेगा ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) वह निर्णय अधिक से अधिक कब तक किया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) तथा (ङ). ये मामले इतने पेचीदा हैं कि इनके बारे में विशेषकर कानूनी पहलू के सम्बन्ध में, विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है इसलिये अभी यह बताना सभव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ।

†**एक माननीय सदस्य** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ कर सुना दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि अभी हाल में ही अहमदाबाद में भारत साधु समाज का जो सम्मेलन हुआ था, उसने भी अपने प्रस्ताव संख्या २ के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया है और यह शब्द प्रयुक्त किये हैं :

> †"धार्मिक सम्पत्तियों के नष्ट किये जाने के अनेक उदाहरण हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से धार्मिक संस्थाओं की करोड़ों की सम्पत्ति निजी सम्पत्ति में परिवर्तित की गई है ।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके कारण इस मामले में कोई शीघ्रता की जायेगी और जल्दी कदम उठाये जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा अभी मैंने बताया, इस मामले में कई पहलुओं से विचार किया जायेगा, खास कर कानूनी पहलू पर । इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर सोच विचार किया जा रहा है, और अभी भी सरकार की एक कमेटी इस पर बैठ कर विचार कर रही है । जल्दी ही इन बातों पर कोई फैसला किया जायेगा ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान् मैं इतना और जोड़ना चाहता हूं कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ९२ सार्वजनिक धर्मस्वों के इस प्रकार के अनचित प्रयोग के लिये पर्याप्त परित्राण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजा महेन्द्र प्रताप वृन्दावन : मथुरा में बहुत मन्दिर हैं और वहां के लोग निहायत नाराज हैं कि सरकार हर बात में दखल देती है, हम तो भजन पूजा करने वाले आदमी हैं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि आया सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध कर सकती है मथुरा वृदावन, अर्थात् ब्रज के लिये, और जगहों से हमें कोई मतलब नहीं, कि वहां के ब्राह्मण, गोस्वामी और महन्त हैं, उनकी एक समिति बना कर उनके हाथ में सारे मन्दिर छोड़ दिये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भाषण देना चाहते थे और मैंने उन्हें वैसा कर लेने दिया। अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बैंच, पटना

†११९५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पटना स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बच १५ अक्तूबर, १९५७ से बंद कर दी गई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : हां, श्रीमान् ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने पटना से इनकमटैक्स अपीलेट ट्रिबुनल को हटाया है तो क्या ऐसा करते समय बिहार की चार करोड़ जनता में जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : समस्त मामले पर न केवल उसकी प्रारम्भिक अवस्था में विचार किया गया था वरन स्वयं भी इस मामले की जांच की है। मुझे दो अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे, एक पटना के आयकर वकीलों से और दूसरा निर्धाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्तियों से। तत्पश्चात् विधि सचिव और मैंने स्वय दोनों ने मिल कर मामले की जांच की । तथ्य यह है कि १ अक्तूबर को पटना बैंच के समक्ष केवल ४६९ मामले विचाराधीन थे जब कि मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद बैंचों के समक्ष क्रमशः २,३१४, २,१८२ और १,५७० मामले थे। इन ४६९ मामलों में न्यायाधिकरण को आधे वर्ष से अधिक समय नहीं लग सकता था। परिणामस्वरूप बैंच को सारे समय में कलकत्ता जैसे अन्य स्थानों का दौरा करना पड़ा और अपनी बैठक वहां करनी पड़ीं जब कि कर्मचारी पटना में बेकार पड़े रहे । इसके कारण यात्रा पर अधिक व्यय हुआ तथा अन्य आकस्मिक व्यय भी हुये । वर्ष १९५६–५७ में पटना बैंच में केवल ५६१ मामले दायर किये गये। यह बैंच के लिये पांच महीने से अधिक का कार्य नहीं था। इस पर इन सब बातों का विचार करते हुये हमने स्थायी पटना बैंच को खतम कर देने का निर्णय किया और काय दो बैंचों, अर्थात् इलाहाबाद और कलकत्ता, में बांट दिया । परन्तु निर्धायों की सुविधा के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि पटना के मामलों का कार्य करने वाली बैंच नियमित रूप से समय समय पर पटना जायेगी और अपनी बैठक वहां करेगी ताकि निर्धायों को असुविधा न हो। वर्तमान स्थिति यह है। मैंने प्रतिनिधि मंडल के नेताओं को बताया था कि जैसे ही पटना के मामलों की संख्या इतनी काफी बढ़ जायेगी कि पटना बैंच साल भर तक उसमें लगी रह सके, हम समस्या के सम्बन्ध में पुनः पुनरीक्षण करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन न्यायाधिकरणों के कर्मचारियों में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की खबर लगी है, क्या किसी खास व्यक्ति को एक खास शहर में एक खास अवधि के लिये नियुक्त करने की कोई समयावधि है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह वास्तव में एक पूर्णतः भिन्न प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सर्वथा भिन्न। उनका वहां तबादला भ्रष्टाचार के कारण नहीं किया गया था।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों के कई वर्षों तक एक स्थान पर रहने के कारण भ्रष्टाचार चल रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उसे ठीक तरह समझ रहे हैं। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार विरोध में रुचि रखते हैं। हम सभी रखते हैं। परन्तु यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

फोर्ड प्रतिष्ठान योजना

\+

११९६ { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष में अभी तक फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा भारत को कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) वह कौनसी विभिन्न मदें हैं जिनके लिये अनुदान दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७**]

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फोर्ड फांउडेशन स्कीम में विदेशी लोगों की तादाद क्या होगी, क्या इन विदेशियों का सम्बन्ध ओ० एस० एस० आरगेनाइजेशन से है या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : तादाद तो मालूम नहीं है और जिस आरगेनाइजेशन का जिक्र सवाल में किया गया है उसका हमको पता नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : ओ० एस० एस० का अर्थ है आरगेनाइजेशन फार स्ट्रेटिजिक सर-विसेज़। युद्ध के समय में फोर्ड फांउडेशन स्कीम हिन्दुस्तान में लागू हुई थी। उस वक्त इस फोर्ड फाउंडेशन स्कीम के सदस्यों का सम्बन्ध ओ० एस० एस० से था। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका सम्बन्ध उस आरगेनाइजेशन से है या नहीं।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह किसी योधननीति[3] अथवा भारत के स्थान पर किसी अन्य देश का हित साधन करने का प्रश्न नहीं है। फोर्ड फाउन्डेशन की स्थापना कुछ विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व के देशों की सहायता करने के प्रयोजन से की गयी है। भारत की जिन परियोजनाओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

[3]Strategy

बारे में उनकी दिलचस्पी है उन पर वह काफी बड़ी राशि—लगभग ५५ लाख डालर—व्यय कर रहे हैं। यह कुछ अत्यन्त ही उपयोगी परियोजनायें हैं जिनमें सरकार ने संभवतया कोई बड़ी राशि नहीं दी है। मुझे स्वयं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इस संगठन के साथ काम करने का व्यक्तिगत अनुभव है और इस संगठन के उद्देश्य निस्सन्देह ही प्रशंसा के पात्र हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मेरा ख्याल है कि लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी परामर्श-दाताओं के लिये ७३,००० डालर की राशि दी गयी है। क्या इस राशि का कुछ भी उपयोग किया गया है और क्या इस उद्योग संबंधी संस्थाओं का कोई अस्तित्व भी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य कृपया पहले दिये गये अनुदानों को ही देख लें। भारत में लघु उद्योगों संबंधी आन्दोलन का सूत्रपात बहुत कुछ फोर्ड फाउन्डेशन के ही प्रोत्साहन से ही हुआ है और फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा लाये गये विशेषज्ञों के दल द्वारा ही उसके बारे में प्रतिवेदन दिया जाता है। लघु उद्योगों के संबंध में वह बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि इन संस्थाओं की स्थापना किन किन स्थानों पर की गयी है, जहां तक मुझे याद है, किसी समय चार मुख्य और कई सहायक संस्थायें हुआ करती थीं। इस प्रयोजन के लिये प्रशासन का कार्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के हाथ में है और मुझे विश्वास है कि लघु-उद्योगों के कार्य और उनको इस प्रयोजन के लिये फोर्ड फाउन्डेशन से मिलने वाली सहायता के बारे में माननीय सदस्य को पूरा ब्यौरा बताने में उस मंत्रालय को खुशी होगी।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : फोर्ड फाउन्डेशन से हमें अब तक कुल कितनी राशि मिली है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : लगभग २ करोड़ २४ लाख डालर।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : बुनियादी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। जो बात हम जानना चाहते थे वह यह है कि क्या फार्ड फाउन्डेशन के अधीन कार्य करने वाले लोग ओ० ई० ई० सी० के भी सदस्य होते हैं ? हमने मंत्री महोदय से फोर्ड फाउन्डेशन की वित्तीय अथवा अन्य बातों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी थी। हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक हमें मालूम है, जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : "जहां तक उन्हें मालूम है, जी नहीं।"

मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन

\+

†*११९७. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री वारियर :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अक्तूबर, १९५७ में मुख्य न्यायाधिपतियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें (१) मुकदमों के निबटाये जाने में देरी को समाप्त करने और (२) न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में क्या निर्णय किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने आयोजित किया था । सरकार को उस सम्मेलन के कार्यवाही वृत्तांत अथवा उसकी सिफारिशों के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार ने स्वयं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पंचाटों और कर निर्धारण संबंधी समादेश याचिकाओं के निबटारे में विलम्ब का अन्त करने के बारे में कोई सुझाव दिया है ?

†**श्री दातार** : सरकार उन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा की गयी थी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरा प्रश्न था कि अक्तूबर में मुख्य न्यायाधिपतियों का जो सम्मेलन हुआ था क्या सरकार ने उसको यह सुझाव दिया था कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पंचाटों और कर निर्धारण संबंधी समादेश याचिकाओं के निबटारे में देर न की जाये ?

†**श्री दातार** : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न मुख्य न्यायाधिपतियों के सुपुर्द नहीं किया गया था । उन्होंने न्यायिक अदालतों और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बाकी पड़े मामलों और अन्य कार्यों के बारे में विचार किया था ।

†**श्री महन्ती** : यह सम्मेलन किसने आयोजित किया था और यदि इसे भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने आयोजित किया हो तो क्या सरकार ने उन्हें मोटे तौर पर यह संकेत किया था कि इस सम्मेलन में किन किन प्रश्नों पर चर्चा की जानी चाहिये ?

†**श्री दातार** : भारत के मुख्य न्यायाधिपति को, जिन्होंने यह सम्मेलन बुलाया था, कोई संकेत देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री पुन्नूस** : इससे क्या मैं यह समझूं कि इस सम्मेलन की कार्यावलि के बारे में सरकार और मुख्य न्यायाधिपति के बीच पहले से कोई परामर्श नहीं किया गया था ?

†**श्री दातार** : सरकार को कार्यावलि मालूम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को पता है । उसने उसे तैयार करने में कोई भाग नहीं लिया था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैंने यह पूछा था कि क्या उन्होंने स्वयं यह सुझाव दिया था । मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार को पता नहीं है कि इस सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा की गयी थी । मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया गया है ।

†**श्री दातार** : सरकार को यह मालूम नहीं है कि सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे । लेकिन सरकार को यह मालम है कि सम्मेलन के पहले कार्यावलि क्या थी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : कार्यावलि क्या थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं । जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तब उसका उत्तर दे दिया जाता है । यदि माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं होते तो सैंकड़ों ही प्रश्न पूछते चले जाते हैं । यह ठीक है कि अंगरेजी भाषा यहां मौजूद है और जिन्हें उसका अभ्यास है उन्हें उसे समझने में कठिनाई नहीं होती । प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दे दिया जाता है । यदि कोई बात जटिल अथवा संशय की हुई तब तो मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा लेकिन उससे आगे जाने की मैं किसी सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा । मंत्रियों को यथासंभव प्रश्नों की भावना को ध्यान में रखते हुए उसका पूरा उत्तर देना चाहिये ।

†श्री दातार : मैं ने जो बात कही थी वह यह है कि सरकार को पता है कि सम्मेलन से पहले क्या कार्यावलि थी, लेकिन जहां तक संकल्पों का संबंध है, वह अभी तक हमारे पास नहीं आये हैं, और इसलिये अभी यह सब प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : श्रीमान्, मैं इस मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूं । जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब संभवतः मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं टाल सकते । यहां प्रश्न का उत्तर टालने के ख्याल से दिया गया है । निश्चय ही माननीय सदस्यों को प्रत्यक्ष उत्तर पाने का तो अधिकार है ही ।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है उसका उत्तर टालने का तो कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री दातार : अभी हमें प्रतिवेदन नहीं मिला है ; कार्यवाही का सारांश भी हमारे पास नहीं है । इसमें टालने की क्या बात है ।

†श्री तिरूमल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को इस सम्मेलन की कार्यावलि मालूम थी, इसमें जिन प्रश्नों पर विचार किया गया था क्या उनमें एक यह भी था कि उच्च न्यायालयों के लिये नियुक्तियां यथासंभव मुख्य न्यायाधिपतियों की सिफारिशों के आधार पर ही की जानी चाहियें और क्या इसे कार्यावलि में रखा गया था ?

†श्री दातार : न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कार्यावलि में कोई प्रश्न नहीं था ।

रूमानिया के पैट्रोल का निर्यात

+

†*११६८. { श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वोडयार :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् : }

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के उद्योग और पैट्रोल उपमंत्री ने हाल ही में बम्बई में यह बताया है कि रूमानिया से भारत को पैट्रोल का निर्यात करने की संभावनाएं हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रूमानिया से पैट्रोल लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ग) अन्य देशों से पैट्रोल मंगाने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस समय कुछ भी पैट्रोल का आयात नहीं किया जाता । वास्तव में इस समय भारत में फालतू पैट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है और कुछ पैट्रोल का निर्यात किया जाता है । इसमें संदेह नहीं कि पैट्रोलियम, अर्थात् (अपरिष्कृत तेल) का आयात किया जाता है; रूमानिया से इसका आयात करने के प्रश्न की अभी जांच नहीं की गयी है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम पैट्रोलियम पदार्थों और पैट्रोलियम ग्ल्यू की जिन्हें भारत में इस समय काम करने वाली तेल कम्पनियां बाहर से मंगाती हैं, भारी कीमत अदा कर रहे हैं क्या सरकार रूमानिया से पैट्रोल मंगाने के प्रश्न पर विचार करेगी, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी दर सस्ती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तर्क किस बात के बारे में है ? माननीय सदस्य यह तर्क दे रहे हैं कि सरकार को रूमानिया से पैट्रोल लेना चाहिये । माननीय सदस्यों को इस घंटे का उपयोग यह सुझाव देने के लिये नहीं करना चाहिये कि सरकार को क्या करना उचित है । वे केवल प्रश्न पूछ कर उत्तर मांग सकते हैं । मैं यदा-कदा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनुमति दे देता हूं लेकिन हर बार माननीय सदस्य उसका लाभ उठाकर यह पूछने लगते हैं कि "आप इस या उस देश में जाकर क्यों नहीं खरीदते ।"

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकर में और इन तेल कम्पनियों के बीच में मूल्य को घटाने के सम्बन्ध में कोई वार्ता चल रही थी, यदि हां, तो उन्होंने उस सम्बन्ध में क्या जवाब दिया और सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री के० दे० मालवीय : अभी इस प्रश्न पर विचार हो रहा है । जो कम्पनियां यहां पैट्रोलियम रिफाइन कर रही हैं, पहले जो अहदनामे हुए थे, उन के मुताबिक जो दाम निर्धारित किए गए थे, वे उन्हीं पर बेच रही हैं । गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम जहां तक हो सके, दामों को कम करा लें । इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मंत्री महोदय ने बताया है कि रूमानिया के उप प्रधान मंत्री यहां आये थे और बातचीत हुई है । यह बातचीत किन बातों के बारे में हुई है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रूमानिया के मंत्री यहां ज्वालामुखी में किये जाने वाले छिद्रकार्य संबंधी स्थिति को देखने के लिये आये थे क्योंकि यह कार्य रूमानिया के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है । उन्हें कुछ खबरें मिलीं थीं कि छिद्र करने का कार्य धीमी गति से हो रहा है । इसीलिये उनका चिंतित होना स्वाभाविक था और उन्होंने यहां आकर देखा कि काम साधारण तौर पर चल रहा है । उसमें शिकायत की कोई बात नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि रूमानिया के मंत्री यह देखने के लिये आये थे कि छिद्र करने का कार्य धीमी गति से हो रहा है या नहीं। क्या वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं या उन्होंने हमें कोई दूसरा तरीका सुझाया है जिससे छिद्र करने के बाद हमें तेल मिल सके ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह वहां चलने वाले कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी कम्पनियां सरकार के बतलाये हुए मूल्यों को मानने पर आपत्ति कर रही हैं ?

श्री के० दे० मालवीय : सभी कम्पनियां हैं, जो यहां पर अपने अहदनामे के मुताबिक पैट्रोलियम प्राडक्ट्स दे रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम मूल्यों को कम कर दें।

†**श्री रंगा** : रूमानिया की सरकार ने हमें जिस मूल्य पर पैट्रोलियम देने का प्रस्ताव किया है और जिस मूल्य पर हम यहां खरीद रहे हैं, क्या सरकार ने उनके बीच के अन्तर की जांच की है ? यदि हां, तो यह अन्तर कितना है और किसके पक्ष में पड़ता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी हमें रूमानिया से कोई भी भाव या प्रस्ताव नहीं मिला है।

†**श्री रंगा** : जब मंत्री महोदय स्वयं यह कह चुके हैं कि वह भारत सरकार को इसका संभरण करने में सक्षम हैं, तो भारत सरकार ने स्वयं उनसे यह पूछने का कष्ट क्यों नहीं किया वह किस मूल्य पर देंगे और वह हमारे हित में होगा या नहीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमने हर तरह की पूछताछ कर ली है और हम अब भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी हमें रूमानिया से कुछ भी भाव या निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : सोवियत रूस तेल का निर्यात करना चाहता था। सोवियत रूस भारत को पैट्रोलियम का संभरण करने के लिये राजी है या नहीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह रूमानिया के संबंध में है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : दूसरे देश भी तो हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार रूमानिया सरकार से तेल के भावों के सम्बन्ध में पूछताछ करने वाली है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रूमानिया सरकार से हम मिट्टी के तेल के संभरण के बारे में कुछ समस्याओं पर बातचीत चला भी चुके हैं। जहां तक पैट्रोल का संबंध है, वह हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री वोडयार उठे—

---

†मूल अंग्रेजी म

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वोडयार इतनी देर तक कहां थे । जब मैं ने उनको पुकारा था उस समय वह फौरन नहीं उठे ।

नौवहन के लिये विश्व बैंक का ऋण

†*११९९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश के नौवहन संबधी हित केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वह विश्व बैंक को ये बताये कि पोतों को प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्राओं की बड़ी आवश्यकता है और उस ऋण को नौवहन समवायों को प्रचलित गारंटियों पर उपलब्ध करने के लिये कार्यवाही करे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी हां । जहां तक सरकार को पता है, इस प्रकार के दो या तीन सुझाव दिये गये हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या नौवहन संबंधी हितों ने सरकार को यह बताया है कि उन्हें कितनी विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता है और क्या सरकार ने इसकी जांच की है और उपलब्ध की हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : विदेशी मुद्राओं के उपबन्ध के लिये हमें नौवहन संबंधी हितों के पास से समय समय पर मांगें प्राप्त होती रहती हैं । जितनी विदेशी मुद्रायें उपलब्ध होती हैं हम उन्हें दे देते हैं । इस समय जब तक वह हमारी सब शर्तें पूरी नहीं करते तब तक उनके लिये विदेशी मुद्रायें नहीं दी जा सकतीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पिछले एक अवसर पर वित्त मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार परिवहन संबंधी कुछ अनुदानों पर, जिनमें उड्डयन भी शामिल है, विचार करने के लिये राजी है । इन प्रस्तावों ने किस सीमा तक ठोस रूप ग्रहण किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो नौवहन के संबंध में है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह नौवहन के संबंध में है । मैं ने यही कहा था कि यह सुझाव दिये गये थे और उसके बारे में और आगे कुछ भी नहीं किया गया है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे के विस्तार तक के संबंध में जिसके संबंध में उसने निश्चित वादा किया था, विश्व बैंक से ऋण लेने में हमें कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो क्या दुबारा नौवहन संबंधी ऋण के लिये कहना वांछनीय होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रश्न का पहला भाग सच नहीं है और इसीलिये उससे दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दासप्पा** : इन नौवहन प्रतिष्ठानों को विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे ख्याल से यह केवल सुझाव दिये गये हैं । मैं कह चुका हूं कि इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया जा सका है क्योंकि, जैसे एक अन्य माननीय सदस्य बता चुके हैं, हमारे पास विश्व बैंक की कई योजनायें हैं जिनकी जांच की जा चुकी है और प्रत्येक फल प्राप्ति की भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं; हमने इस संबंध में सहायता के लिये कोई नयी मांग नहीं रखी है। इसलिये मैं इस विशेष मामले के बारे में माननीय सदस्य को कुछ नहीं बता सकूंगा ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : नौवहन के लिये विश्व बैंक से ऋण के संबंध में जो बातचीत की जा रही है वह अब किस प्रावस्था में है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विश्व बैंक से नौवहन के लिये ऋण देने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुए कि वर्ल्ड बैंक से शिपिंग के लिए इस वक्त कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, आप इस वर्ष शिपिंग की उन्नति के लिए कितना फारेन एक्सचेंज देना चाहते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न हुई ? यह प्रश्न विश्व बैंक से ऋण के संबंध में है । वह कहते हैं, "विश्व बैंक को छोड़िये, आप नौवहन के लिये क्या उपबन्ध करने वाले हैं ?" मैं इसे अनियमित घोषित करता हूं । यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता

†*१२००. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कहां कहां पर कितने कितने स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान की गयी है ;

(ख) जहां एक से अधिक स्टाक एक्सचेंज हैं वहां उन्हें मान्यता देने में किस सिद्धांत का पालन किया गया है ; और

(ग) मान्यता प्रदान करने से पूर्व या बाद में एक दूसरे में विलीन हो जाने के लिये स्टाक एक्सचेंजों को क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने अब तक ५ स्टाक एक्सचेंजों अर्थात्, स्टाक एक्सचेंज, बम्बई, अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद, कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड, कलकत्ता, मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, मद्रास और दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, को मान्यता दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा ४ (१) में निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है । इस अधिनियम में उसकी धारा ४ के अधीन मान्यता प्रदान किये जाने के बाद, या पहले स्टाक एक्सचेंजों के एक दूसरे में मिल जाने की परिकल्पना नहीं की गयी है। फिर भी जिन स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है उन के सदस्यों को अनुचित परेशानी से बचाने के लिये सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित कर दी हैं जिनके अनुसार मान्यता न पाये एक्सचेंजों के सक्रिय सदस्य मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बन सकते हैं ।

†**श्री मुरारका :** बम्बई के गैर-मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य किन शर्तों पर मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बन सकते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह शर्तें उस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट हैं ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि अनेक अभ्यावेदन किये जाने पर भी निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह भी है कि शुल्क और निक्षेप के रूप में ४०,००० रुपये प्रति-व्यक्ति की दर से जमा किये जायें, और क्योंकि इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसलिये कोई भी व्यक्ति इस एसोसियेशन का सदस्य नहीं बन सकता है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मुझे पता नहीं । कोई सदस्य इसका लाभ उठा पाया है या नहीं यह बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** क्या यह सच है कि मान्यता के लिये हैदराबाद के स्टाक एक्सचेंज का आवेदन नामंजूर कर दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये । हमने पांच को मान्यता प्रदान की है, हैदराबाद उनमें नहीं है ।

†**श्री नथवानी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन में दो प्रकार के सदस्य हैं—एक संबद्ध सदस्य और दूसरे पूर्ण सदस्य—तब गैर-मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सम्बद्ध सदस्यों के रूप में क्यों भर्ती नहीं किया जाता ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** स्पष्ट है कि दूसरा एसोसियेशन अधिनियम की धारा ४(१) के अधीन निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करता ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार इन स्टाक एक्सचेंजों को घोषित सूची तक ही सीमित रखने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ? क्या सरकार का इरादा ऐसे स्टाक एक्सचेंजों का सख्ती से दमन करने का है जिन्हें मान्यता नहीं दी गयी है लेकिन जो अवैध कार्यों में लगे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इतने कम समय में इस संबंध में कुछ नीति निर्धारित करना मेरे लिये बहुत कठिन है ।

†**श्री प्रभातकर :** सरकार इन गैर-मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में विलीन कर देने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती, क्योंकि गैर-मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के चलते रहने से स्टाक एक्सचेंजों में बड़ी जटिलता पैदा हो जाती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इन को मिला देना संभव है और सरकार निश्चय ही इसके लिये प्रयास करेगी, बशर्ते कि अब तक अपने ढंग से काम करने वाला स्टाक एक्सचेंज अपने आपको उस स्टाक एक्सचेंजों की शर्तों और निबंधनों का पालन करने के लिये तैयार कर ले जिसमें वह विलीन होना चाहता है। कठिनाई वास्तव में इस बात में है कि बहुत से लोग मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में प्रवेश के लिये लगायी गयी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिये राजी नहीं होते ।

†**श्री नथवानी :** ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन धारा ४ (१) में निहित सिद्धान्तों को पूरा करता है या नहीं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं यह नहीं जानता कि क्या ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन इस विशेष अधिनियम के अनुसार काम करती है या नहीं । स्थिति की जांच करने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या अनधिकृत स्टाक एक्सचेंजों की ओर से सरकार को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यदि उन्हें मान्यता न प्रदान की गयी तो उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जब भी किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता रहा है, कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वह सरकार के पास विरोध पत्र अवश्य भेजता है । इस सम्बन्ध में भी विरोध पत्र आये हैं । जैसा कि मैं ने पहले बताया था, हमने यह देखने का प्रयत्न किया था कि क्या विभिन्न सार्थों में एकीकरण या मिलाप नहीं हो सकता था विशेष कर बम्बई के सम्बन्ध में तो इस अधिनियम को प्रख्यापित करना कई महीनों तक के लिये टाल दिया गया था, ताकि प्रतिभूतियों से सम्बन्ध रखने वाली दोनों सन्थाओं में एकीकरण किये जा सकें । वास्तव में, बात यह थी कि वह सन्था, जो कि साथ मिलने का विचार रखती थी, वह यह नहीं चाहती थी कि उस पर शुल्क की अदायगी तथा निक्षेपों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शर्त लगायी जाये । अतः ऐसी स्थिति में सरकार के लिये कोई भी काम करना कठिन था ।

पत्तनों का बन्द किया जाना

†*१२०१. **श्री क० उ० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई राज्य में सौराष्ट्र के कुछ एक पत्तनों को विदेशी व्यापार के लिये बन्द कर दिया गया है;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो कितने पत्तनों को बन्द किया गया है ; और

(ग) विदेशी व्यापार के लिये इन पत्तनों को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जी, हां । जुलाई, १९५७ से बम्बई राज्य में सौराष्ट्र के बेयत तथा माधवपुर पत्तनों को विदेशी व्यापार के लिये बन्द कर दिया गया है ।

(ग) इन पत्तनों को विदेशी व्यापार के लिये बन्द करने का कारण यह था कि इन पत्तनों से १९५३–५४ से विदेशी आयात तथा निर्यात का जरा भी सामान नहीं आ जा रहा था ।

†**श्री क० उ० परमार** : क्या यह सच है कि सीमा पर लगभग १६ पत्तन केवल इसीलिये बन्द कर दिये गये थे कि उनसे सोने का तस्कर व्यापार होता था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १६ पत्तन केवल इसीलिये बन्द किये गये थे कि उनसे आयात निर्यात नहीं हो रहा था ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या इन पत्तनों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप तटवर्ती तथा देश के आन्तरिक व्यापार पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है ?

† **श्री ब० रा० भगत** : उन पत्तनों से तटवर्ती व्यापार तो अभी भी चल रहा है ।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या इन पत्तनों को बन्द करने से पहले बम्बई से कुछ वस्तुओं को उन पत्तनों की ओर से भेजने का प्रयत्न किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : स्थिति यह है कि वास्तव में किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया था । मेरे पास एक विवरण है, जिसे यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं ।* उससे यह प्रकट होता है कि इन पतनों पर केवल तटवर्ती व्यापार ही होता है, वहां बिदेशी व्यापार बिल्कुल नहीं हो रहा । १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में तो जरा भी विदेशी व्यापार नहीं हुआ था । क्योंकि उन १६ पत्तनों पर विदेशी व्यापार बिल्कुल नहीं चलता, इसलिये वहां पर विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिये कर्मचारी रखना बड़ा कठिन है ।

†**श्री सोनावने** : क्या इन १६ पत्तनों को बन्द कर देने के कारण ही तीन मुख्य पत्तनों पर अधिक भीड़भाड़ रहती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उपरोक्त कार्य और कारण का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*टिप्पण:–बाद में उसी दिन सभा पटल पर रख दिया गया । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७-क]

†**श्री क० उ० परमार** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि इन पत्तनों को बन्द करने का केवल मात्र कारण यह है कि वहां पर सोने का तस्कर व्यापार होता रहता था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक माननीय सदस्य यह प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं जिसका माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि इसका कारण निर्यात का अभाव था ।

जनता बीमा पालिसी

+

†*१२०२. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की जनता पालिसी के उद्घाटन के समय बम्बई में कितनी पालिसियां बेची गई थीं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है कि क्या उसके आंकड़े सत्य हैं या गलत ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) २९० ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बेची गयी सभी पालिसियां ठीक हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार को किसी भी व्यक्ति से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ये आंकड़े सत्य नहीं हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान निगम के सभापति द्वारा दिये गये इस भाषण की ओर आकृष्ट किया गया है कि जनता योजना लोगों में उत्साह पैदा नहीं कर सकी है और न ही यह सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह कारण ढूढने का प्रयत्न किया है कि यह योजना उत्साह क्यों नहीं पैदा कर सकी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है । हमारी तो यही धारणा है कि इसने लोगों में पर्याप्त उत्साह पैदा किया है ।

†**श्री नथवानी** : क्या निगम द्वारा जनता बीमा का यह व्यापार लाभ की दृष्टि से किया जा रहा है या नहीं और यदि हां तो क्या उसके अलग खाते रखे जा रहे हैं या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : यह योजना पिछले कई मास में ही आरम्भ की गयी थी और इसका उद्देश्य यही था कि छोटे लोगों, ग्राम्य क्षेत्रों तथा श्रमिक लोगों तक पहुंचा जा सके । जहां तक लाभ का सम्बन्ध है—योजना बनात समय वह बात ध्यान में तो अवश्य होगी । परन्तु लाभ सम्बन्धी वास्तविक स्थिति तो हम केवल तभी जान सकेंगे जब कि लेखे तैयार हो जायेंगे । मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी समय निश्चित रूप से नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री क० भे० मालवीय —अनुपस्थित हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं ।

रामनाथपुरम् में दंगे

+

†*१२०४. { **श्री भा० कृ० गायकवाड़** :
श्री शिवराज :
श्री बां० चं० कामले :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने हाल ही में मद्रास के रामनाथपुरम् के दंगे वाले क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने वहां की स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । ऐसे प्रतिवेदन गुप्त होते हैं । और क्योंकि विशेषकर इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है, इलिये इसे गुप्त रखा गया है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : माननीय उपमंत्री ने पिछली बार यह बताया था कि वहां पर लगभग २,८०० घर जल गए थे तो उस का अर्थ यह है कि वहां पर १०,००० व्यक्ति बेघर हो गए होंगे । क्या सरकार ने उन के लिए शरणार्थियों के समान ही कोई कैम्प बनाए हैं जिन में वे तब तक रह सकें जब तक कि उन्हें पूरी तरह से पुनः बसा नहीं लिया जाता ; और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी नहीं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरा प्रश्न यह था कि यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का कारण वे राज्य सरकार से पूछें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: जब केन्द्रीय सरकार भारत के बाहिर से आने वाले शरणार्थियों के लिये भी शरणार्थी कैम्प स्थापित करने के लिये तैयार है तो उन लोगों के लिये तैयार क्यों नहीं जो कि देश के अन्दर ही शरणार्थी बन गए हैं ? सरकार उन लोगों के लिये कैम्प क्यों नहीं स्थापित कर सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल यही जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा कि क्या शरणार्थी कैम्प स्थापित किए गये हैं या नहीं। मैं तर्क वितर्क करने की अनुमति नहीं दे सकता। वे अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय इस प्रकार का तर्क वितर्क कर सकेंगे। अब श्री मं० रं० कृष्ण अपना प्रश्न पूछें।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : एक समय केवल एक ही सदस्य पूछें। मैंने मं० रं० कृष्ण को बुलाया है। यदि कोई माननीय सदस्य भविष्य में बिना बुलाये ही प्रश्न पूछने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे भी इस सभा में वही नियम लागू करना पड़ेगा जो कि 'हाउस आफ कामन्स' में लागू है ; वह नियम यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य बिना बुलाए ही खड़ा हो जाता है और रोकने पर भी बोलता जाता है अथवा किसी अन्य सदस्य के भाषण में अन्तःक्षेप करने का प्रयत्न करता है तो उसे दो तीन महीने के लिये प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं दी जायेगी। मैं वैसी प्रणाली यहां पर नहीं चलाना चाहता।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त न इन व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये किन्हीं ऐसी योजनाओं की सिफारिश की है जो कि केन्द्रीय योजनाओं में सम्मिलित की जायेंगी।

†**श्रीमती आल्वा** : यह काम तो राज्य सरकार का है मैंने पहले ही बता दिया है कि यह प्रतिवेदन एक गुप्त प्रतिवेदन है। इस लिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्न पूछने से क्या लाभ ? इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध किसी सामान्य प्रश्न से नहीं है, अपितु एक विशेष प्रश्न से है रामनाथपुरं के दंगों से।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : केवल एक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वासुदेवन नायर।

†**श्री बा० च० कामले** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने पूर्व सूचना दी थी, परन्तु मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु उन्होंने श्री गायवाड़ को एक से अधिक प्रश्न क्यों पूछने दिया ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं एक जानकारी चाहता हूं जब भी पुलिस द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह गोपनीय रखा जा सकता है ; परन्तु यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को ही गुप्त रखा जायगा तो इस सभा के सदस्यों को कुछ भी ज्ञात न हो सकेगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति**: मेरा एक औचित्य प्रश्न है। वास्तविक प्रणाली यह है कि अनुसूचित जातियों का आयोग सारे देश का भ्रमण करता है, हरिजनों की कठिनाईयों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करता है और सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। क्या यह प्रतिवेदन भी उसी प्रकार का प्रतिवेदन है अथवा यह एक विशेष प्रकार का प्रतिवेदन है जो कि इस सभा या राष्ट्रीपति को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा** : यह उसी प्रकार का एक प्रतिवेदन है। उस के अतिरिक्त संविधान के अनुसार सार्वजनिक विधि तथा व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो कि संघ सरकार के कार्यपालक प्राधिकार के अधीन नहीं आता।

श्री दासप्पा उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने सुन लिया है इस में एक उचित प्रश्न है। अब माननीय सदस्य और क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री दासप्पा** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध केवल विधि तथा व्यवस्था से ही है अथवा इस में लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव भी दिये गये हैं ; इन सुझावों को तो सभा में प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ?

†**श्रीमती आल्वा**: वह प्रतिवेदन अब राष्ट्रपति के पास गया है। इस लिये उस के सम्बन्ध में इतनी जल्दी कुछ नहीं बताया जा सकता है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्**: इस के बारे में हम कब तक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति। अनुसूचित जातियों के आयुक्त को प्रति वर्ष राष्ट्रपति के पास अपना प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार काम करते हैं। इस लिये माननीय सदस्य यह कह सकते हैं इस प्रश्न का सम्बन्ध विधि तथा व्यवस्था से है और यदि वे इसे गुप्त रखना चाहते हैं तो उन का इस प्रश्न पर सोच विचार करने का कोई अधिकार नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों के सम्बन्ध में ध्यान रखने के लिये और प्रतिवेदन भेजने के लिये आयुक्त विद्यमान है। उस का विधि तथा व्यवस्था के मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं नहीं जानता कि यह प्रतिवेदन गुप्त कैसे रखा जा सकता है।

†**श्रीमती आल्वा** : इस रामनाथपुरम दुर्घटना की पृष्ठभूमि में कई बातें छिपी हुई हैं। उस प्रतिवेदन में सभी बातें आई हैं जिनमें विधि तथा व्यवस्था भी सम्मिलित है, जिन के सम्बन्ध में आयुक्त ने अवश्य प्रकाश डाला होगा। वह प्रतिवेदन अब राष्ट्रपति के पास है और इस लिये उस के सम्बन्ध में उसी समय कुछ भी नहीं बताया जा सकता।

†**श्री रंगा** : इस का निर्णय किसे करना है कि क्या यह गुप्त रखी जाय या नहीं ? क्या यह निर्णय राष्ट्रपति करेंगे अथवा माननीय मंत्री ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सरकार यह कदापि नहीं चाहती कि सभा को किसी भी ऐसी जानकारी से वंचित रखा जाय जो कि प्रस्तुत की जानी चाहिये जैसा कि माननीय उपमंत्राणी जी ने बताया है कि इस का सम्बन्ध देश के एक ऐसे भाग से है जिस में कुछ दंगे हुए हैं और इस लिये इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि उस प्रतिवेदन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस के परिणामस्वरूप कठिनाई बढ़ जाय और स्थिति पर उल्टा असर पड़े इसी दृष्टि से अब उस प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। मैं सभा-सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं गृह-कार्य मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि उचित अवसर आने पर वे इस के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र एक विवरण दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : अनुसूचित जातियों के बेचारे बेघर लोग विधि तथा व्यवस्था के अन्तर्गत कैसे आते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि इस प्रश्न का सम्बन्ध एक विशेष क्षेत्र से है जहां कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं एक और औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति। जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इस में जल्दी की कोई बात नहीं। मुझे इस बात पर अभी विचार करना है कि किस प्रकार का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाय और क्या इस प्रकार का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाय या नहीं। इस पर विचार करने के बाद ही मैं अपना विनिर्णय दे सकूंगा और सरकार निश्चय ही उस विनिर्णय का अनुसरण करेगी।

†**श्री माने** : हम कल ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं जिस में रामनाथपुरम् के दंगों के सम्बन्ध में चर्चा होगी उस के लिये लगभग तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया है, परन्तु जब तक हमें आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ज्ञान न हो, हम रामनाथपुरम् की घटना के सम्बन्ध में कैसे चर्चा कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तो बहुत अच्छा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जब कि आज यह गोपनीय है, क्या यह कल ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल कार्यवाही आरम्भ करने से पहले ही मैं इस बारे में अपना निर्णय दे दूंगा।

†**श्री माने** : क्या हमें कल उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में भी कुछ बता दिया जायगा ताकि हम अच्छी प्रकार से चर्चा कर सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कोई मंत्री तो हूं नहीं। माननीय सदस्यों ने एक विशेष बात के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा है। मैं बिना विचार किये ही यह नहीं बता सकता कि अनुसूचित जातियों के आयुक्त की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या यह केवल राष्ट्रपति के कहने पर या उनके निदेश पर ही इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और यदि वह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है, तो उस सम्बन्ध में हमारा क्षेत्राधिकार कितना है। वैसे तो राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श या मंत्रणा के अनुसार ही काम करते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि मैं किसी भी मंत्री से यह कहां तक प्रार्थना कर सकता हूं कि वे एक ऐसा प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करें जो कि इस समय राष्ट्रपति के पास है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चय ही कल सभा प्रारम्भ होने से पहले ही अपना विनिर्णय दे दूंगा, और यदि मेरा विनिर्णय यह हुआ कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय तो उस स्थिति में मैं फिर तदनुसार निदेश दूंगा। मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

†**श्री याज्ञिक** : मेरा यह निवेदन है कि आप अपना विनिर्णय आज शाम को ही दे दें ताकि कल प्रातः तक प्रतिवेदन परिचालित किया जा सके। नहीं तो हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा न कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री माने :** तो क्या आप आज शाम तक अपना विनिर्णय दे रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आज शाम को अपना विनिर्णय नहीं दे रहा । माननीय सदस्य अपनी सीमाओं का ध्यान रखें । वे मुझ पर कोई बात लाद नहीं सकते ।

†**श्री याज्ञिक :** यह तो केवल एक सुझाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह समझता हूं । मैं यह भी जानता हूं कि इस पर कल चर्चा हो रही है । परन्तु मैं इस पर विचार करना चाहता हूं । इसलिये बार बार सुझाव देने से क्या लाभ है । यदि केवल श्री याज्ञिक जी का ही कोई सुझाव हो तो वह माना भी जा सकता है, परन्तु यहां तो कई सुझाव दिये जा रहे हैं । एक अन्य सदस्य का मुझे यह कहना है कि आप अपना विनिर्णय अवश्य दें । मैं अपना विनिर्णय नहीं दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूरकेला में उर्वरक कारखाना

†*११९३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के उर्वरक कारखाने के लिये मशीनरी तथा उपकरणों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) वे किस देश से आयात किये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दी शब्दों का संकलन

***१२०३. श्री क० भे० मालवीय : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज भाषा आयोग को यह सूचित किया था कि सभी पदों तथा प्रशासनिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची और लगभग १५००० शब्दों को जिन का विभिन्न मंत्रालयों में उपयोग किया जाता है, ३१ मार्च १९५६ तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो मार्च १९५६ तक कितना कार्य किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि तब तक काम समाप्त नहीं हुआ, तो अक्तूबर, १९५७ तक कितना कार्य किया गया ;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इसमें यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी पद-संज्ञा सम्बन्धी, १०८० तथा प्रशासनिक (४,०००) शब्द और लगभग १४,५०० दूसरे शब्द, विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध थे, बनाये गये ।

(ग) विशेषज्ञ समितियां अक्तूबर, १९५७ तक ४४,४७१ विभागीय शब्दों का अनुमोदन कर चुकी हैं ।

(घ) यह काम अभी जारी है और आशा है कि १९६० तक पूरा हो जायेगा ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में बाढ़

†*१२०५. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९५७ में दुर्धर्ष बाढ़ से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये केरल सरकार की ओर से भारत सरकार को कोई प्रार्थना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां । भारी वर्षा के कारण सहायता के उपबन्ध के सिलसिले में केरल सरकार की ओर से सितम्बर, १९५७ में ३·४८ लाख रु० का अनुदान और ६·०५ लाख रुपये के ऋण को सम्मिलित करते हुए ९·५३ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

(ख) इतने भारी रूप में केन्द्रीय सहायता औचित्ययुक्त न होने से प्रार्थना स्वीकृत नहीं की गई ।

योगाभ्यास

†१२०६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं में योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिये शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी जो आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और जिसमें चुने हुए योगाभ्यास भी सम्मिलित हैं उसे राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है। इस पाठ्यक्रम को शैक्षणिक संस्थाओं में पुरःस्थापित करना उन्हीं पर निर्भर है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों की सचित्र व्याख्या करने वाली पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं ।

भिलाई परियोजना के लिये मशीनें

†*१२०७. **श्री नलदुर्गकर :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मो० इलियास :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयन्त्र के लिये सब मशीनें रूस से विशाखापतनम तक लाई जाकर आगे ले जाने के लिये छोड़ दी जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पत्तन मशीनों से लदे हुए केवल एक जहाज को खाली करने के लिये ही व्यवस्थित होने से माल उतारने में काफी समय लग जाता है ; और

(ग) अभी वहां कितने जहाज खाली होने के लिये ठहरे हुए हैं और विलम्ब शुल्क के रूप में १९५७-५८ में अभी तक उन्हें कितनी रकम दी गई है अथवा दी जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, हां । भिलाई, इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सामान प्रायः विशाखापत्तनम पत्तन तक आता है ।

(ख) विशाखापत्तनम् में चार वर्थों में से दो विशेष रूप से अयस्क के लिये हैं और तीसरी बर्थ प्रायः सदा ही खाद्यान्न से लदे जहाजों को उतारने में लगी रहती है । केवल चौथी बर्थ रूस से आने वाली मशीनों के लिये उपलब्ध है। किन्तु नौबंधन स्थलों* में भी जहाज खाली किये जाते हैं। हाल की स्थिति के अनुसार नौ बन्धन स्थलों में बर्थ ग्रहण करने में जहाजों को औसतन लगभग एक महीना लग जाता है ।

(ग) चार जहाज खाली होने की प्रतीक्षा में हैं। विगत १२ महीनों में विलम्ब शुल्क के रूप में लगभग ४० लाख रुपये देने पड़ेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है ।

उपरि सदनों (अपर हाउसेज) में भूतपूर्व सैनिकों का नामनिर्देशन

†*१२०८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संघों और संस्थाओं ने सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि प्रतिरक्षा सेनाओं के किन्हीं सेवा निवृत प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट के उपरि सदनों (अपर हाऊस) और राज्य की विधान परिषदों में नामनिर्देशित किया जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Moorings

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने अभ्यावेदन पर विचार किया है किन्तु संविधान में प्रतिरक्षा सेना के सेवानिवृत पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट अथवा राज्य विधान परिषदों के उपरि सदन (अपर हाऊस) में नामनिर्देशित करने का उपबन्ध नहीं है । इस प्रार्थना पर अनुकुल रूप में विचार नहीं किया जा सकता है ।

राजस्थान के ऐतिहासिक किले

***१२०९. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने ऐतिहासिक किले अभी पुरातत्व विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं ; और

(ख) उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नौ किलों की देख-भाल संघ पुरातत्व विभाग कर रहा है ।

(ख) स्मारकों की, साधारण सालाना मरम्मत के अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार विशेष मरम्मत की जाती है । स्मारकों की सफाई करने और पहरा-निगरानी करने के लिये, स्मारकों पर आवश्यक अमला भी रखा गया है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा

†***१२१०. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के तटवर्ती भाग में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद हल करने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) . आजकल गोगरा और गंगा नदी की धारा के मध्य ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का रूप धारण कर रखा है । नदियों के जलप्रवाह के मध्यवर्ती भाग में परिवर्तन होते रहने से यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं मानी गई है । दोनों राज्यों के बीच निश्चित सीमा निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

युद्ध सामग्री कारखानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति

†***१२११. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-सामग्री कारखानों में उत्पादन को गति प्रदान करने की दृष्टि से कुछ विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन देशों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां। कुछ विशेषज्ञों को भरती करने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों से इन्हें भरती करने की संभावनाएं हैं।

आन्ध्र में पुरातत्वीय-सर्वेक्षण

†*१२१२. श्री बलराम कृष्णय्या : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्राचीन मन्दिरों और पुरातत्व तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की क्या प्रगति है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) नेलोर, गुन्टूर और कृष्ण जिलों में गुफा मन्दिरों का अभी तक सर्वेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त कुरनूल और मेदक जिलों के गांवों में स्मारकों का भी सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) अभी नहीं।

सेवानिवृत्ति सुविधायें

†*१२१३. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिरक्षा विभाग के उन अस्थायी कर्मचारियों को उपदान पेंशनें और अंशदायी सुरक्षा निधि आदि सेवा अवसान लाभ प्रदान करने का विचार रखती है जो बिना स्थायी या अर्द्धस्थायी हुए ही सेवानिवत हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या ब्योरा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन है।

रूरकेला का इस्पात कारखाना

†*१२१४. श्री ड० च० गोडसोरा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १६ मई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना के फलस्वरूप विस्थापित समस्त व्यक्तियों का पुनर्वास कर दिया गया है ; और

(ख) उन्हें कौन कौन सी वैकल्पिक सुविधाएं दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ रूरकेला कारखाने और सम्बद्ध उपनगरी की स्थापना के लिये आवश्यक भूमि का उपबन्ध स्वीकार कर लिया था। हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड़ उपयुक्त प्रतिकर की अदायगी के लिये उत्तरदायी है। इस सिलसिले में विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाने का उत्तरदायित्व उड़ीसा सरकार ने लिया है। इस कार्य के लिये उनके अपने स्थायी अधिकारी हैं और पुनर्वास के लिये उन्होंने स्थायी बस्तियां भी बसाई हैं। योजना से सम्बद्ध कार्यों में विस्थापित व्यक्तियों को यथासंभव अधिकतम संख्या में कार्य नियोजित करने का समवाय ने प्रयत्न किया है।

अधिकृत लेखापाल[1]

†*१२१५. **श्री वै० च० मलिक :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री निकौलस कालडोर ने भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में करावंचन रोकने के उपाय स्वरूप अधिकृत लेखापति के व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) कालडोर ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि यह सुझाव अव्यवहार्य है।

आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

†*१२१६. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने १९५७–५८ में वित्त मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम की मांग है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन सहायता (ऋण और अनुदान) के अतिरिक्त उन्होंने और भी वित्तीय सहायता मांगी है जितनी रकम की

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Chartered Accountant.

मांग की गयी है उसे बताना लोकहित में नहीं ह उन्ह हाल ही में ७ करोड़ रुपये की उपाय और पद्धति अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है । वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन उस राज्य को जितनी रकम मिलेगी और संघीय करों और अन्य अनुदानों में राज्य अंश में उपरोक्त रकम समायोजित कर दी जायेगी ।

दिल्ली में अनिवार्य शिक्षा

†*१२१७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ६ वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में एक योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) जी, नहीं । अनिवार्य शिक्षा के लिये आयु ६ से १४ वर्ष है ; यह ६ वर्ष तक नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात के कारखाने

†*१२१८. **श्री दौ० चं० शर्मा :**
श्री संगमना :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री झूलन सिंह :
श्री बलराम कृष्णप्पा :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों इस्पात कारखानों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) तीनों इस्पात कारखानों में नियोजनार्थ व्यक्यिों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में इंजीनियरों और टेकनीशियनों के प्रशिक्षण के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) प्रशिक्षण कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रत्येक इस्पात कारखाने से कितनी रकम वसूल की जायेगी ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८)**

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतर माध्यमिक और बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये पाठ्य-क्रम

*१२१६. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् द्वारा प्रकाशित उच्चतर माध्यमिक और बहुप्रयोजनीय स्कूलों का पाठ्यक्रम बाजार में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों अथवा जनता की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० क० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं। पाठ्यक्रम बाजार में नहीं आया था किन्तु वह माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के कार्यालयों में १·७५ रुपये में मिलता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में भाषा विवाद

*१२२०. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जाधव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब का भाषा विवाद निबटाने के लिये भारत सरकार ने ३१ अक्तूबर, १६५७ तक क्या सक्रिय कार्यवाही की है; और

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार ३ अप्रैल, १६५६ को सदन के समक्ष रखे गए क्षेत्रीय फारमूले में दी गई व्यवस्था को पंजाब की भाषा समस्या का उचित समाधान समझती है।

(ख) पंजाब के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों ने भरसक प्रयत्न किया है और प्रधान मंत्री ने भी स्थिति अच्छी तरह समझा दी है। बड़े दुःख की बात है कि उनकी सलाह पर भी, कानून को तोड़ने तथा शान्ति और व्यवस्था को भंग करने के लिए संगठित आन्दोलन अभी तक जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिलासपुर के निष्क्रान्त व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी समिति

†*१२२१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर के निष्क्रांत व्यक्तियों और तत्सम्बन्धी विषयों के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव श्री के० एन० खन्ना के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी अथवा प्रस्तुत किया है ; और

(ग) इसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूर्वी तिब्बत में प्राचीन भारतीय पांडलिपियां

†*१२२२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री गोरे :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल से तिब्बत जाने वाले एक पुरातन भारतीय मार्ग पर पूर्वी तिब्बत में शाक्य मठ के गुप्त कक्ष में १,००,००० से अधिक दुर्लभ प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां रक्षित हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन पाण्डुलिपियों के अध्ययन एवं जांच के लिये भारत सरकार एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इन तथ्यों की सत्यता मालूम की जा रही है ।

(ख) तथ्य प्रकट होने पर ही इस पर विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*१२२३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५७–५८ में राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर कितनी रकम स्वीकृत की गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस योजना के अन्तर्गत कितने नये स्कूल सम्मिलित किये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५७–५८ में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत ११ लाख ३१ हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। चालू वर्ष में व्यय ६ लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में योजना के अन्तर्गत ३३ नये स्कूल सम्मिलित किये जायेंगे। किन्तु इस संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

बुद्ध का स्मारक

*१२२४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २२ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २५०० बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती के उपलक्ष में नई–दिल्ली में एक स्मारक बनाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : प्रस्तावित स्मारक के डिजाइन का अनुमोदन किया जा चुका है। परन्तु वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण, यह निश्चय किया गया है कि अभी कुछ समय तक स्मारक के निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया जाए।

पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†*१२२५. **श्री विभूति मिश्र :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने सम्पूर्ण देश में प्रत्येक गांव–गांव में अनधिकृत पुरातत्व स्थानों, स्मारकों और प्राचीन भग्नावशेषों का पांच वर्ष की अवधि में व्यापक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) जी हाँ। पुरातत्व संघ विभाग ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत परियोजना के रूप में समग्र देश के गांव–गांव में प्राचीन स्थानों और स्मारकों का सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् मुख्यालय[९]

†*१२२६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जनवरी, १९५७ में, पंजाब सरकार ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् के विचारार्थ यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि परिषद् का कार्यालय चण्डीगढ़ में स्थापित हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[९]Northern Zonal Council Headquarters.

(ख) और (ग). पंजाब सरकार ने इस सुझाव पर २३ अप्रैल, १९५७ को क्षेत्रीय परिषद् की प्रथम बैठक में इस पर विचार किया था और परिषद् ने यह कार्यालय दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६, की धारा २० (१) के अनुसार इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकर क्षेत्रीय परिषद् को ही है ।

छावनियों का विकास

*१२२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न छावनियों के विकास के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृत कार्यक्रम की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने २९ मई १९५७ के प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गये कार्यक्रम को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है और विभिन्न बोर्डों की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रतिवर्ष जितना निधि प्राप्य होगा, हर गए वर्ष में उनकी सफलता के अनुरूप, दिया जायगा ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी मुद्रा

†*९०८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ख) उपरोक्त विदेशी मुद्रा निधि का कितना अंश (१) संगठित औद्योगिक क्षेत्र और (२) लघु उद्योगों को दिया गया ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और ख). अनुमान है कि गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिये अपेक्षित वस्तुओं के आयात के लिये प्रत्येक वर्ष में दी कई विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी मांगी गई है। इस प्रकार आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में आंकड़े बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९)** संगठित उद्योग क्षेत्र और लघु उद्योगों के लिये अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रवृत्तियां

†१७३४. **श्री म० वें० कृष्ण राव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत और विदेशों में अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा १६५७–५८ में आंध्र प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति दी गई है; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने–कितने विद्यार्थी हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है। और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय स्मारक

१७३५. श्री श्रीनारायण दास . क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ से १६४७ तक स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए देश भक्तों की स्मृति में अखिल भारतीय स्मारक बनाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : प्रमुख कलाकार तथा शिल्पकारों से स्मारक के स्थान और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव मंगाए गए थे। उनके तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भेजे गए सुझाव विचाराधीन हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण स्कूल

१७३६. श्री रामजी वर्मा: क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ जुलाई १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण स्कूलों में पूरे और थोड़े समय के लिये काम करने वाले दोनों प्रकार के शिक्षकों को कितना वेतन तथा भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) इस स्कूल में भारतीय भाषाओं के पढ़ाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) जो शिक्षक भारतीय भाषायें पढ़ाते हैं क्या उनको स्कूलों में और दूसरे काम भी करने पड़ते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों (प्रोबेशनर्स) को हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ाने को थोड़े समय के लिये अध्यापक रखे जाते हैं। ये अध्यापक सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से लिये जाते हैं जिनकी नियुक्ति पूरे कोर्स के लिए हर साल होती है।

(ग) दो के अतिरिक्त और किसी को नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी यात्री

१७३७. **श्री हेडा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक कितने विदेशियों को भारत आने के लिये द्रष्टांक दिये गये; और

(ख) प्रत्येक देश से कितने यात्री आये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार ३० नवम्बर १९५७ तक २८,०२४ विदेशों को भारत में आने के वीसा दिए गए थे । यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने व्यक्ति वास्तव में भारत में आए ।

राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा कालेज, रामपुर

१७३८. **श्री राधा रमण :** क्या गृह-कार्य मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) आग बुझाने के बारे में राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा कालेज, रामपुर में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(ख) इस प्रशिक्षण की अवधि क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(घ) प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ; और

(ङ) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको किस वेतन पर नियुक्त किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) नेशनल फायर सर्विस कालेज में पढ़ाए जाने वाले विषय इस प्रकार हैं : प्रारम्भिक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जलगति विद्या, जलने योग्य वस्तुओं के तत्व तथा जलने के सिद्धान्त, भवन निर्माण के तत्व तथा सिद्धान्त, आग की रोकथान के सिद्धान्त तथा तरीके, आग बुझाना, जान तथा माल बचाना, नाश होने से बचाना तथा मकान आदि को गिराना, प्रारम्भिक तथा प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझानें की सेवाओं की व्यवस्था तथा प्रबन्ध, आग से सम्बन्धी कानूनी नियम ।

(यह कालेज अब रामपुर में नहीं है । जून १९५७ से यह नागपुर चला गया है)

(ख) विभिन्न प्रशिक्षण के कोर्स की अवधि नीचे दी गई है :—

आग बुझाने का प्रारम्भिक कोर्स . . .	१७ सप्ताह
जूनियर अफसर/जूनियर अफसर तथा प्रशिक्षक का कोर्स .	१९ सप्ताह
डिवीजनल तथा ऐसिस्टेन्ट डिवीजनल अफसर का कोर्स .	१२ सप्ताह

(ग) १०६

(घ) विभिन्न कोर्स में भर्ती के लिये उम्मीदवार राज्य सरकारों केन्द्रीय मंत्रालय आदि द्वारा उनके कर्मचारियों तथा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों में से ही भेजे जाते हैं । यदि फिर भी कुछ स्थान बच जाएं तो वे उन प्राइवेट उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मंगवा कर भरे जाते हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) भारत सरकार कालेज से पास करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का आश्वासन नहीं देती है किन्तु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आधीन आग बुझाने की सेवाओं में इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करें । आग बुझाने की सेवाओं के विभिन्न पदों के वेतनक्रम हर एक राज्य में अलग अलग हैं ।

अखिल भारतीय सेवा नियम

१७३६. श्री चांडक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित नियमों तथा विनियमों की कार्यान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है :

(क) अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें अविशिष्ट विषय);

(ख) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा निवृत्ति–उपदान) नियम ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों के परामर्श से इन नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसलिये इन्हें इस समय कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अपराध

१७४०. श्री चांडक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अपराधों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इन अपराधों के सम्बन्ध में १६५६ और १६५७ में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पुलिस सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से गश्त लगाती है । इसके अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबिल सादे कपड़े में ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं ।

(ख) सार्वजनिक उद्यानों और स्थानों पर होने वाले अपराधों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

उर्दू

१७४१. श्री चांडक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में उर्दू को प्रादेशिक भाषा घोषित करने के लिए क्या कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य पुनर्गठन से पूर्व अन्जुमन–––ए–तरक्की–उर्दू की ओर से कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि उर्दू को उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए । इसके बाद, नवम्बर, १६५६ में अन्जुमन की राजस्थान शाखा से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भाषाई अल्प-संख्यकों को संरक्षण देने के लिए सितम्बर १९५६ में एक ज्ञापन संसद् के समक्ष रखा गया था और उसमें निहित निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं।

नया करेंसी नोट प्रेस

†१७४२. **श्री जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रुपये और दो रुपये के नोट छापने के लिये नासिक में एक नया करेंसी नोट प्रेस आरम्भ किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो नया प्रेस किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है ;

(घ) इसके लिये बजट में कितना उपबंध है ;

(ङ) क्या यह सच है कि भवन तैयार न होने पर भी छपाई की मशीनें खरीदी जा चुकी हैं ; और

(च) मशीन की कीमत कितनी है और उसका आयात कब किया गया था तथा किस सार्थ मे इन्हें खरीदा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). इण्डिया सीक्यूरिटी प्रेस आजकल जहां बना हुआ है उससे आधे मील की दूरी पर एक नया करेंसी नोट प्रेस स्थापित किया जायेगा। आरम्भ में यह नवीन प्रेस एक रुपये के नोट छापेगा।

(ग) जी हाँ, ।

(घ) चालू वर्ष के बजट में ७१ लाख ५४ हजार रुपये का उपबंध है; कुल अनुमानित निधि का शेष भाग १९५८–५९ के बजट प्राक्कलन में सम्मिलित करने का विचार है।

(ङ) बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए और चीजों के भुगतान के लिये निर्माण जिस लम्बी अवधि का उल्लेख करते हैं ; उसे दृष्टिगत करते हुए भवन निर्मित होने के पहले ही आवश्यक मशीनों के लिये आर्डर दे दिया गया था।

(च) प्रमुख मशीनों की कुल लागत अनुमानतः ५० लाख रुपये है। आयात की जाने वाली मूल्य-मुख्य मशीनें बताने वाला ब्यौरा, उनके संभरणकर्ताओं के नाम और प्राप्ति सम्बन्धी कार्यक्रम लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१**]

जम्मू और काश्मीर को सहायता

†१७४३. **श्री याज्ञिक** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य को निम्न विषयों के सम्बन्ध में दी गई कुल रकम कितनी है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना; और

(२) १ नवम्बर, १६४७ से ३१ मार्च, १६५७ की अवधि में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये दी गई सहायता ;

(ख) राज्य सरकार को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और यथा समय लोकसभा के पटल पर रख दिये जायेंगे।

आन्ध्र प्रदेश में स्मारक

†१७४४. **श्री म० वें० कृष्ण राव :**
श्री बलराम कृष्णय्या :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आंन्ध्र प्रदेश के जिन स्मारकों का केन्द्रीय सरकार पर्यवेक्षण कर रही है उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे किन जिलों में किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) प्रत्येक स्मारक के संरक्षण तथा सुधार पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १२७।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी लोक सभा पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२**]

दिल्ली प्रशासन के नियमों आदि का हिन्दी में अनुवाद

†१७४५. **श्री वैं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों के उन सभी नियमों, रजिस्ट्रों, फार्मों तथा अन्य अभिलेखों की सूचियाँ रखने की कृपा करेंगे कि जिनका दिल्ली में नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना से पहिले तथा उसके बाद हिन्दी तथा उर्दू में अनुवाद किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्या-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चोरी छिपे लाये ले जाये गये सोने का पकड़ा जाना

१७४६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ नवम्बर, १६५७ को प्रशुल्क विभाग ने २०१० तोले सोने को, जिसका मूल्य २ लाख रुपया होता है और जिसे तस्कर व्यापारियों ने कालीकट से १० मील दूर कपात में समुद्रतल में छिपा रखा था, पकड़ा;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसी स्थान से कुछ समय पहले भी १५९० तोले सोना निकाला गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किय जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख) जी हां ।

(ग) ऐसी घटनाएं फिर न होने देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह क और क्रमशः जोरदार उपाय किये जा रहे हैं ।

कलकत्ता में ज़सि प्लैनेटेरियम[1] (ग्रह-मंडल की प्रतिकृति)

†१७४७. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी द्वारा दिये जाने वाले ज़सि प्लैनेटेरियम (ग्रह–मंडल की प्रतिकृति) को कलकत्ता में स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई को नालीदार लोहे की चादरों का संभरण

१७४८. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में अब तक पृथक रूप से बम्बई राज्य को जस्तेदार व नालीदार लोहे की कुल कितनी चादरें आवंटित की गई हैं ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री(सरदार स्वर्ण सिंह)** : वर्गवार आवंटन नहीं किये जाते हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्

†१७४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् की बैठक कब तक होने की सम्भावना है; और

(ख) वाद–विवाद के लिए विषय क्या है?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है । चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहिले बैठक बुलाये जाने की सम्भावना है ।

(ख) कार्यावलि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Zeiss Planetarium.

भ्रष्टाचार के मामले

†१७५०. श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से नवम्बर, १९५७ तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाये गए हैं ;

(ख) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी उनकी संख्या कितनी है;

(ग) न्यायालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था; और

(घ) अन्तर्ग्रस्त पदाधिकारियों के वर्ग क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). अगस्त से नवम्बर, १९५७ की अवधि में विशिष्ट पुलिस संस्थापन ने २३७ नए मामले पंजीबद्ध किये थे जिनमें केन्द्रीय सरकार के ३३२ कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे और इनमें से ५२ घोषित अधिकारी थे। इन मामलों में से तथा पिछले वर्षों के जिन मामलों की पहिले से ही जांच की जा रही है उनमें से ७८ मामलों के संबंध में विभागीय जांच का कार्य पूरा किया गया था और इनमें से ६४ मामलों में दण्ड दिया गया था जिनमें १५ घोषित तथा ५९ अघोषित अधिकारी थे;

इसी अवधि में ६१ मामलों में दण्ड दिया गया था जिनमें एक घोषित तथा २७ अघोषित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे और इसके अतिरिक्त ३४ गैर सरकारी व्यक्ति भी थे।

मंत्रालयों द्वारा जिन मामलों के संबंध में कार्यवाही की गई है उनके संबंध में इसी प्रकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले का वितरण

†१७५१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में विभिन्न राज्य सरकारों को कोयले के वितरण के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). इस प्रकार से कोयले का वितरण नहीं किया जाता है बल्कि पूर्ववर्तिता के आधार पर उद्योगों को आवंटन किये जाते हैं; लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें आजकल प्रवर्तमान पूर्ववर्तिताओं के अनुसार क्रमबद्ध किये गए उपभोक्ताओं के नाम दिखाये गए हैं [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]

संसदीय पुस्तकालय में एक विवरण रखा गया है जिसमें विभिन्न राज्यों में स्थित उद्योगों को सितम्बर, १९५७ के मास में (जिसके अन्ति आंकड़े प्राप्य हैं) दी गई मात्रा के आंकड़े दिए गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का वितरण

†१७५२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में विभिन्न राज्य सरकारों को इस्पात के वितरण के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) तथा (ख). इस्पात के आवंटन इसकी प्राप्यता तथा मांगों के आधार पर तथा पूर्ववर्तिता परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर किये जाते हैं।

उत्पादन शुल्क

†१७५३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०–५१ के बाद से पंजाब राज्य से उत्पादन शुल्क के रूप में प्रति वर्ष कितनी रकम वसूल होती रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक विकास संबंधी विशिष्ट निधि

†१७५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक विकास संबंधी विशिष्ट निधि की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या वैज्ञानिक ढांचे तथा संगठनात्मक ढांचे को अन्तिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदित किया जा चुका है।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के चालू सत्र (१७ सितम्बर १९५७ से आगे) में आर्थिक विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट निधि की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जा रहा है। वाद–विवाद के परिणाम के संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा सम्बन्धी नया कारबार*

†१७५५. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक), जोनवार, जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा संबंधी कुल कितनी रकम का नया कारबार पूरा किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : २५ नवम्बर, १९५७ तक जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा संबंधी पूरा किये गए नये कारबार की कुल राशि इस प्रकार है:—

जोन	राशि (करोड़ रुपयों में)
उत्तरी	२५.३०
मध्यवर्ती	२५.६१
पूर्वी	४२.७८
दक्षिणी	५४.२२
पश्चिमी	४४.३९

यूनेस्को

†१७५६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों के पारस्परिक अधिमूल्यन से संबंधित यूनेस्को को प्रमुख परियोजना संबंधी मंत्रणा समिति की बैठक बैरूत में बुलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

*New Life Insurance Business.

भारतीय चलार्थ का तस्कर व्यापार[*]

†१७५७. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ सितम्बर, १९५७ को झाबल (पंजाब) सीमा पर पाकिस्तान में सीमा पार कर रहे एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के नोट तथा कुछ अन्य निषिद्ध सामान पकड़ा गया था ;

(ख) उस से कौन-सी अन्य निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई थीं ; और

(ग) वह कितने समय से भारत में था ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां। २५ सितम्बर, १९५७ की रात को झाबल (पंजाब) सीमा पर एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन से, जबकि वह पाकिस्तान में चोरी छिपे माल ले जाने की चेष्टा कर रहा था उस समय १,०९,१०० रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा तथा अन्य निषिद्ध वस्तुयें पकड़ी गई थीं ।

(ख) मुद्रा के अतिरिक्त निषिद्ध वस्तुओं में $1\frac{1}{2}$ छटांक अफ़ीम तथा १७२ रुपये के मूल्य का कपड़ा था ।

(ग) वह इस घटना से केवल दो दिन पूर्व भारत आया था ।

ब्रिटेन से प्रतिरक्षा सामग्री का क्रय

†१७५८. { श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में तथा १९५७ में अब तक प्रतिरक्षा सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा ब्रिटेन में कुल कितनी कीमत के आर्डर दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : १९५६ में और १९५७ में अब तक सामग्री के क्रय के लिये ब्रिटेन को क्रमशः लगभग ४७२९ लाख रुपये तथा १२३०६ लाख रुपये के कुल आर्डर दिये गये हैं ।

पोस्त की काश्त

†१७५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कुल कितने एकड़ भूमि पर पोस्त की काश्त की जाती है ; और

(ख) १९५७-५८ में अब तक पोस्त उगाने वालों द्वारा कितने लाइसेंस रद्द किये गये हैं या वापिस किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

[*]Smuggling of Indian Currency.

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) तथा (ख).

१९५७-५८ की फ़सल में पोस्त की काश्त का कुल क्षेत्र	१९५७-५८ की फ़सल में पोस्त की काश्त करने वालों द्वारा रद्द किये गये अथवा लौटाये गये लाइसेंस
६५,६२५ एकड़	३४,१६८

केन्द्रीय अनुदान

†१७६०. श्री वोडयार : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में उन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय अनुदानों की कितनी राशि आवंटित की गई थी जो अब प्रत्येक राज्य में व्यपगत हो गई हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]

मनीपुर में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

†१७६१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन द्वारा जिस बढ़ी हुई वेतन श्रेणी की मंज़ूरी दी गई है उन से प्राथमिक स्कूलों के कितने अध्यापक वंचित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्कूलों के इन अध्यापकों को उन की लम्बी सेवा तथा अधिक आयु के कारण प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें नहीं दी गई हैं ; और

(ग) प्राथमिक स्कूलों के इन अध्यापकों पर बढ़ी हुई वेतन श्रेणी को लागू न करने का कारण क्या है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कोई नहीं ; क्योंकि १९५३ में स्वीकृत वेतन श्रेणियों में सभी अध्यापकों को अर्हताओं के अनुसार वेतन दिये जा रहे हैं ।

(ख) अप्रशिक्षित अध्यापकों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में गैर-सरकारी हाई स्कूल

†१७६२. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में गैर-सरकारी हाई स्कूलों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की वर्तमान श्रेणी आसाम की तुलना में कम है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन स्कूलों के सम्बन्ध में सहायक अनुदानों की श्रेणी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इन स्कूलों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों के लिये नई शर्तों का प्रस्ताव किया गया है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). जी, हां ।

मनीपुर में बुनियादी स्कूल

†१७६३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अब तक कितने बुनियादी स्कूल खोले जा चुके हैं और आने वाले वित्त सम्बन्धी वर्ष में कितने बुनियादी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन स्कूलों के लिये नियुक्त किये गये अध्यापकों की वेतन श्रेणी क्या है;

(ग) इन स्कूलों को कौन से उपकरण दिये जाते हैं ; और

(घ) क्या इन नये खोले गये स्कूलों के पास कृषि योग्य भूमि है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) १९ कनिष्ठ बुनियादी स्कूल पहिले ही खोले जा चुके हैं और १९५७-५८ में ४० स्कूल तथा १९५८-५९ में चालीस और स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में कनिष्ठ बुनियादी स्कूलों में वेतन श्रेणियां दिखाई गई हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ग) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उपकरण की सूची दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]

(घ) जी हां ।

निकोबार द्वीपों में परिवहन सुविधायें

†१७६४. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर तथा निकोबार द्वीपों के बीच परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार की है और उस की बारंबारता क्या है ;

(ख) निकोबार समूह में कार निकोबार तथा अन्य द्वीपों में यात्रियों तथा सामान के उतरने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कार निकोबार, नानकौरी, तथा अन्य द्वीपों में कोई अवतरणी, भरण-तट अथवा घाट हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) इस समय केवल एक सरकारी जहाज़ एम० बी० 'निकोबार' लगभग २ से ३ मास में पोर्ट ब्लेयर से मद्रास आते जाते समय कार निकोबार में जाता है। इस के अतिरिक्त मैसर्स अकूजी जटवेट एण्ड कम्पनी के जहाज़ अपने कारबार की आवश्यकताओं के अनुसार अनियमित अन्तराल पर पोर्ट ब्लेयर तथा निकोबार के बीच यात्रा करते हैं। ये जहाज़ यात्री तथा सामान, दोनों को ही लाते ले जाते हैं।

(ख) भू-भौगोलिक कारणों से कार निकोबार समूह में सभी यात्रियों तथा सामान को जहाज़ से तट तक तथा तट से जहाज़ तक मोटर किश्तियों, नौकाओं अथवा बेड़ों द्वारा लाया ले जाया जाता है ।

(ग) नानकौरी में पत्थर की एक छोटी सी अवतरणी को छोड़ कर निकोबार द्वीपों में अन्य किसी स्थान पर ऐसी कोई सुविधायें नहीं हैं ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा

†*१७६५. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों में सामान्य रूप से शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का संगठन करने तथा सुधार करने के लिये १६५५ की शिक्षा-समिति की प्रतिवेदन के अनुसार सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं और क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि द्वीपों में शिक्षा सम्बन्धी सामान्य स्थिति अब आगे से अच्छी है ;

(ख) क्या सरकार ने अब द्वीपों के लिये एक शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ;

(घ) क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अब स्कूल खोला जा चुका है ; और

(ङ) क्या अब और प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जा चुके हैं और क्या अब नियुक्त किये गये अध्यापकों को समिति की सिफ़ारिश के अनुसार अच्छी तरह से हिन्दी आती है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफ़ारिश मुख्यायुक्त द्वारा पहिले ही लागू की जा चुकी हैं। लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में कार्यान्वित सिफ़ारिशें दिखाई गई हैं। [देखिये परिशिट ४, अनुबन्ध संख्या ६७] सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है।

(ख) जी, नहीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) यह मामला चुनाव के लिये लम्बित है। अभी तक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं ढूंढा जा सका है। इस सम्बन्ध में कुछ उम्मीदवारों से प्रत्यक्ष भेंट करने की सम्भावना है और आशा है कि इस के बाद शीघ्र ही नियुक्ति की जायेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कानपुर में विश्वविद्यालय

†१७६६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से १९५४ में कानपुर में एक प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था और यह राय प्रगट की थी कि राज्य सरकार द्वारा जिस प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय का सुझाव दिया गया है उस की अपेक्षा कानपुर में उत्तरी उच्च प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित की जायेगी। केन्द्रीय सरकार ने कानपुर में प्रौद्योगिकीय संस्था स्थापित करने का निर्णय कर लिया है।

गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस वर्कशाप

†१७६७. **श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस में वर्कशाप के कृत्य क्या हैं ; और

(ख) क्या वर्कशाप में रखी वस्तुओं तथा वर्कशाप में तैयार होने वाली वस्तुओं की कोई जांच पड़ताल की जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) इंडिया सीक्योरिटी प्रेस वर्कशाप के कृत्यों में ये कार्य शामिल हैं : प्रेस में लगी हुई मशीनरी को लगाना, बनाये रखना और मरम्मत करना, जहां तक व्यवहार्य हो मशीनरी के फ़ालतू पुर्जे बनाना व्यादेशकों तथा कोषागारों को प्रेस में तैयार होने वाली वस्तुयें भेजने के लिये माल बन्द करने की पेटियां तैयार करना और प्रेस क्षेत्र में सड़कों को ठीक बनाये रखना और उन की मरम्मत करना।

(ख) जी, हां। मुख्य कारखाने की भांति ही वर्कशाप में भी सुरक्षा सम्बन्धी जांच पड़ताल की जाती है। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये कार्य के व्यादेशों की बिना पर ही वर्कशाप में कार्य किया जाता है और किये गये कार्य, काम के घंटों तथा उपयुक्त सामग्री के नियमित अभिलेख रखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों के निजी कर्मचारी

१७६८. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह-कार्य मंत्री ८ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कितने मंत्रियों के पास इस समय ६ से अधिक निजी कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रियों के कुछ निजी सचिव, जिन को वे अपने राज्यों से अपने साथ लाये थे, अब अवर सचिव के रूप में नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) . (क) पांच ।

(ख) जी नहीं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

१७६९. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) यह धन-राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई ;

(ग) कितनी धन-राशि व्यपगत हुई और कितनी वापस कर दी गई ;

(घ) इस के कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग), एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८**]

(घ) राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप काम में रुकावट पैदा होना ही इस का मुख्य कारण ।

(ङ) तथा (च). १९५६-५७ का प्रगति-विवरण राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया जा रहा है ।

प्रविधिक कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

१७७०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट और प्रविधिक कामों में लगे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी बनाने के लिये कोई नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत टेक्नीकल और विशिष्ट कामों में लगे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये कोई अलग नियम नहीं हैं। विभिन्न श्रेणियों और सेवाओं के अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये जो आदेश समय समय पर जारी किये जाते हैं वे अस्थायी कर्मचारियों की सब श्रेणियों पर समान रूप से लागु होते हैं चाहे वे टेक्नीकल या नान-टेक्नीकल सेवाओं और पदों पर हों।

भाषायी अल्पसंख्यक[1]

†१७७१. **श्री याज्ञिक :**
श्री महन्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये नियुक्त किये गये विशिष्ट अधिकारी को क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) विशिष्ट अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को प्रथम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा और

(ग) इसे संसद् के समक्ष कब रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये नियुक्त किये गये आयुक्त को कुछ सन्थाओं से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग). भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये उपबन्धित परित्राणों से सम्बन्धित मामलों की आयुक्त द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और वह यथासमय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा इस सम्बन्ध में इस प्रक्रम पर तिथि के बारे में कुछ बताना सम्भव नहीं है।

बम्बई के लिये विकास बोर्ड

†१७७२. **श्री याज्ञिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद ३७१(२) के उपबन्ध के अनुसार सरकार बम्बई राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जैसाकि पिछले सितम्बर में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था बम्बई सरकार ने १९५६ में मंत्रियों की अन्तर्राज्यिक समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार छः प्रशासनिक डिवीज़नों में से प्रत्येक के लिये विभागीय विकास परिषदें स्थापित की हैं। अनुच्छेद ३७१ (२) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Linguistic Minorities

दिल्ली में माध्यमिक स्कूल

१७७३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों के लिये भवन बनाने के लिये इस्तेमाल किया गया सामान बहुत ही घटिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिताओं ने इस के खलाफ दिल्ली प्रशासन से विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा कर्मचारी

†१७७४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितनी वेतन वृद्धि दी जाती है;

(ख) क्या यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष दी जाती है अथवा कुछ वर्षों के पश्चात् ;

(ग) क्या हर चौथे वर्ष इकट्ठी वेतन वृद्धि दिये जाने से कर्मचारियों को कुछ हानि नहीं होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). त्रिपुरा प्रशासन के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के दो वेतन क्रम हैं । ये वेतन क्रम पश्चिमी बंगाल में ऐसी ही श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन क्रमों के आधार पर निश्चित किये गये हैं । पहला वेतनक्रम ३०–१/२–३५–१–४५ रुपये का है । इस में पहले १० साल तक हर दूसरे वर्ष के बाद वेतन वृद्धि दी जाती है और उस के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है । दूसरा वेतन-क्रम २०–१/४–२५ रुपये का है । इस में हर चौथे वर्ष वेतन वृद्धि दी जाती है । जहां पर दूसरे वर्ष वेतन वृद्धि देने का उपबन्ध है वहां पर दो वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद 'इंक्रीमेंट' दिया जाता है और जहां पर चार वर्ष पश्चात् वृद्धि देने का उपबन्ध है वहां पर चार वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् 'इंक्रीमेंट' दिया जाता है ।

(ग) और (घ). दो वर्ष तथा ४ वर्ष के बाद मिलने वाली वेतन-वृद्धि वेतन में वार्षिक रूप से संकलित नहीं की जाती है । यह २ अथवा ४ वर्ष के बाद, जैसे भी वह देय हो, दी जाती है । इसलिये इस की वार्षिक 'इंक्रीमेंट' से तुलना नहीं की जा सकती । इन वेतनक्रमों को निश्चित करते समय, जिस में न्यूनतम अथवा अधिकतम वेतन भी सम्मिलित है, यह ध्यान रखा जाता है कि इस वृद्धि के दो वर्ष के बाद अथवा चार वर्ष के बाद मिलने की दशा में, वेतन वृद्धि से मिलने वाली कुल राशि उस राशि से कम होती है जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने की दशा में प्राप्त होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में सड़कें

†१७७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सब-डिवीज़नल नगरों की सड़कें अच्छी हालत में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सबडिवीज़नल नगरों की सड़कें कच्ची हैं ।

(ख) यह सड़कें अब क्षेत्रीय परिषद् के अधीन हैं ।

सशस्त्र बलों के आपातकालीन कर्तव्य

†१७७६. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या १९५७ के वर्ष में सशस्त्र बलों को देश के किसी भाग में निम्नलिखित कर्तव्य करने के लिये कहा गया था :

(१) बाढ़, भूचाल तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित क्षेत्रों के व्यक्तियों की सहायता करना ;

(२) विकास तथा जल विद्युत योजनाओं के लिये उपयोगी फोटोग्राफिक सर्वेक्षण करना ;

(३) बंजर भूमि को उपयोगी बनाना ; और

(ख) यदि हां, तो देश के किन किन भागों में ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख). (१) जी हां. उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में ।

(२) जी हां, बम्बई, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर में ।

(३) जी नहीं ।

हिन्दी पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां

†१७७७. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ऐसे लोगों को जिन्हों ने साहित्य रत्न की परीक्षा पास की है तथा जिन्हों ने बी० ए० में हिन्दी ली है, हिन्दी में एम० ए० करने के लिये छात्रवृत्तियां देने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी को कितनी छात्रवृत्ति दी जायेगी ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश को इस कार्य के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में मैट्रिक्यूलेशन के बाद हिन्दी पढ़ने के लिये विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये भारत सरकार की एक स्कीम १९५५-५६ से चालू है। हिन्दी में एम० ए० करने के लिये यह शर्त है कि विद्यार्थी की बी० ए० में कम से कम द्वितीय श्रेणी हो तथा उस ने हिन्दी में ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। साहित्य रत्न को अतिरिक्त अर्हता माना जाता है।

(ख) एम० ए० के लिये छात्रवृत्ति की राशि १००) रुपये है यदि वह विद्यार्थी उसी राज्य में पढ़े। किन्तु अगर विद्यार्थी किसी हिन्दी भाषी क्षेत्र में जा कर पढ़े तो उसे १२५) रुपये दिये जाते हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये कोई निश्चित राशि नहीं निर्धारित है। छात्रवृत्तियां जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। आंध्र प्रदेश को विभिन्न कोर्सों के लिये २० छात्रवृत्तियां दी गई हैं जिन का विवरण इस प्रकार है।

इंटरमीजियेट तथा डिग्रीपूर्व अध्ययन के लिये १० छात्रवृत्तियां, बी० ए० अथवा तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के लिये ५ छात्रवृत्तियां, एम० ए० कोर्स के लिये ५ छात्रवृत्तियां।

लघु बचत योजना

†१७७८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में लघु बचत योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिये कार्यकर्ताओं को क्या क्या विशेष कार्य सौंपे गये हैं ;

(ख) क्या स्थानीय संस्थायें जैसे स्थानीय अधिकारी, शिक्षा संस्थायें, सरकारी विभाग आदि भी राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेटों तथा ट्रेज़री सेविंग्स डिपाज़िट सर्टिफिकेटों में रुपया जमा कराते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। सामुदायिक परियोजना प्रशासन की मदद इन कार्यों के लिये ली जा रही है जैसे प्राधिकृत एजेन्टों की नियुक्ति, खण्ड विकास क्षेत्रों में लघु बचत योजना को प्रोत्साहन देना, जिस में गांवों में प्रचार करना भी सम्मिलित है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार साहित्य का बांटना तथा लघु बचत योजनाओं को अधिक बढ़ावा देने के लिये कुछ चुने हुए केन्द्रों में विशेष परीक्षण परियोजनाओं का संचालन आदि।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों, शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट और ट्रेज़री सेविंग्स डिपाज़िट सर्टिफिकेट्स में रुपया जमा कराया जाता है। इन सर्टिफिकेटों में सरकारी निधियों के जमा कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक संस्था कितना रुपया जमा कराती है इस बात के कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा

†१७७९. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्रीमती उमा नेहरू :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के एक विशेषज्ञ ने भारतवर्ष में बुनियादी शिक्षा के कार्य पर सरकार को एक रिपोर्ट दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक अधिकारी ने—विशेषज्ञ ने नहीं—जोकि भारत सरकार के मंत्रालय से सम्बन्धित है बेसिक शिक्षा पर एक टिप्पण तैयार किया है ।

(ख) उसकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार इस अधिकारी द्वारा अभिव्यक्त व्यक्तिगत विचारों से सहमत नहीं है । फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान बुनियादी स्कूलों में अन्य स्कूलों की भांति अभी काफी सुधार किया जा सकता है । बुनियादी शिक्षा पद्धति परम्परागत चली आ रही शिक्षा पद्धति से उत्तम है । इस बात में भी कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है ।

भूतपूर्व सैनिकों का नौकरी में लगाया जाना

†१७८०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५५ से आज तक राजस्थान के कितने भूतपूर्व कर्मचारियों को नौकरी में लगाया गया है विशेष रूप से बीकानेर डिवीज़न में ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : अप्रैल, १९५५ से सितम्बर, १९५७ की अवधि में राजस्थान के ६७२ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा प्राइवेट नौकरियों में लगाया गया है । इन में से ३२ भूतपूर्व सैनिक बीकानेर डिवीज़न के थे तथा उन्हें उसी डिवीज़न में नौकरी दिलाई गई है ।

स्टेनलेस स्टील

†१७८१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री घोषाल :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री राष्ट्रीय धातु वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा खोज की गई स्टेनलेस स्टील बनाने की नई पद्धति का विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: इस नई पद्धति के अनुसार निकल का, जिसे कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिये परम आवश्यक समझा जाता था, बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता । इस की बजाय मेंगनीज़ का इस्तेमाल होता है । भारतवष म निकल नहीं मिलता है परन्तु मेंगनीज़ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । विद्युदंशिक मेंगनीज़ बनाने के लिये निम्न प्रकार के मेंगनीज़ से ही काम चल जाता है और इसी मेंगनीज़ को स्टेनलेस स्टील के निर्माण के काम में लाया जाता है । इस स्टेनलेस स्टील में नाइट्रोजन की बड़ी ऊंची मात्रा रहती है और इसे धातु मिश्रण तथा अन्य स्टेनलेस स्टील तैयार करने वाली सामान्य भट्टियों में ही बनाया जा सकता है तथा इस को पिघलाने व इस पर पान चढ़ाने की विधियों को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों के लिये कारीगर

१७८२. **श्री सरजू पांडे** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरेकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों में इस समय कितने कारीगर काम कर रहे हैं ;

(ख) इन में से कितने विदेशी हैं ;

(ग) क्या कारीगरों की संख्या वर्तमान मांग के अनुसार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)

	रूरकेला . .	४९२
	भिलाई . .	९५६
	दुर्गापुर . .	३६०
(ख)	रूरकेला . .	१
	भिलाई . .	१०६
	दुर्गापुर . .	..

उपर्युक्त (क) तथा (ख) में प्रयुक्त अंक केवल इंजीनियरों तथा प्रबन्धक कर्मचारियों के लिये प्रयोग किया गया है जिन्हें प्रोजेक्टों ने प्रत्यक्ष रूप से भरती किया है । इन के अतिरिक्त उन शिल्पिक कर्मचारियों की पर्याप्त मात्रा है जिन्हें ठेकेदारों तथा शिल्पिक सलाहकारों ने लगा रखा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अधिकतर माध्यमिक तथा उच्चतम दर्जे के इंजीनियरों की कमी है । अनुभवी व्यक्ति मुश्किल से मिलते हैं ।

उसमानिया विश्वविद्यालय

†१७८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उसमानिया विश्वविद्यालय के स्नातकों का २४ नवम्बर, १९५७ को एक सम्मेलन हुआ था और उसमें उन्होंने एक संकल्प के द्वारा सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह न तो विश्वविद्यालय की वर्तमान पद्धति को ही बदले और न विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार उसके चार्टर में कोई परिवर्तन करे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत सरकार को इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

कोलम्बो योजना

†१७८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उस समय से अब तक कितने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है तथा उनमें से कितने भारत आये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी सेवाओं का कैसे उपयोग किया गया है; और

(ग) १९५१ से लेकर इन विशेषज्ञों द्वारा किये गये कार्यों का भार संभालने के लिये कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) ३१ विशेषज्ञों से प्रार्थना की गई तथा १९ विशेषज्ञ भारत आये ।

(ख) इन विशेषज्ञों की सेवाओं का निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग किया गया :—

विशेषज्ञों की संख्या	जिन क्षेत्रों में परामर्श लिया गया
१	कोयला धोना (कोल वाशिंग)
२	रेशम कीट पालन
१	खनन इंजीनियरी
८	भारत में दूसरा नौ प्रांगण (शिपयार्ड) बनाने के लिये
१	आपथलमालोजी गवेषणा
१	डाक व तार की केबलों के लिये
१	जलविद्युतीय इंजीनियरी
१	कृषि इंजीनियरी
२	न्यूरो सर्जरी
१	हैदराबाद स्टाफ कालिज का संगठन

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

जेल सुधार विशेषज्ञ समिति

†**१७८६. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री जेल सुधार विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** इस समिति में ये सदस्य हैं । बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल राज्यों के जेलों के इंस्पेक्टर जनरल, टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइन्सेस के अपराध-विज्ञान विभाग के प्रमुख जी जे० जे० पंकल, बम्बई की जेलों के सुपरिन्टेंडेंट श्री डी० जे० जाधव, मद्रास के चीफ़ प्रोबेशन सुपरिन्टेंडेंट, श्री वी० कृष्ण मेनन, और गृह-कार्य मंत्रालय के श्री सी० पी० एस० मेनन ।

लौह अयस्क परियोजना

†**१७८७. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेसिडेंट निधि के अन्तर्गत लौह अयस्क परियोजना के लिये रेल पोर्ट तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). कदाचित माननीय सदस्य का निर्देश जापानी प्रविधिक टीम द्वारा, जो कि अभी भारत में है, किये जा रहे सर्वेक्षण की ओर है। अभी यह पूर्ण नहीं हुआ है ।

हिमाचल प्रदेश में कोयला

१७८८. श्री पद्म देव: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पोण्टा में उपलब्ध कोयले के नमूने की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). नमूने की जांच की गई है और विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त हुये उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

लगभग २ औंस वजन के खनिज पदार्थ का प्रथम विश्लेषण

		प्रतिशत
१.	नमी	३.१३
२.	राख	३७.६९
३.	वाष्पशील पदार्थ	२९.९२
४.	निश्चित कार्बन	२९.२६
५.	राख का रंग	लाल जामनी
६.	कोक की प्रकार	कुरकुरा
७.	गंधक (कुल)	२२.७३
उष्मीय मूल्य		
प्रति ग्राम कलरीज़		४६७८
प्रति पाउण्ड वी० टी० यू०		८४२०

कोयले में गंधक और बिटुमिनस की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुये यह कोयला निम्न श्रेणी का समझा गया है और इसका खनन आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है ।

चांदमारी क्षेत्र[1*]

†**१७८९. श्री इगनेस बेक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार सैनिक चांदमारी क्षेत्रों के लिये कुछ भूमि अर्जित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी भूमि चाहिये तथा ये भूमि किन किन राज्यों तथा जिलों में ली जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) बम्बई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में सैनिक चांदमारी क्षेत्रों के लिये कुछ भूमि लेने का विचार है। किन्तु ये प्रस्ताव अभी सम्पूर्ण नहीं हुये हैं ।

(ख) अभी इस अवस्था पर यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1*]Field Firing Ranges.

"आर्डनेन्स फैक्टरी न्यूज"

†१७९०. **श्री स० म० बनर्जी:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कारखानों के कर्मचारियों में उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिये "आर्डनेंस फैक्टरी न्यूज़" पत्रिका में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में एक लेखमाला प्रकाशित करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न यूनियनों से भी इस सम्बन्ध में लेख लिखने के लिये कहा गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर समय समय पर लेख निकलते रहते हैं ।

(ख) जी नहीं । सभी कर्मचारियों को उसके लिये लेख लिखने की छूट है ।

जीवन बीमा निगम सेंट्रल जोन कानपुर के कर्मचारी

†१७९१. **श्री बै० ना० कुरील:** क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने तथा इस सम्बन्ध में सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम के सेंट्रल जोन, कानपुर, में जुलाई १९५७ में टाइपिस्टों तथा एसिस्टेंटों की जो भर्ती हुई थी उसके सम्बन्ध में अब तक क्या विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** भारत के जीवन बीमा निगम के सेंट्रल ज़ोन, कानपुर में जुलाई १९५७ में जो टाइपिस्ट तथा एसिस्टेंट रखे गये हैं उन्हें लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर रखा गया है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये औपचारिक रूप से कोई स्थान नहीं सुरक्षित किये गये थे, किन्तु जिस समिति ने इंटरव्यू लिये उसे यह अनुदेश दिये गये थे कि यदि इन जातियों का कोई उम्मीदवार हो तो उसका विशेष ध्यान रखा जाये ।

उच्चन्यायालय

†१७९२. **श्री मों० ब० ठाकुर:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ के अन्त में प्रत्येक उच्चन्यायालय में कितने दांडिक तथा व्यवहार वाद अनिर्णीत पड़े थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०**]

बोकारो कोयला क्षेत्र

†१७९३. **श्री श० च० गोडसोरा:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की नई कोयला खानों में, विशेष कर **बोकारो** कोयला क्षेत्र में काठरा की खानों में, अब तक खनन कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या किसी ऐसे पक्ष ने जिसके कि पट्टाधिकार पर कोयला (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत भूमि के अर्जन से कोई प्रभाव पड़ा हो, सरकार के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के खनन कार्य में कितनी प्रगति हुई है इसकी सूचना १२ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६४ के उत्तर में दे दी गई है। पाठरा के बारे में स्थिति इस प्रकार है कि वहां पर ड्रिलिंग (छिद्र करने) तथा प्रास्पेक्टिंग (पूर्वेक्षण) का कार्य समाप्त हो चुका है अब वहां पर कोयला निकालने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। कोयला क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा ९(१) के अन्तर्गत ३२८३.२९ बीघे भूमि तथा १३९२.७ बीघे भूमि में खनन अधिकारों का अर्जन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि तथा खनन अधिकारों पर कब्जा भी ले लिया है।

(ख) यह सूचना मिली है कि मेसर्ज़ बोकारो एण्ड रामपुर लिमिटेड ने हज़ारी बाग़ के सबोर्डीनेट जज के न्यायालय में कोयला क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की वैधता के विरुद्ध एक वाद दायर किया है।

खनन पट्टा नियंत्रक

†१७९४. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन पट्टा (शर्तों में रूप भेद) नियम, १९५६, के अन्तर्गत अभी तक कितने खनन पट्टा नियन्त्रक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक का कितना क्षेत्राधिकार है; और

(ग) अक्तूबर १९५७ तक उन्होंने कितने मामले तय किये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). २१-११-५६ तथा १-५-५७ को उत्तरी सर्कल तथा दक्षिणी सर्कल के लिये क्रमशः दो खनन पट्टा नियन्त्रक नियुक्त किये गये थे। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम के राज्य तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मनीपुर के संघ क्षेत्र सम्मिलित हैं। दक्षिणी क्षेत्र में राजस्थान, बम्बई, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर मद्रास तथा केरल के राज्य सम्मिलित हैं। किन्तु १ दिसम्बर, १९५७ से उत्तरी क्षेत्र के खनन पट्टा अधिकारी का पद मितव्ययता योजना के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है और अब सम्पूर्ण भारत में नागपुर स्थित खनन पट्टा नियन्त्रक का क्षेत्राधिकार लागू कर दिया गया है।

(ग) (१) पंजीबद्ध वादों की कुल संख्या ८६५

(२) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें खनन पट्टा (शर्तों में रूप भेद) नियम, १९५६, के नियम ६ (११) के अनुसार 'शो कॉज' नोटिस ('कारण बताओ' नोटिस) दिये गये हैं ३७१

(३) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अन्तिम आदेश दिये गये हैं . . ९

(४) ऐसे मामले जिन में और सूचना देने के लिये कहा गया है . . १९९

(५) ऐसे मामले जिन को इसलिये समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनमें तथा खनिज छूट नियमों में कोई अन्तर नहीं था अथवा क्योंकि वे 'वर्तमान' पट्टे नहीं थे अथवा जिन्हें कुछ ऐसे ही कारणों से बन्द कर दिया गया है . २८६

†मूल अंग्रेजी में

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट स्तर की शिक्षा

१७९५. श्री मोहन स्वरूप : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट के स्तर की शिक्षा में कोई व्यापक सुधार करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त करने जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि शिकागो विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा० ब्लूम से इस विषय में कोई पत्र व्यवहार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य उच्च माध्यमिक बहुधंधी स्कूलों की स्थापना करना और इन्टरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करना है, १९५४–५५ में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर पहले ही शुरू किया जा चुका है, और आगे भी जारी रहेगा ? इसमें न तो किसी परिवर्तन का प्रस्ताव है और न ही किसी आयोग की नियुक्ति का ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चूंकि डा० ब्लूम एक परीक्षा विशेषज्ञ हैं अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट

†**१७९७. श्री बहादुर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९५७ में हुई असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्ट की परीक्षा में कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है ;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार हैं ;

(ग) क्या यह संख्या उनके लिये सुरक्षित स्थानों की संख्या के बराबर है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार उनके लिये सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल १९५७ में ली गई असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों की परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप

†**१७९८. श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अनुमानतः कुल कितना लौहअयस्क है; और

(ख) यह कितना तथा किस किस्म का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) आन्ध्र में लगभग ४३०० लाख टन लौह अयस्क के संचिति होने का अनुमान है ।

(ख) प्रत्येक प्रकार के लोहे की मात्रा तथा किस्म का विवरण इस प्रकार है :

जिला	मात्रा (१० लाख टनों में)	प्रकार (लोहे की वास्तविक मात्रा)
गुन्टूर तथा नेल्लोर . . .	२९६	३३ प्रतिशत से ३७ प्रतिशत
हैदराबाद . . .	३७	३७ प्रतिशत से ४३ प्रतिशत
करनूल	३.७	५० प्रतिशत से ६५ प्रतिशत
कुल . . .	४२९.७	अथवा लगभग ४३०० लाख टन

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†१७९९. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन तथा सदस्यों को क्या वेतन दिया जा रहा है ; और

(ख) १९५६–५७ में इनके वेतन पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: चेयरमैन को २,००० रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है और बोर्ड के सदस्य अवैतनिक होते हैं किन्तु उन्हें बोर्ड के कार्यों के लिये दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

(ख) ३३,९६९ रुपये १ आना ।

आचार्य जगदीश चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी

१८००. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान अगले वर्ष आचार्य जगदीश चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी मनाने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) तथा (ख). बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ने, सरकार को १९५८ में आचार्य जगदीश चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी मनाने के बारे में एक अस्थायी कार्यक्रम भेजा है तथा साथ ही कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये कहा है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में इस्टीट्यूट को इस कार्य के लिये कुछ अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में .

इन्फ्लूएन्जा महामारी

१८०१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री १३ अगस्त, १९५७, के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली स्थित भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों में से इन्फ्लूएन्जाग्रस्त व्यक्तियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) आश्वासन दी गई सूचना का एकत्रीकरण लगभग पूरा हो गया है ।

(ख) जी हां, पूरी सूचना प्राप्त होते ही ।

हिन्दी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनी

१८०२. **श्री सरजू पांडे :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल दिल्ली में आयोजित हिन्दी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनी पर कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) क्या उक्त प्रदर्शनी को देश के अन्य भागों में भी आयोजित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और कहां ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सब सम्बद्ध पक्षों से अभी बिल प्राप्त नहीं हुये हैं । परन्तु इस कार्य के लिये १२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) तथा (ग). यह विषय विचाराधीन है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १८ फरवरी, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ३५४ ।

(२) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ नवम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २४९६ ।

(३) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १७ नवम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २६९२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

(४) दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २९४६ ।

(५) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १५ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०३२ । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० — ४४५/५७]

खनन पट्टे (शर्तों में रूप भेद) नियम, १९५६ में संशोधन

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप भेद) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८८२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० — ४४६/५७]

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो १६ दिसम्बर, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री न० र० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : अनियत दिन वाले प्रस्ताव के लिये कोई समय नियत नहीं किया गया है । अतः मेरा निवेदन है कि उसके लिये भी कुछ समय नियत किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : दार्जिलिंग सम्मेलन के सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रस्ताव है । उसके लिये भी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगली बैठक में इन पर निश्चय किया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं निवेदन करता हूं कि श्रीमान् इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि आप उन प्रस्तावों को गृहीत कर चुके हैं । अतः यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जायेगा तो वे प्रस्ताव रह जायेंगे ।

नये कार्य आने पर लोक महत्व के दूसरे विषय रह जाते हैं । यदि ऐसे प्रस्ताव न लिये जायें तो बहुत सी लाभदायक बातें रह जाती हैं । इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** : मेरे प्रस्ताव में केवल तीन बातों से सम्बन्धित समय की बात है। वास्तव में उन विषयों पर ध्यान देने का समिति को समय ही न मिला। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। यह निर्णय दोबारा भी किया जा सकता है। इसलिये इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी बैठक बुलाऊंगा और तब उन बातों का निर्णय होगा। प्राथमिकता का निर्णय सदन के नेता करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से जो १६ दिसम्बर, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वेतन आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : श्रीमान् मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। सरकार ने वेतन आयोग से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिये एक प्रतिवेदन प्राप्त किया है; उनकी अन्तिम सिफारिशें बाद में आयेंगी। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० —४४७/५७]**

उनका विचार है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन २५० रुपये से कम है उनके महंगाई भत्ते में ५ रुपये की वृद्धि कर दी जाये और उन्होंने इसी के लिये सिफारिश भी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह वृद्धि १ जुलाई, १९५७ से होनी चाहिये।

सरकार आयोग की सिफारिश स्वीकार करती है।

सदस्य की दोष सिद्धि

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को बताना है कि मुझे जिला दण्डाधिकारी कानपुर का १५ दिसम्बर, १९५७ का यह बे-तार का संदेश मिला है :—

"लोक-सभा के सदस्य श्री जगदीश अवस्थी को, जिन्हें कानपुर के जिला दण्डाधिकारी द्वारा 'रिलीजियस लीडर्स' पुस्तक के प्रकाशन पर आन्दोलन के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश का उल्लंघन करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत २१ सितम्बर, १९५६ को गिरफ्तार किया गया था, कानपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है और उन्हें १०० रुपये का अर्थदंड अथवा उसके न देने पर एक मास के कठोर कारावास का दंड दिया गया है। उनको अर्थदंड देने के लिये तीन सप्ताह का समय दिया गया है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अनर्हता निवारण अधिनियम, १६५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा को स्मरण होगा कि जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो कार्य मंत्रणा समिति ने स्वीकार कर लिया था कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये । उस समय यह समझा गया कि चूंकि १६५४ का विधेयक ३१ दिसम्बर, १६५७ को समाप्त हो जायेगा इस कारण इस अधिनियम को विस्तृत करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये ।

कल सभा इस बात पर सहमत हो गई कि संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १६५७ को संयुक्त समिति को सौंपा जाये । हमने अब यह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है कि इस अधिनियम को ३१ दिसम्बर, १६५८ तक और बढ़ा दिया जाये । उस विधेयक पर पूरी चर्चा होगी। इस बीच में हम यह भी नहीं चाहते कि किसी सदस्य को किसी प्रकार की अनर्हता का कष्ट हो।

मैं आशा करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनर्हता निवारण अधिनियम, १६५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे अवसरों पर सभा स्वभावतः ऐसी समस्याओं में ही दिलचस्पी लेती है जिनका भारत से सीधा सम्बन्ध होता है यानी वे समस्यायें जो हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, गोआ और लंका इत्यादि से सम्बन्ध रखती हैं। निस्संदेह हम उन समस्याओं में दिलचस्पी रखते हैं तथापि इस समय मैं उन समस्याओं का बहुत थोड़ा सा या बिल्कुल ही जिक्र नहीं करूंगा। केवल आवश्यकता होने पर यदि विरोधी पक्ष के सदस्य किसी ऐसे पहलू पर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता होगी तभी मैं अपने उत्तर के दौरान में उनका जिक्र करूंगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा प्रारम्भ करने में मुझे जहां एक ओर सुविधा है तो दूसरी ओर असुविधा भी है। सब से बड़ी सुविधा तो यह है कि सरकार की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में देश तथा इस सभा में इतने मतैक्य है कि मेरे लिये हमारी नीति का केवल दुहराना ही बाकी रह जाता है क्योंकि सभा के इस पक्ष के तथा विरोधी पक्ष के सदस्य भी इस नीति का समर्थन ही करते हैं, भले ही वे कभी कभी आलोचना करते हों और किसी विषय के एक खास पहलू पर अधिक ज़ोर डालने को कहते हों जिस पर उनके अनुसार अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। किन्तु सामान्यतया वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी नीतियों का समर्थन एवं सराहना ही करते हैं। जहां तक मेरा तथा सरकार का सम्बन्ध है पिछले वर्षों के अनुभव से हमारा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के औचित्य पर विश्वास बढ़ता जा रहा है।

मैं उन एक दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय नीति के व्यापक पहलुओं से सीधा सम्बन्ध नहीं है तथापि उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उनसे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो रही है। इन में से एक बात इन्डोनेशिया के सम्बन्ध में है। सभा पश्चिमी इरीयन के सम्बन्ध में, जिस पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है हमारी नीति जानती है। हमारा यह विचार है कि व्यापक बातों को ध्यान में रखते हुये तथा दोनों पक्षों के बीच हुये समझौते की व्याख्या के अनुसार भी पश्चिमी इरीयन को इन्डोनेशिया में ही शामिल होना चाहिये। हमारा यह भी मत है कि अन्य बातों की तरह इस समस्या का हल भी वार्ता द्वारा शान्तिपूर्वक होना चाहिये, भले ही उसमें कुछ समय लगे। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत एक संकल्प के असफल होने पर जो घटनायें हुईं उनसे हमें बहुत चिन्ता हो रही है। वह संकल्प बहुत उदार और राजनीति के अनुसार भी औचित्यपूर्ण था। वास्तव में हम उस संकल्प के लिये यह नहीं कह सकते कि वह पूर्णतः असफल हुआ क्योंकि उस संकल्प को बहुमत तो प्राप्त हो गया था लेकिन उसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। वस्तुतः संकल्प के पक्ष में ४१, विपक्ष में २९ मत प्राप्त हुये और कई देश अनुपस्थित रहे। उक्त विनम्र और औचित्यपूर्ण संकल्प के अस्वीकृत हो जाने का अच्छा नतीजा नहीं निकला क्योंकि यह दोनों पक्षों द्वारा समस्या पर अग्रेतर चर्चा चलाने का प्रयत्न था। इसकी असफलता की इन्डोनेशिया में बहुत बुरी प्रतिक्रिया हुई और स्थिति पहले से भी अधिक बिगड़ गई।

अभी हाल स्थिति में काफी सुधार हो गया है क्योंकि अब स्थिति पर इन्डोनेशिया की सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और आशा है कि आगे भी स्थिति में सुधार होगा। मेरे विचार से इस समस्या का हल दोनों सरकारों द्वारा चर्चा के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा इससे विष बढ़ता जायेगा जिससे न केवल नीदरलेंड्स तथा इंडोनेशिया की सरकारों के सम्बन्ध ही खराब होंगे अपितु एशिया तथा यूरोप के सम्बन्ध में भी खराब हो सकते हैं।

एक बुनियादी बात याद रखने योग्य यह है कि नव जागृत एशिया कहीं भी विदेशी आधिपत्य सहन नहीं कर सकता है। इसका किसी विशेष घटना से सम्बन्ध नहीं है तथापि यह चीज़

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समय की भावना के और एशिया की नव जागृत भावना के विरुद्ध है। विदेशी आधिपत्य कुछ समय तक भले ही रहे लेकिन इससे कई कठिनाइयां पैदा होंगी और झगड़े चलते रहेंगे और अन्त में उन्हें आधिपत्य छोड़ना ही पड़ेगा।

इसलिये बुद्धिमानी का मार्ग यही है कि बाद में भावनाओं और उत्तेजनाओं को अधिक बढ़ाने के स्थान पर अभी मित्रतापूर्ण ढंग से यह कार्य किया जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इन्डोनेशिया की समस्या का हल दोनों पक्ष वार्ता के द्वारा ही करेंगे। वस्तुत: संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख यही संकल्प रखा गया था जिसे दुर्भाग्य से बहुमत प्राप्त न हो सका।

हमारे एक बहुत निकटवर्ती देश नेपाल में वहां के राजा ने चुनावों के बारे में हाल ही में एक वक्तव्य दिया है। हमने इस वक्तव्य का स्वागत किया क्योंकि हम समझते हैं कि भले ही चुनाव कराने में कुछ कठिनाइयां हों तथापि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे विधान सभा के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है। इसलिये हम आशा करते हैं कि नेपाल की जनता की तथा सरकार की कठिनाइयों का कुछ समय के लिये अन्त हो जायेगा। और उनकी सारी शक्तियां निर्वाचन और ऐसी योजनाओं की तैयारी में लग जायेंगी जिससे नेपाल की जनता को लाभ होगा।

अब मैं उस विशद और व्यापक प्रश्न को लेता हूं जो इस समय विश्व की सब से बड़ी समस्या है—यह समस्या है युद्ध तथा शांति की। मेरे कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि युद्ध छिड़ने ही वाला है और अकस्मात लड़ाई हो सकती है बल्कि साथ ही एक तरह से देखा जाये तो यह हमारे सर पर ही है। यद्यपि मैंने इस सभा में इस बात का कई बार पहले भी जिक्र किया है लेकिन आज यह प्रश्न पहले से अधिक अनिवार्य हो गया है।

अभी पिछले दिनों मैंने रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम एक अपील की थी क्योंकि इन दोनों देशों के शासकों पर ही युद्ध और शांति की समस्या निर्भर है। मैंने उनके नाम एक अपील की थी और मुझे उन देशों के प्रधानों के उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं। वे उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गये हैं अत: मैं उनमें विस्तारपूर्वक नहीं जाऊंगा। मैं श्री बुल्गानिन और प्रेजिडेंट आइजनहावर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विस्तृत उत्तर देने का कष्ट किया है।

माननीय सदस्यों को इन दोनों उत्तरों पर विचार करना चाहिये। यद्यपि दोनों के दृष्टि-कोण में अन्तर है और दोनों एक दूसरे की कुछ आलोचना करते हैं तथापि दोनों के उत्तरों में शांति की तथा उसे बनाये रखने के लिये कुछ व्यवस्था करने की इच्छा स्पष्ट है। यद्यपि कुछ लोग मत भेदों को अधिक महत्व देते हैं और देंगे तथापि हमारे लिये यही ठीक और उचित है कि हम मत भेदों पर अधिक ध्यान न दें बल्कि विचारों और उद्देश्यों की एकता पर अधिक ज़ोर दें। निस्संदेह कुछ कठिनाइयां हैं अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती। अब यह समस्या सैद्धान्तिक समस्या नहीं रह गई है अपितु व्यावहारिक महत्व की समस्या बन गई है।

इस समस्या को अब केवल नैतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नैतिक दृष्टिकोण कभी अव्यावहारिक भी कहा जाता है। कुछ ऐसा विचित्र ख्याल बन गया है कि व्यावहारिकता लाने के लिये अनैतिकता भी होनी चाहिये। लेकिन आज मैं नैतिक दृष्टिकोण पर अधिक ज़ोर दूंगा क्योंकि यह प्रश्न मानव जाति के कल्याण से सम्बन्धित है और बड़े पैमाने पर विनाश के लिये युद्धास्त्रों के प्रयोग की सम्भावना से सम्बन्धित है इसलिये इसमें नैतिकता का प्रश्न

स्वभावतः समाविष्ट है। लेकिन इससे भी अधिक आवश्यकता इस प्रश्न को निश्चयात्मक, व्यावहारिक और सामयिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। एक या दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने वाले हजारों तर्क भी हमारी या मानवता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें तो इस समस्या को हल करना है। वह समय बीत गया है जब विरोधी गट या सन्धि में शामिल एक देश अपने पक्ष को दूसरे पक्ष की आलोचना कर न्यायोचित ठहरा सकता था। अब इससे कोई काम नहीं चलता क्योंकि आज हमें एक पक्ष के कार्यों का औचित्य जानने की आवश्यकता नहीं है अपितु जीवित रहने और भयमुक्त होने की आवश्यकता है।

आज यूरोप तथा अन्य स्थानों में विमान हाइड्रोजन बम ले कर उड़ान करते हैं क्योंकि उन देशों का कहना है कि उन्हें अपनी प्रतिरक्षा के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये। कितनी अजीब बात है। प्रत्येक देश प्रतिरक्षा के नाम पर ऐसी बातें करता है जिन्हें एक प्रकार से आक्रमणकारी कार्यवाही कहा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा के नाम पर ऐसा करना आवश्यक होने पर भी एक साधारण घटना से भी युद्ध की वह सारी विभीषिका प्रसारित हो सकती है जिसे रोकने के लिये यह सब किया जा रहा है।

कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ संकल्प प्रस्तुत किये गये। मैं उनका ज़िक्र इसलिये करना चाहता हूं कि आजकल के विवादस्पद विषयों के निबटारे के लिये इस समय यही मार्ग अवशेष रह गया है। उन में से एक संकल्प अल्जीरिया के सम्बन्ध में था और दूसरा जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं इंडोनेशिया से सम्बन्धित था जो असफल रहा। उसके स्वीकृत हो जाने पर, किसी पक्ष के किसी विषय के सम्बन्ध में वचनबद्ध हुये बिना ही आपसी बातचीत का मार्ग खुल जाता। वस्तुतः एक समय ऐसा होगा हां भले ही उसमें कुछ समय लगे। जो भी हो उसे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।

अल्जीरिया की समस्या बहुत निराशाजनक है और इसके लिये अल्जीरिया वासियों तथा फ्रांसीसियों सभी को दुख है। वहां भयंकर लड़ाई हो रही है और बड़े पैमाने पर हत्यायें हो रही हैं। इस समस्या का सामना किस प्रकार किया जाय। इस सभा का यह मत है कि अल्जीरिया को स्वतंत्रता दी जाय। लेकिन हम उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता पहुंचा सकते हैं। क्या इस सभा में एक संकल्प पारित करके? उससे संसद् की इच्छा अभिव्यक्त होगी लेकिन इससे बहुत लाभ नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यही कठिनाई पैदा हुई। ऐसी समस्याओं के सम्बन्ध में वहां हमारा रवैया सर्वविदित है, सब जानते हैं कि हम अपने मत को केवल चिल्ला चिल्ला कर व्यक्त करने में विश्वास नहीं रखते और न ही हम अपने विरोधियों का बहिष्कार करते हैं। हम सदैव समझौता करने का प्रयत्न करते हैं। भले ही हमारा प्रयत्न सफल न हो लेकिन हमारे इस प्रयत्न से भी काफी लाभ होता है। अल्जीरिया के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह संकल्प सर्व सम्मति से पारित हो गया। केवल फ्रांस ने इस पर मतदान नहीं किया। लेकिन फ्रांस ने इस संकल्प का विरोध भी नहीं किया। इस प्रकार भले ही इस संकल्प से कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, तथापि इससे कुछ सहायता अवश्य मिली।

कुछ माननीय सदस्य मुस्करा रहे हैं, वे खूब मुस्करायें, यदि उन्हें इन समस्याओं का स्वयं सामना करना पड़ता तो वे कदाचित इस प्रकार न मुस्कराते। हमें अधिक कठिन समस्याओं का सामना करना होता है जिनमें कई जटिलतायें तो होती ही हैं साथ ही उनका सम्बन्ध बड़ी समस्याओं से भी रहता है। हाइड्रोजन बम और दूर मारक अस्त्र आपको स्मरण दिलाते रहते हैं कि गलत कदम उठाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के पास सब से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बड़े सब से भयंकर तथा सब से अधिक दूरी तक मार करने वाले अस्त्र हैं । ब्रिटेन भी इस संगठन में शामिल हो गया है यद्यपि वह उक्त दोनों देशों से कुछ दुर्बल है । इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ दिनों बाद फ्रांस भी हाइड्रोजन बमों का परीक्षण करने लगेगा ।

इस प्रकार विश्व के देशों में यह चीज़ चल रही है और अन्य देश भी एक वर्ष या ६ माह के अन्दर यही करने लगेंगे । यह क्रम चलता रहेगा तथा इस पतन को रोकना बहुत कठिन होगा । इसलिये हम विश्व के इतिहास में एक खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं । यदि हम स्थिति का लाभ नहीं उठायेंगे तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं ।

केवल दो तीन रोज पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीड़न के द्वारा जो किसी गुट में शामिल नहीं हैं, प्रस्तुत एक संकल्प पारित किया गया । भले ही उक्त देशों में कुछ भिन्नतायें हों तथापि वे किसी गुट में शामिल नहीं हैं । यह संकल्प शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सम्बन्ध में था । इस संकल्प में उन पांच सिद्धान्तों का जिक्र किया गया था जो सर्वविदित हैं और जिन्हें सर्वप्रथम भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षर किये गये मसविदे के रूप में जनता के समक्ष रखा गया था । तब से कई देशों ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है । वस्तुतः यही बहुत लाभकारी है कि वे इस रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रखे गये और सर्व सम्मति से पारित हुये ।

मैं इस बात को बहुत अधिक महत्व नहीं देता तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत ने और अन्य देशों ने मिल कर जो प्रयत्न किये हैं, उन से हम खतरे के क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाये हैं । इन प्रयत्नों का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण पैदा करना है जहां वर्तमान समस्याओं पर भयरहित होकर वस्तुगत रूप से विचार किया जा सके ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन की राजनीतिक समिति में रूसी प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर एक संकल्प प्रस्तुत किया था । इस संकल्प से हम तो पहले ही सहमत थे । तथापि उस संकल्प की शब्दावलि कुछ ऐसी थी जो अन्य देशों को मान्य नहीं थी । तत्पश्चात् कुछ देश विशेषतः भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन ने परामर्श करके एक भिन्न मसविदा तैयार किया जिसका आशय पहले संकल्प जैसा ही था तथापि उसमें से वे बातें हटा दी गईं जो किसी देश को अमान्य हों । यह बिल्कुल आवश्यक था । सौभाग्य से हम उसमें सफल रहे । इस संकल्प को बड़े देशों का समर्थन प्राप्त हुआ । अमेरिका ने इसका ज़ोरदार समर्थन किया और रूस ने न केवल इसका समर्थन किया अपितु इसके समर्थन में अपना संकल्प वापस ले लिया । इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं क्योंकि वस्तुतः उनके संकल्प को पूर्ववर्तिता मिलनी चाहिये थी । भले ही इसे कम उपयोगी समझा जाये तथापि इसका बहुत महत्व भी हो सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि दोषारोपण की प्रवृत्ति हट जाने पर देशों के लिये परस्पर निकट आना सरल हो जाता है क्योंकि वस्तुतः विरोधी पक्षों के बीच मूल रूप से बहुत सी बातों में मतैक्य रहता है । सब से बड़ी बात यह है कि हम सभी जीवित रहना चाहते हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसको सब चाहते हैं ।

प्रेसीडेंट आइजनहावर ने नाटो सम्मेलन में कल अपने भाषण में कहा है कि वह समय बीत गया है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर विजयी हो सकता था । मुझे उनके शब्द ठीक ठीक तो याद नहीं लेकिन उनके कहने का अभिप्राय कुछ यही था । उन्होंने कहा कि केवल सही हल से ही सबकी विजय हो सकती है । उक्त शब्द बहुत सार्थक हैं और सही भी हैं । यह बात केवल युद्ध के विषय में ही लागू नहीं होती है अपितु युद्ध की संभावनाओं के विषय में भी लागू होती है ।

यह ठीक ही है कि वास्तविक विजय युद्ध के भय को समाप्त करने पर ही हो सकती है। यह दृष्टिकोण शीत युद्ध में भी उतना ही लागू होना चाहिये। लोक शांति तथा युद्ध समाप्त करने की बातें कहते हुये भी शीत युद्ध में लगे रहते हैं जिससे उत्तेजना बढ़ती है और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो किसी समय भी युद्ध के रूप में भड़क सकती है।

मैं फिर माननीय सदस्यों से प्रधान मंत्री बुलगानिन और प्रेसीडेंट आइजनहावर के उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहूंगा। मैं उनसे यह देखने को कहूंगा कि एक दूसरे की आलोचना करने पर भी उनमें बहुत कुछ मतैक्य है। मैं यह समझता हूं कि दूसरे की आलोचना करना हमारी आदत बन गई है। हमें मतभेदों के स्थान पर मतैक्य पर अधिक ज़ोर देना चाहिये।

अक्सर यह कहा जाता है कि यह सब सुरक्षा के लिये किया जा रहा है। खतरे को बढ़ा कर सुरक्षा रखने का यह अजीब तरीका है। सुरक्षा के नाम में इन सब बातों को न्यायोचित ठहराया जाता है। सुरक्षा के नाम में अणु अस्त्रों के परीक्षण होते हैं, विमान हाइड्रोजन बमों को ले कर उड़ते हैं, भयावह अस्त्रों का विकास होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोपों की बौछार कर वातावरण को अधिक बिगाड़ता है। मैं इन तर्कों को नहीं समझ सकता हूं। निस्संदेह सभी को सुरक्षा सम्बन्धी तर्क समझना चाहिये क्योंकि कोई देश ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। जब कि दूसरों की इच्छा उस पर हावी हो सके। लेकिन यदि सुरक्षा के कार्यों से खतरे में और भी वृद्धि हो तो आप सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

मैं उन विभिन्न विषयों की चर्चा नहीं करना चाहता जिन पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों या संयुक्त राष्ट्र संघ में विचार किया जाता रहा है क्योंकि यह विषय बहुत जटिल है। पिछली ग्रीष्म ऋतु में पहली बार एक समझौते की आशा हुई थ, अर्थात् दो या चार बड़े राष्ट्रों के बीच समझौता होने की आशा थी। हम यहां मिल कर एक संकल्प पारित कर सकते हैं लेकिन कठिनाई तब होती है जब कि ऐसे देश जिनके पास हाइड्रोजन बम हैं यह नहीं कहते कि वे उनका प्रयोग नहीं करेंगे। पिछली ग्रीष्म ऋतु में ऐसे एक समझौते की आशा हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ ऐसी बातें हुईं कि निःशस्त्रीकरण का प्रश्न गौण हो गया और उसके सम्बन्ध में चुप्पी साध ली गई जो अब तक चल रही है। यह बहुत बुरी बात हुई। रूस सम्मेलन से अस्थायी रूप से हट गया और इस समय इस सम्बन्ध में कोई बात तक नहीं की जा रही है। स्थिति इतनी भीषण है। यहां हमें निशस्त्रीकरण पर चर्चा नहीं करनी है। यह सच है कि एक समय मतभेद बहुत सीमित थे। लेकिन कुछ कारणों से मतभेद अब बढ़ गये हैं। इन कारणों का एक या दूसरे पक्ष के द्वारा रखे गये प्रस्तावों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये कारण भय और क्रोध का दृष्टिकोण या दुर्बलता स्वीकार न करने का दृष्टिकोण है। इसी दृष्टिकोण के कारण संबंधित पक्ष कहते हैं कि हमारी नीति दृढ़ होनी चाहिये और हमें दूसरे से शक्ति के आधार पर बात करनी चाहिये। इधर कई वर्षों से हम "शक्ति के आधार पर बातें करने" की चर्चा सुनते आ रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ है? यह नहीं कि कोई एक पक्ष शक्तिशाली हो गया हो, उसकी ताक़त बढ़ गई हो। होता यह है कि जब किसी एक पक्ष की शक्ति कुछ बढ़ती है, तो दूसरा पक्ष भी अपनी शक्ति उतनी ही बढ़ा लेता है। शक्ति की चर्चा भर कर देने का नतीजा यह निकलता है कि दूसरा पक्ष भी जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ाने में लग जाता है और, हालत फिर पहले जैसी ही हो जाती है, शायद उस से भी बुरी हो जाती है।

बड़ी अजीब सी बात तो यह है कि दोनों पक्षों की ओर से पुराने नारों, पुरानी उक्तियों और बड़े भले, सुन्दर वाक्यों को दोहराया जा रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष इस समस्या को समझने और इसका हल निकालने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं कर रहा है। अब संकल्पों और मनमानी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कल्पनाओं के गढ़ बनाने का समय नहीं रहा है। अब तो हमें और इन पक्षों को, बड़ी-बड़ी शक्तियों को इस यथार्थ स्थिति को समझ लेना पड़ेगा कि उनकी सरकारों की ओर से ही नहीं बल्कि उनके किसी व्यक्ति या सैनिक अधिकारी की ओर से भी कोई ऐसी छोटी सी भी ग़लती नहीं होनी चाहिये जिससे कि विश्व युद्ध की आग भड़क सके। इसलिये, संसार की सुरक्षा के लिये सब से पहली चीज़ यही है कि युद्ध की आग भड़का सकने वाली ऐसी ग़लती से बचाव किया जाये।

आपको केवल याद दिलाने की गरज़ से ही मैं आपको सह-अस्तित्व सम्बन्धी यह संकल्प पढ़ कर सुना रहा हूं, जो अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किया गया था। उसमें एक ऐसा दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है जो समस्या को हल करने में कोई सहायता नहीं करता। मेरा तो यह विश्वास दिन-प्रतिदिन पक्का होता जा रहा है कि हमारी बुनियादी कठिनाई हमारे मानसिक दृष्टिकोण को इसी प्रकार रहना है जो एक बिल्कुल ग़लत दृष्टिकोण है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने से ही समस्या का समाधान हो जायेगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना तो होगा ही कि मानसिक दृष्टिकोण बदलने से उन समस्याओं का रूप बदलेगा और उनका हल करना अधिक आसान हो जायेगा। और इस बात से संसार के नागरिकों में सुरक्षा की भावना को बल मिल जायेगा। वह संकल्प यह था :

"यह महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को दृढ़तर बनाने और राज्यों में, उनकी विभिन्नताओं या राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा प्रकारों के होते हुये भी उनमें, शान्तिपूर्ण तथा आपसदारी के सम्बन्ध विकसित करने की अविलम्बनीयता और उसके महत्व को देखते हुये ;

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बनाये रखने के उद्देश्य भी अधिकार-पत्र के आधारभूत उद्देश्यों में सम्मिलित हैं;

इन उद्देश्यों के संवर्द्धन और अधिकार-पत्र के अनुरूप ही पारस्परिक सम्मान तथा लाभ, अनाक्रमण, एक दूसरे की प्रभुता, समानता तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के सम्मान तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति के आधार पर, राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण तथा सहिष्णु सम्बन्धों के विकास और अधिकार-पत्र के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों की पूर्ति की आवश्यकता का अनुमान करते हुए ;

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, तनाव को घटाने, और शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा राज्यों के बीच उठने वाले विवादों तथा मतभेदों का निबटारा करने की आवश्यकता को समझते हुए ;

सभी राज्यों से अनुरोध करती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को दृढ़तर बनाने, और मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करने, और अधिकार-पत्र में बताये गये तथा इस संकल्प में उल्लिखित शान्तिपूर्ण साधनों से विवादों का निबटारा करने का भरसक प्रयास करें।"

यदि सभी सम्बन्धित सरकारें इस संकल्प की भावना से प्रेरित हो जायें तो, काफी प्रगति हो सकती है।

आज कुछ लोग यह समझते हैं कि राष्ट्रों के बीच वर्तमान झगड़े, उनके मतभेद ऐसे हैं जो कभी मिट नहीं सकते ; उनके बारे में कोई समझौता हो ही नहीं सकते। उनका ख्याल है कि दो ही रास्ते हैं; या तो विश्व युद्ध छिड़ जाये और उसका संहार भी सामने आये, या फिर इसी प्रकार दोनों सशस्त्र शिविरों में दांव पेच चलते रहें और दोनों में तनातनी तथा उत्तेजनापूर्ण

सहअस्तित्व बना रहे। गत विश्व युद्ध को अभी ग्यारह या बारह वर्ष ही हुये हैं । माननीय सदस्यों को याद होगा कि वह विश्व युद्ध आरम्भ होने के समय कुछ देश एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गये थे, लेकिन वे आज एक दूसरे के मित्र हैं। उनमें सैनिक, विचारधारा सम्बन्धी और अन्य कई प्रकार की संधियां हो चुकी हैं। और, यह भी हुआ है कि उस विश्व युद्ध के दौरान में जो मित्र राष्ट्र थे वे आज एक दूसरे से कोसों दूर हो गये हैं। वे एक दूसरे को धमकियां देते हैं, एक-दूसरे से डरते हैं। क्या यह कोई असाधारण या अजीब सी बात नहीं है ? लेकिन, इसे देखते हुये तो लोगों का यह सोचना और अजीब लगता है कि आज के यह कटु मतभेद हमेशा-हमेशा के लिये बने रहेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी-कभी मित्र शत्रु और शत्रु मित्र बन जाते हैं। गत दस वर्षों के इतिहास से ही यह स्पष्ट हो जाता है। तब फिर ऐसी नीति पर क्यों चला जाय जिससे कि ये शत्रुतायें और गहरी होती हों ? भीषण और रक्तपात से पूर्ण युद्धों का भी आखिर अन्त ही होता है, उनके बाद भी आखिर में शान्ति ही स्थापित होती है। नरसंहारों और विभीषिकाओं के बाद जब शान्ति ही स्थापित होती है, तब फिर हम उसके पहले ही शान्ति स्थापित रखने की कोशिश क्यों न करें ?

निश्चय ही, युद्ध की आग भड़कने से पहले ही शान्ति स्थापित रखना और युद्ध न होने देना कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है । भयंकर प्रक्षेपास्त्रों, उड्डयन बमों और अन्तरिक्ष यात्राओं के इस काल में, हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं जहां सभी पुरानी धारणायें अर्थ-शून्य हो गई हैं। भविष्य के सम्बन्ध में कोई भी कुछ निश्चित नहीं कह सकता। सैनिक और प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि भावी युद्ध बिल्कुल ही दूसरे प्रकार का होगा, उसमें पहले की यहां तक कि गत विश्व युद्ध में भी, सीखी हुई सभी कार्यनीतियां और रण-नीतियां निरर्थक सिद्ध होंगी। यह सही है कि अब हालात बिल्कुल बदल गये हैं। यहां तक कि अब राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन की परिस्थितियां भी सर्वथा परिवर्तित हो चुकी हैं। और अब केवल पुराने नारों, पुरानी उक्तियों या मानसिक दृष्टिकोणों की दुहाई देते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। आज की समस्यायें भी बिल्कुल दूसरी हैं। अब नई समस्यायें पैदा हो गई हैं; बड़े-बड़े और विशालकाय अस्त्र बन गये हैं, और जिस प्रकार से इन सबका जन्म हुआ है, उसके फलस्वरूप अब एक दूसरे ही प्रकार के चिन्तन और दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मैं बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ अपना यह सुझाव रख रहा हूं कि इन सभी समस्याओं के सम्बन्ध में अब केवल सैनिक दृष्टिकोण से विचार करना ही उचित नहीं होगा या पर्याप्त नहीं होगा। हमें इन समस्याओं पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। मैं शायद उचित रूप में यह न बता सकूं कि वह दृष्टिकोण क्या होना चाहिये, पर मेरा विचार है कि हम इन समस्याओं पर नैतिकता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। लेकिन इसके अलावा भी, नितान्त भौतिक दृष्टिकोण, प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण और सैनिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम इन समस्याओं पर पुराने तरीक़े से अलग-अलग ढग से विचार नहीं कर सकते, यह इसलिये कि आज अन्तर्राष्ट्रीय मामले और प्रतिरक्षा का प्रश्न एक-दूसरे से बिल्कुल सम्बद्ध हो गये हैं। और यदि प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में अब बिल्कुल ही दूसरे या भिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो गया है तो राजनैतिक चिन्तन का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी उतना ही भिन्न होना चाहिये। अब पुराने दृष्टिकोण से विचार करना पर्याप्त नहीं रह गया है।

मैं प्रेसीडेण्ट आइजनहावर का वक्तव्य दोहराते हुए, कह सकता हूं कि हमें पूरी तौर पर यह अनुभव कर लेना चाहिये कि तब तक कोई भी समझौता नहीं हो सकता और न वास्तव में कोई शान्ति स्थापित की जा सकती है, जब तक कि वह विजय सभी की विजय न हो, सारे संसार की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जनता की विजय न हो। यदि कोई देश यह सोचे कि वह शीत युद्ध में अकेला ही विजयी हो सकता है, तो वह ग़लतफहमी का शिकार है, और फिर वास्तविक सशस्त्र युद्ध में तो इसकी सम्भावना और भी कम है। दोनों ही प्रकार के युद्ध तब तक बन्द नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को पूरी तरह से नष्ट न कर दें।

इसलिये, अब केवल एक ही रास्ता रह गया है। और वह यह महसूस करना है कि किसी भी प्रकार का युद्ध अब इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इन समस्याओं का हल न तो शीत युद्ध द्वारा किया जा सकता है, और न सशस्त्र युद्ध द्वारा। और यह भी एक तथ्य है कि आज प्रत्येक देश की जनता, हर प्रकार की जनता, शान्ति के लिये इच्छुक है। निस्संदेह ही, हर देश की जनता, चाहे वह अमरीका की हो या सोवियत संघ की, शान्ति के लिये इच्छुक है। यह उसकी उत्कट अभिलाषा है। तब इन देशों के बीच समझौते करने के लिये जनता की शान्ति के लिये इस अदम्य इच्छा, इस अपार उत्साह का ी उपयोग क्यों न किया जाये जिससे शान्ति सुनिश्चित हो सके ?

मैं केवल एक बात और कहूंगा। आजकल पेरिस में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की परिषद् की बैठक हो रही है। मैं उसे कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि, हम आज इन सैनिक संधियों को अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये सैनिक संधियां जो वातावरण तैयार करती हैं, उनसे कोई भी समझौता करने म सहायता नहीं मिलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्हें सलाह देना मेरा काम नहीं है, मैं तो केवल वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में ही बातें कर रहा हूं। आज की स्थिति में यदि एक पक्ष की ओर से कोई ऐसा क़दम उठाया जाता है, तो दूसरा पक्ष भी वैसा ही कदम उठा कर उसका उत्तर देता है। परिणाम यह होता है कि तनाव की स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। जो भी हो, उस बैठक म सम्मिलित होने वाली बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं और वे अपनी बैठक कर रही हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि उनकी बैठक के परिणामस्वरूप एक शान्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और शत्रुता की इस वर्तमान भावना को बनाये रखने का प्रयास नहीं होगा।

आज यह कोई भी नहीं कह सकता, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि कौन सा देश अधिक शक्तिशाली है। संभव है कि इन नये प्रकार के कुछ अस्त्रों के क्षेत्र में अमरीका अधिक शक्तिशाली हो, या कुछ अन्य अस्त्रों के क्षेत्र में सोवियत संघ अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों के पास इतनी शक्ति तो है ही कि वे एक-दूसरे को और शेष संसार को नष्ट कर सकते हैं। इसलिये, इस बात का कोई अधिक महत्व नहीं है कि दोनों में से किसके पास कुछ अधिक शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में अस्त्रों-शस्त्रों की यह होड़ निरर्थक हो जाती है,, यदि किसी के पास कुछ अच्छे शस्त्र हों भी तो वह नष्ट तो हो ही जायगे।

मैं बस एक बात और कहूंगा जिसके द्वारा मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा जिसके सम्बन्ध में कभी-कभी लोगों को शंका हो सकती है। मैं कश्मीर और उसके बारे में सुरक्षा परिषद् के हाल के उस संकल्प की बात कह रहा हूं जिसमें डा० ग्राहम को भारत और पाकिस्तान का दौरा करने के लिये निमंत्रित किया गया है। हमारे प्रतिनिधि, श्री कृष्ण मेनन ने इस सम्बन्ध में हमारे दृष्किोण को बड़ी स्पष्टता और खूबी के साथ वहां रख दिया था; इसलिये उसके सम्बन्ध में यहां अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रतिनिधि ने वहां जो कुछ भी कहा था, हमारी अपनी स्थिति ठीक वही है। इस सम्बन्ध में किसी भी

गलत फ़हमी की गुंजाइश नहीं है। हमारे प्रतिनिधि ने वहां हमारे अपने देश के दृष्टिकोण और कश्मीर के सारे मामले को काफ़ी विशद रूप में प्रस्तुत किया है।

हमारा अपना दृष्टिकोण तो यह है कि कश्मीर की यह पूरी समस्या तब तक हल नहीं की जा सकती, जब तक कि इसके बारे में एक बिलकुल ही भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, यानी जब तक यह बात नहीं मानी जाती कि कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और उसे कश्मीर के क्षेत्र से अपनी सेना हटानी चाहिये। यदि यह बात मान ली जाये, तो अन्य सारी चीजें उसी से निकल आयेंगी। लेकिन यदि इसी बात से इन्कार किया जाये, तो इस सम्बन्ध में कोई भी प्रगति असम्भव है। सुरक्षा परिषद् ने डा० ग्राहम को यहां आने का निमंत्रण दिया है। हम डा० ग्राहम का स्वागत करेंगे। वे एक बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। यदि अन्य कोई व्यक्ति भी आना चाहें, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन हमने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है, और सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि ने यह पूरी तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हम डा० ग्राहम की इस भारत-यात्रा को उनकी पहले की यात्राओं, या पहले चलाई गई उनकी वार्ताओं का अंग बिल्कुल नहीं मानते। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और अब हम उसी सिलसिले में, उसी संदर्भ में वार्ता जारी रखने के लिये तैयार नहीं हैं। वैसे, अन्य सभी अतिथियों की भांति हम डा० ग्राहम का भी स्वागत ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कालिका सिंह** (अजमगढ़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करती हूं।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

† **श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ११ प्रस्तुत करती हूं।

† **अध्यक्ष महोदय** : सभी स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब चर्चा आरम्भ होगी।

† **श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : हमारा दल साररूप में प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई इस वैदेशिक नीति का पूरा पूरा समर्थन करता है। हां, हम उसकी एक-दो बातों पर कुछ अधिक जोर देना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री ने शस्त्रों की वर्तमान होड़ की इस परिस्थिति में शान्ति के प्रश्न पर उचित ही ज़ोर दिया है। लेकिन इस सम्बन्ध में जनता को यह बताना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का दो विभिन्न देशों में किस प्रकार का अर्थ लगाया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, एक देश ने तो अणु के विखंडन से अणुबम बना कर उसका प्रयोग भी संहार के लिये कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर सोवियत संघ में उसी अणु-विखंडन से अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया है, और उसका उपयोग अन्तरिक्ष में कृत्रिम चन्द्र भेजने के लिये किया है, जिससे कि वातावरण की ऊपरी पर्तों के बारे में मानवीय जानकारी बढ़ सके। यह मात्र संयोग की बात नहीं है।

इसलिये, जनता को यह बताना आवश्यक है कि युद्ध इन यंत्रों के कारण नहीं होता, युद्ध छेड़ने के पीछे कुछ निहित स्वार्थ रहते हैं। ये विशिष्ट स्वार्थ ही युद्ध को जन्म देते हैं, जनता नहीं।

उदाहरण के लिये, इण्डोनेशिया में युद्ध छेड़ने वालों के हित वहां के बागानों और खानों पर हावी रहना चाहते हैं। हालैण्ड वहां अपना कब्जा इसीलिये बनाये रखना चाहता है।

इसलिये, जनता को इस चीज़ को देखना चाहिये कौन यंत्रों का उपयोग युद्ध और कौन शान्ति के लिये करता है। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्थायें उनका उपयोग उपनिवेशों पर अधिकार जमाने के लिये करती हैं, कम विकसित देशों को धमकाने के लिये करती हैं।

लेकिन, समाजवादी देशों की ओर से ऐसा नहीं किया जाता। वे उपनिवेश नहीं चाहते।

प्रधान मंत्री शायद इस तथ्य पर जोर देने की स्थिति में न हों, पर हमें तो इस समस्या का अध्ययन करना ही चाहिये, और अन्य तथ्यों पर भी जोर देना चाहिये।

हमें समझना चाहिये कि विभिन्न शक्तियां प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से करती हैं। सोवियत संघ द्वारा 'स्पुटनिक' (उपग्रह) का छोड़ा जाना एक महानतम घटना है। उसका प्रभाव केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों पर ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। इंगलैण्ड के "इकानोमिस्ट" ने लिखा है कि उसने अरब देशों और मध्य पूर्व की जनता को बल दिया है और उन्हें पश्चिमी देशों के विरुद्ध खड़े होने का अधिक साहस प्रदान कर दिया है।

'स्पुटनिक' ने कम विकसित देशों की जनता के स्वातंत्र्य आन्दोलनों को बल दिया है।

स्पुटनिक ने शांति की भावना को बल दिया है। उसने युद्ध की गुहार मचाने वालों का उत्साह ठंडा कर दिया है।

आज, 'स्पुटनिक' के कारण ही फ़्रांस डलेस के आदेशों की अवहेलना करके 'नाटो' संगठन से बाहर आने का साहस बटोर पाया है। आज तो मॉस्को से बैठे-बैठे न्यूयार्क और लन्दन पर मार की जा सकती है। इस लिये, इंगलैण्ड और अमरीका का युद्ध की धमकियों का उत्साह मन्द पड़

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है । इस प्रकार, सोवियत संघ के हाथ में अन्तर्महाद्वीप प्रक्षेपपास्त्रों के होने से शान्ति की सम्भावनायें बढ़ गई हैं ।

अमरीका के पास इतनी दूर मार सकने वाले प्रक्षेपास्त्र नहीं हैं । इसलिये, नार्वे, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी की जनता सोचती है कि अमरीका तो युद्ध छेड़ देगा, पर उसकी विभीषिका का सामना तो उन की जनता को ही करना पड़ेगा । वे अब 'नाटो' में रहना अपने लिये निरापद नहीं समझते ।

इसीलिये, 'नाटो' का मोर्चा अब टूट रहा है । युद्ध के समर्थकों का यह मोर्चा टूटता जा रहा है और उसका मूल कारण है 'स्पुटनिक' । यह इसलिये कि 'स्पुटनिक' के शक्ति उपनिवेशीकरण के लिये नहीं, बल्कि समाजवाद के निर्माण के लिये ही है । इसलिये यह एक महतम तम घटना थी, और हर्ष की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में उसका महत्व समझ लिया था । उसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं ।

श्री आइज़नहावर और श्री बुल्गानिन दोनों ही अणु परीक्षणों को स्थगित करने के लिये तैयार दिखते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ सका हूं अमरीका केवल इसी शर्त पर उन्हें स्थगित करने को तैयार है कि पहले निःशस्त्रीकरण की समस्या का हल कर लिया जाये । लेकिन, श्री बुल्गानिन ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है । आशा है कि अमरीका भी हमारे प्रधान मंत्री की बात को शीघ्र ही मान लेगा ।

विश्व की विचारधारा के क्षेत्र में, 'स्पुटनिक' जितनी ही एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई है । वह यह कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य ८२ राष्ट्रों ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का एक संकल्प स्वीकार किया है । इसका महत्व तभी स्पष्ट होता है जब हम आज से कुछ वर्ष पूर्व के युद्ध की धमकियों के, शीत युद्ध के वातावरण को याद करें । इस सह-अस्तित्व शब्द का इस्तेमाल सब से पहले लेनिन ने सोवियत संघ की स्थापना के समय किया था । चूंकि यह शब्द मार्क्सवाद-लेनिनवाद से मिला था, इस लिये उस समय पश्चिमी देश इस शब्द से नफरत करते थे । लेकिन, आज उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प में स्थान मिल गया है । यह जनता के शान्ति आन्दोलन की विजय है । इस शब्द का इस्तेमाल सब से पहले सोवियत संघ ने ही किया था । इसमें सोवियत संघ विजयी हुआ है । इसीलिये, मैं इसे 'स्पुटनिक' जितना ही महत्व देता हूं ।

कुछ लोग श्री कृष्ण मेनन को पसंद नहीं करते । लेकिन, हमारा विचार है कि श्री कृष्ण मेनन ने कश्मीर और अन्य मसलों के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण को बड़ी खूबी से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा है । हम उनके एक-दो आपत्तिजनक शब्दों को नहीं लेते । हम यही देखते हैं उन्होंने वैदेशिक नीति को सही ढंग से प्रस्तुत किया है ।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में दो-एक बातों का उल्लेख नहीं किया है । लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम डच साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में इण्डोनेशिया का पूरा-पूरा साथ देंगे । यह इसलिये कि पेट्रोल आदि के एकाधिकारी इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ।

बड़े हर्ष की बात तो यह है कि डच साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में इण्डोनेशियाई कार्मिक संघों ने बड़ा हाथ बंटाया है । उन्होंने विदेशी विनियोजकों को इण्डोनेशियाई सरकार की समाजवादी नीति के अनुसार ही चलने के लिये बाध्य कर दिया है । इसलिये, हमें भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने यहां के मज़दूर वर्ग की शक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिये ।

[श्री श्री० म० डांगे]

इण्डोनेशिया की सरकार, कार्मिक संघों के सहयोग के बिना, विदेशी पूंजीपतियों के हाथों से अपनी फैक्टरियां और अपने बागान मुक्त करने का साहस नहीं कर सकती थी। हमें इसके महत्व को पूरी तौर पर समझ लेना चाहिये। वहां कार्मिक संघों और मजदूरवर्ग ने ही देश को साम्राज्यवादियों से बचाया है।

प्रधान मंत्री ने अफ़्रीका का उल्लेख भी नहीं किया है। हमारा दल अल्जीरिया की जनता के स्वातंत्र्य संग्राम का समर्थन करने वाली भारत सरकार की नीति का समर्थन करता है। लेकिन, अल्जीरिया के निकट ही दक्षिणी अफ़्रीका भी स्थित है, जो अफ़्रीकी जनता पर जातिवादी नीति थोपने की कोशिश कर रहा है। इसके सम्बन्ध में बताने से, मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि प्रधान मंत्री का ध्यान उस ओर नहीं था। उनका ध्यान इस ओर था। जाहिर है कि उन्होंने अल्जीरिया के स्वातंत्र्य संग्राम तथा मिस्र की जनता की उचित मांग का समर्थन किया। हमें सर्वदा यह याद रखना चाहिये कि हमने अभी यह निश्चित नहीं किया है कि अफ़्रीका के बारे में भारत की क्या नीति होनी चाहिये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अफ़्रीका की समस्या का प्रश्न सबसे पहले महात्मा गांधी ने नहीं उठाया था अपितु बम्बई में भारतीय नागरिक संस्था तथा कांग्रेस ने इस प्रश्न को उठाया था। परन्तु उस समय तीस वर्ष पहले इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमारी यह नीति थी कि नीग्रो तथा सरकार के झगड़ों के बीच में कोई भाग न लें। अब हमारी नीति बदल गई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य पिछले तीस वर्ष से हमारी इस नीति को नहीं समझ पाये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम नीग्रो जनता के समर्थक नहीं हैं। मैंने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा है कि हमारा देश अथवा हमारी सरकार ने उगान्डा अथवा घाना अथवा केन्या का समर्थन नहीं किया है। मुझे घाना में स्थित हमारे राजदूत ने इस बारे में कुछ बताया है। मैं इससे यही बताना चाहता हूं कि यदि इस पर उचित बल नहीं दिया गया तो हमें वहां पर रहने वाले हमारे लोगों को स्थिति उन्हें स्पकष्ट कर देना चाहिये क्योंकि अफ़्रीका की कांग्रेस में इस प्रश्न पर मतभेद है। इसीलिये मेरा यह कहना है हमें उन्हें जो भारत की विदेश नीति के समर्थक हों, स्पष्ट कर देना चाहिये कि चाहे उनमें व्यापार अथवा और किसी बारे में कितने भी आपसी मतभेद हों परन्तु उन्हें बिना किसी शंका के अफ़्रीका की जनता का साथ उपनिवेशवाद के विरोध में देना चाहिये। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी सरकार नीग्रो जनता के स्वतंत्रता युद्ध में उनका साथ नहीं दे रही है।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं प्रधान मंत्री अथवा भारत सरकार की नीति के बारे में कुछ नहीं कह रहा था अपितु यह बता रहा था कि अफ़्रीका में कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है।

काश्मीर के बारे में, मैं तथा मेरा दल, सरकार का समर्थक है और हम चाहते हैं कि डा० ग्राहम की आवभगत हम अवश्य करें परन्तु इस बारे में कोई और बातचीत न करें। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि शेख अब्दुला को गिरफ्तार करना ही उचित नहीं था परन्तु यदि उसे गिरफ्तार किया भी गया था तो चार वर्ष बहुत होते हैं। और अब उसको छोड़ दिया जाना चाहिये।

गोआ के बारे में कुछ भी कहना बेकार है क्योंकि प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा शांति से काम लेना चाहिये। परन्तु जब इंडोनेशिया आदि की जनता स्वतन्त्रता के लिये झगड़ सकती है तो हमें भी एक अवसर और दिया जाना चाहिये। परन्तु ठीक है, मैं सहमत भी हूं कि हमें इस बारे में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं प्रधान मंत्री के उस संदेश का समर्थन करता हूं जो उन्होंने नाटो शक्तियों को भेजा है कि हमें शस्त्रास्त्र प्रतिद्वन्द्विता नहीं करनी चाहिये ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं कुछ समय पूर्व यूरोप गया था और वहां के दो अनुभव आपको बताता हूं । मैंने पोलैण्ड के औस्टविच कारावास को देखा जिस में लाखों व्यक्तियों को मारा गया था । इस कारावास को दिखाने के लिये उसी व्यक्ति की नियुक्ति मेरे साथ की गई थी जिस व्यक्ति ने प्रधान मंत्री को उसे दिखाया था । उसने बताया कि प्रधान मंत्री उसके अन्दर हुई घटनाओं को सुनकर रो पड़े थे । मैंने भी जब उन कमरों को देखा जिनमें औरतों के बाल भरे हुये थे तो हक्का बक्का रह गया और तब मुझे अपनी अहिंसा की नीति, शांति की नीति का आभास हुआ । मुझे पता लगा कि हमारा देश कितना महान् है ।

मुझे हंगरी जाने का अवसर मिला और जब मैं वहां पहुंचा तो चारों ओर चहल-पहल थी । मैंने एक बात का अनुभव हंगरी को देख कर किया कि यदि अंग्रेज़ तथा फ़्रांसीसी मिल कर मिस्र पर हमला न करते तो रूस कभी भी हंगरी की दुर्दशा नहीं करता ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि यदि एंग्लो-फ़्रेन्च हमला मिस्र पर न होता तो रूस हंगरी के साथ बिल्कुल उसी प्रकार का बर्ताव करता जैसा उसने पोलैण्ड के साथ किया है कि वहां पर अब आन्तरिक स्वायत्तता है ।

पश्चिमी जर्मनी की जनता को मैंने सर्वसंपन्न पाया । संसार में सब से अच्छी तरह से वहीं खाते पीते हैं तथा पहनते हैं । हमें जर्मनों की केवल राजनैतिक विचारधारा से ही डर लगता है क्योंकि हमने उसके साक्षात दर्शन पोलैण्ड के कारावासों में किये हैं । मैं ने इनके सम्बन्ध में इसलिये बताया जिससे सभा को हिंसा तथा अहिंसा की जानकारी हो सके ।

नाटो का उद्देश्य क्या है ? मैं समझता हूं कि नाटो ने थर्मो न्यूकलियर हथियार इसी लिये हैं क्योंकि वह समझते हैं कि रूस से उनकी जनशक्ति कम है और जनशक्ति हथियारों से पूरी हो जायेगी ।

नाटो के सदस्यों को अमेरिका क्षेप्यास्त्र देने को तैयार है परन्तु उनकी देख रेख अमेरिका स्वयं करेगा और इनसे आपस में परामर्श करके ही चलाया जा सकेगा । एक देश स्वयं नहीं चला सकता है । एशिया तथा अफ़्रीका की हालत बड़ी अजीब है । यह दोनों महाद्वीप अब जागने लगे हैं । राष्ट्रमण्डलीय संसदीय सम्मेलन में हमने देखा कि अफ़्रीका से आये सदस्यों का सभी प्रकार से एक मत रहा । श्री गेटस्कल ने इस सम्मेलन में बोलते हुये कहा था कि ब्रिटेन को उपनिवेशों में बसे अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना है । उसी समय युगांडा के सदस्य ने उठकर कहा कि अल्पसंख्यक अर्थात् विदेशी तो एक प्रतिशत हैं उनका तो आप ध्यान रखेंगे परन्तु क्या ९९ प्रतिशत जनता जो शेष है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या एशिया तथा अफ़्रीका राष्ट्रों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जायेगा । हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

भारत ने गोआ के सम्बन्ध में अहिंसा की नीति ही रखी है परन्तु इंडोनेशिया में क्या हुआ । क्या इंडोनेशिया ने भी शांति से पश्चिमी न्यूगिनी और इरियन में डचों के साथ अहिंसा का बर्ताव किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जेकीम आल्वा]

इंडोनेशिया द्वारा की गई कार्यवाही से सिद्ध हो जाता है कि भारत ने बहुत दिनों तक धैर्य रखा है और ऐसा समय आ सकता है जब भारत का यह धैर्य समाप्त हो जाये। हम जानना चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की गोआ के बारे में क्या राय है।

केन्या को ले लीजिये। क्या हमें केन्या के नगरों की दुर्दशा को चुपचाप देखते रहना चाहिये। वहां पर एक हज़ार व्यक्ति मारे जा चुके हैं और ५०,००० जेलों में हैं। हमें इसका पता लगाना चाहिये कि केन्या में क्या हो रहा है। अब ब्रिटिश सरकार को अफ्रीका के देशों को शीघ्र स्वतन्त्र कर देना चाहिये।

१२ मई, १९४६ को ब्रिटिश मंत्रिमंडल शिष्टमंडल ने घोषणा की थी कि भारत की देशी रियासतों का अंग्रेजी सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और अब यह रियासतें स्वतन्त्र हैं। परन्तु फिर भी केवल आदर्श के चक्कर में १९४८ में भारत ने काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया था। परन्तु आज इस विवाद के ठीक तथ्यों को भुला दिया गया है और इसीलिये हमें ब्रिटेन पर दोषारोपण करना पड़ता है कि वह पक्षपात कर रहा है। हम यहां जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार किन कारणवश दोनों दलों से समान व्यवहार नहीं कर रही है।

मैं पूर्व तथा पश्चिम की जनशक्ति के बारे में कुछ कह चुका हूं कि पूर्व की जनशक्ति पश्चिम से अधिक है। मेरे विचार से यह इस गड़बड़ी का कारण है। जनशक्ति की कमी के कारण ही पश्चिम शक्तियां न्यूक्लियर हथियार बना रही हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब यही भय उत्पन्न हो गया है कि तीन शक्तियों, यानी अमेरिका, रूस, तथा ब्रिटेन के अतिरिक्त चौथी तथा पांचवीं शक्तियां बनती जा रही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारी नीति है वह हमारे पुराने सिद्धान्तों के अनुसार है और हमें प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : सभापति जी, आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और हमारे वैदेशिक विभाग की चर्चा का स्तर ही दूसरा हो गया है क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि भारत के प्रश्नों को गौणता देकर इस समय वे सारे संसार की क्या परिस्थिति है, इस पर हमारा और संसार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं यह स्वाभाविक मानता हूं, वरन् मैं तो यह भी मानता हूं कि इसके पहले भी वैदेशिक विभाग की चर्चाओं के समय वह वक्त आ गया था जब हमें इस प्रश्न को प्रधानतः इसी दृष्टि से देखना चाहिए था। यातायात के शीघ्रगामी साधनों के हो जाने के बाद, और उनके निरंतर अधिकाधिक शीघ्रगामी होते जाने के कारण यह संसार इतना छोटा हो गया है कि पहले जो समस्यायें एक देश के भिन्न भिन्न भागों से सम्बन्ध रखती थीं, आगे चल कर जो समस्यायें एक देश और दूसरे देश के सम्बन्धों से ताल्लुक रखती थीं, वे समस्यायें आज सारे संसार की समस्यायें हो गई हैं, और स्वभावतः इन समस्याओं में शांति और युद्ध की प्रधान समस्या है। यदि हम मानव इतिहास को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि युद्ध और शांति की समस्या सदा मानव जीवन में और मानव इतिहास में प्रधान रही है। इसका कारण यह है कि निसर्ग ने मनुष्य को अन्य जीवों की अपेक्षा एक भिन्न ढंग से घढ़ा है। अन्य जीवों के लिए जीवन में तीन चीज़ें प्रधान रहती हैं : आहार, निद्रा और मैथुन। परन्तु मनुष्य में, पशुत्व होते हुए भी, इन तीन बातों का जीवन से सम्बन्ध रहते हुए भी, पशुत्व के साथ देवत्व भी होता है। और उस देवत्व के कारण वह इन तीन चीजों के परे की बातें भी सोचा करता है। सदा सोचता रहा है, आज भी सोचता है, और सदा सोचता रहेगा। फिर इन तीन बातों के परे जो कुछ वह सोचता है, उस विचार को कार्यरूप में भी परिणत करता

है । अतः यद्यपि जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फार एग्जिस्टेंस मानव जीवन में रहा है तथापि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य अधिक सभ्य, अधिक सुसंस्कृत बनता गया, वैसे वैसे जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फार एग्जिस्टेंस के सिद्धांत उसके लिए गौण होते गए और उसके परे की बातें प्रधान होती गई ।

इस बात को जब मैं कहता हूं तो मानव का सारा इतिहास, इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के कारण, मेरे सामने आ जाता है । पहले मनुष्य मनुष्य को खा जाता था, आज यह अवस्था नहीं है । फिर एक समय आया जब युद्ध एक कर्तव्य माना जाता था । हमारे यहां पर जहां चार वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है, वहां क्षत्री वर्ण के कर्तव्यों के सम्बन्ध में कहा गया है : शीत ऋतु में क्षत्री को, राजा को, युद्ध करना चाहिए, युद्ध उसका एक कर्तव्य था । पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह अच्छी चीज न मान कर बुरी चीज मानी जाने लगी । यदि इस जमाने में कोई युद्ध करना चाहता है तो युद्ध करते समय बीस बहाने देता है । युद्ध करना बुरी चीज है, युद्ध हम नहीं करना चाहते थे, मानवों के संहार से हम विरत रहना चाहते थे, रक्त प्रवाह हम इष्ट नहीं मानते, इतने पर भी विवश हो कर हमको युद्ध करना पड़ा । आगे के मानव इतिहास में देखिए, यह बातें नहीं कही जाती थीं, धीरे धीरे युद्ध को बुरा माना जाने लगा और यह बातें कही जाने लगीं ।

नाशकारी आयुधों के अधिकाधिक होने पर भी मैं इस बात को मानता हूं कि एक ओर यदि नाशकारी आयुध बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो दूसरी ओर जहां तक चिन्तन का सम्बन्ध है, जहां तक मानव के मानस का सम्बन्ध है, वह शांति की ओर बढ़ रहा है, वह युद्ध की ओर नहीं बढ़ रहा है । कहा जाता है कि युद्ध सदा से होता रहा है, सदा होता रहेगा । पर मैं तो यह मानता हूं कि जो चीज सदा से होती रही है, वह सदा होती नहीं रहती, और यदि युद्ध सदा होने वाला है तो फिर हमें आशावादी के स्थान पर निराशावादी हो जाना चाहिए ।

जब पहले पहले बारूद ईजाद हुई थी, पहला विस्फोटक पदार्थ बना था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर वह विस्फोटक पदार्थ अणुबम और उद्जन बम का रूप ले लेगा । आज अणुबम और उद्जन बम के आविष्कार होने के बाद हमको यह भी मानना पड़ेगा कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब कोई ऐसा बम बन जाये कि जो हमारे इस भूमंडल, हमारे इस प्लेनेट, के ही टुकड़े टुकड़े कर डाले । तो या तो आप इस बात को मानिये कि एक न एक दिन, आज कल या परसों, युद्ध बन्द होने वाला है, या फिर आप यह मानिये, निराशावादी हो जाइये, कि युद्ध बन्द होने वाला नहीं है और एक दिन ऐसा आने वाला है जब एक न एक बम ऐसा निकलेगा जिससे हमारे भूमंडल के ही टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे ।

कहा यह जाता है कि मनुष्य में देवत्व और पशुत्व दोनों हैं, इसलिए संघर्ष सदा रहने वाला है । मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मनुष्य में पशुत्व रहने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संघर्ष रह सकता है । एक आदमी से दूसरे आदमी का झगड़ा हो सकता है, मार काट भी हो सकती है, हत्या भी हो सकती है, परन्तु मेरा यह मानना है कि यह संघर्ष व्यक्तिगत रूप में रहेगा, यह संघर्ष में सामूहिक रूप में रहने वाला नहीं है । आज आप देखें, जो सेनायें युद्ध करती हैं वे सेनायें एक दूसरे की शत्रु नहीं होतीं । उन सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के शत्रु नहीं होते । उन्होंने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं रहता । तो मैं इस बात को मानता हूं कि मानव में पशुत्व के कारण उसका व्यक्तिगत संघर्ष रह सकता है, किन्तु इस सामूहिक संघर्ष का अन्त होना ही चाहिए ।

[सेठ गोविन्द दास]

जब मैं पांच वर्ष पहले इस संसार के प्रायः सभी देशों को देख कर आया तो मैंने यह कहा था कि मेरी यह मान्यता है कि जिस प्रकार की लड़ाई १९१४ में हुई या १९३९ में हुई वैसे संसारव्यापी लड़ाई अब होने वाली नहीं है। उस समय जब मैंने यह बात कही तो अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ था। पर अब अनेक लोग इस बात को मानने लगे हैं कि उस प्रकार की संसार व्यापी लड़ाई नहीं हो सकती। कोरिया का जिस प्रकार का युद्ध हुआ या स्वेज़ कैनाल पर जिस प्रकार का युद्ध हुआ इस प्रकार के छोटे मोटे युद्ध अभी कुछ समय तक आगे भी शायद हों। पर अंत में व्यक्तिगत संघर्ष ही रह सकते हैं सामूहिक नहीं, साथ ही आगे १९१९ या १९३९ के सदृश संसार व्यापी युद्ध तो होने वाला है ही नहीं।

और जब आज की इस पृष्ठभूमि में युद्ध और शांति की बात देखी जाती है, तब अमेरिका और रूस देश तथा राष्ट्र संघ हमारे सामने आ जाते हैं। सब से पहला यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न लीग आव नेशन्स की स्थापना के समय हुआ था। हम देखें लीग आव नेशन्स और यू० एन० ओ० में कितना अन्तर हो गया है। लीग आव नेशन्स की स्थापना अमेरिका ने की थी, अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति विलसन ने उसे स्थापित किया था। परन्तु लीग आव नेशन्स की स्थापना अमेरिका की ओर से होते हुए भी अमेरिका उस संघ में सम्मिलित नहीं हुआ था। इसीलिए लीग आव नेशन्स बहुत कमजोर संस्था रही। राष्ट्र संघ उससे कहीं अधिक मजबूत है, और मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि धीरे धीरे वह समय आने वाला है जब राष्ट्र संघ ही आगे चल कर संसार की एक हुकूमत बनाने में सफल हो सकेगा, और संसार की एक हुकूमत, संसार का एक शासन, होने पर ही इस संसार में सच्ची शान्ति स्थापित हो सकेगी।

अभी श्री डांगे साहब ने एक बात कही। मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि वैज्ञानिक आविष्कारों का अर्थ युद्ध नहीं है। हम उन वैज्ञानिक आविष्कारों का किस प्रकार उपयोग करते हैं यह हमारी मनोवृत्ति, पर निर्भर है। आगे चल कर यह आविष्कार हमें निर्माण में सहायता देने वाले हैं। मेरा यह मत है कि इन वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग हमें नाश के काम में न कर निर्माण के काम में करना चाहिए। मैं बड़ा आशावादी हूं, इसलिए अभी जो उपग्रह छोड़े गये मैं यह मानता हूं कि इन उपग्रहों का आगे चल कर यह नतीजा निकल सकता है कि हम दूसरे ग्रहों में पहुंचें। और इस अवस्था में पंचशील के सिद्धान्तों के अनुसार ही हम चल सकते हैं। डांगे साहब ने जो कि एगजिस्टेंस की बात कही और जो उन्हों ने यह कहा कि यह मार्क्सवाद या रूस की देन है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। को-एगजिस्टेंस शब्द कहां से आया इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु जहां तक को-एगजिस्टेंस की भावना का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि को-एगजिस्टेंस की भावना का यदि वे पता लगाना चाहते हैं तो वे हमारी संस्कृति के पुराने इतिहास को देखें। उन्हें पता लगेगा कि को-एगजिस्टेंस की भावना हमारी संस्कृति में सबसे पहले आयी और उसके बाद वह संसार में फैली है।

उन्होंने अफ्रीका के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं। मैंने उनको टोका भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रस्ताव आज के १२ या १३ वर्ष पहले इस सम्बन्ध में पास हो चुके हैं जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि वहां के भारतीयों को केवल अपने हकों के लिए नहीं लड़ना चाहिए, वरन वहां के निवासियों की और अपने हकों की इकट्ठी लड़ाई उन्हें लड़ना चाहिए।

अब समय आ गया है कि अणुबमों और उद्जन बमों का प्रयोग बन्द हो। मैं रूस को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने इस बात को स्वीकार किया है। मैं आशा करता हूं कि अमेरिका भी इसको स्वीकार करेगा और हम बिना किसी शर्त के इनका प्रयोग बन्द कर सकेंगे।

गोआ और काश्मीर की बातें जो भारत से सम्बन्ध रखती हैं उनके विषय में भी यहां कुछ कहा गया है। काश्मीर के लिए ग्राहम साहब फिर आते हैं। उन्हें हम यहां पर कोई कष्ट न होने देंगे इसलिए कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आ रहे हैं। पर हम एक बात और भी जानते हैं कि यदि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से न आते तो इस देश में साइमन कमीशन का जिस प्रकार बहिष्कार हुआ उसी प्रकार सर्वमत से उनका भी बहिष्कार होने वाला था। लेकिन हम इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहते। पर साथ ही हम यह भी मानते हैं कि काश्मीर के प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो गया है। जहां तक गोआ का प्रश्न है वह आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों भारत का अविभाज्य अंग होने के कारण हममें सम्मिलित होने वाला है।

मैं सदा से हमारी वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं। महात्मा गांधी ने जिन सिद्धान्तों को हमारे समाने रखा है और जो सिद्धान्त भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने सिद्धान्त हैं उन्हीं के अनुसार वह चलती है। इसी कारण मैं उसका सबसे बड़ा समर्थक रहा हूं और आज भी उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : हम सभी जानते हैं कि गोआ के बारे में सरकार ने कुछ सिद्धान्त बना लिए हैं। पहला यह है कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे पुर्तगाली बस्तियों की स्वतंत्रता का मामला गोआ के निवासियों को हल करना है। तीसरे सरकार ने कहा है कि भारत का कोई नागरिक गोआ के बारे में किसी कार्यवाही में भाग न ले। साथ ही साथ भारत सरकार का यह भी कहना है कि गोआ तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियां भारत का अंग हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की इस बारे में कोई योजना नहीं है और इसलिए मैं एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता हूं जिससे कुछ ही वर्षों में बिना किसी गड़बड़ के हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

मेरा सुझाव है कि दादर और नगर हवेली स्वतंत्र राज्य बना दिये जाने चाहिए और उस राज्य को गोआ को स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। मेरा सुझाव अभी आपको बड़ा उलझन वाला लगेगा कि इतना छोटा सा स्वतंत्र राज्य किस प्रकार बनाया जा सकता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि देखने पर पता चलता है कि स्वतंत्र राज्य की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह स्वतंत्र राज्य डिक्री जारी कर सकता है कि गोआ, डामन, तथा दीव तीनों इस राज्य के अंग हैं। भारतभू पर रहने वाले सभी गोआनियों को इस राज्य को कर देना चाहिए जिससे इसका प्रशासन चले। भारत सरकार इस राज्य से संधि कर ले और इस प्रकार भारत कोई कार्यवाही गोआ के बारे में नहीं करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा भारत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी क्योंकि समस्त उत्तरदायित्व नये स्वतंत्र राज्य का होगा। यह कहा जा सकता है कि भारत पर, पुर्तगाल पर आक्रमण का आरोप लगाया जा सकता है। परन्तु इस आरोप को तो भारत सरकार ने उसी समय लगा दिया जब उन्होंने यह घोषणा कर दी कि गोआ भारत का अंग है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नौशीर भरूचा]

दूसरी बात यह कही जा सकती है कि विश्व न्यायालय में प्रारंभिक चार आपत्तियों का निर्णय हमारे विरुद्ध किया गया है । मेरा भारत सरकार से अनुरोध है वह विश्व न्यायालय में अपने वकीलों को आदेश दे कि वह और प्रारंभिक आपत्तियां उठाये क्योंकि प्रारंभिक आपत्तियां बहुत सी उठाई जा सकती हैं। मेरा विचार है कि मेरे सुझाव द्वारा गोआ की स्वतंत्रता शीघ्रता तथा शांति से हल हो जायेगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास—उत्तर) : हमने प्रधान मंत्री के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना परन्तु हमें इसका पता नहीं लगा कि सभा में इस विषय पर अन्तिम बार चर्चा होने के बाद से, अब विश्व स्थिति में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले रूस ने दूरमारक अस्त्र के अन्वेषण की घोषणा की और उसने सैटेलाइट आकाश में फेंक दिए । इससे पासा पलट गया और न्यूक्लियर शस्त्रास्त्रों पर एक सत्ता का अधिकार नहीं रह गया जो कि बड़ा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है । दूसरे ऐसी आशा की जाने लगी थी कि स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् से रूस में भी लोकतंत्रीय भावना बढ़ रही है । परन्तु एक देश के थोड़ा सा इस ओर बढ़ने पर ही तानाशाही का बोलबाला नजर आया ।

निर्धारित नीतियों में भी परिवर्तन हुआ और इनका रूप शांति से सहअस्तित्व के स्थान पर अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वन्द्विता ने ले लिया। मध्य पूर्व के आइज़न हावर सिद्धान्तों के साथ साथ रूस भी इन देशों में एक महत्व पूर्ण शक्ति बन गया। जोर्डन अमेरिका से मिल गया। सीरिया, यमन, तथा मिस्र रूस से मिल गए। और इस प्रकार यहां युद्धस्थल बनने के लिए चिन्ह नज़र आने लगे । परन्तु हमारी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल इतनी है कि हमें निशस्त्रीकरण आयोग में मतदान करना है अथवा नहीं करना है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हमारी विदेश निति केवल कल्पना में रहने के लिए ही है।

बहुत से देशों का अस्तित्व ही इसलिए बना हुआ है कि वह युद्ध की भावना फैलाते हैं। पाकिस्तान को ले लिजिए, वहां इस प्रकार की भावना की आवश्यकता है और इसीलिए यदि काश्मीर की समस्या नहीं होती तो वह कोई और ऐसी समस्या खड़ी करते जिससे युद्ध भावना उत्पन्न हो सकती थी। महान् शक्तियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। रूस विश्व में सबसे बड़ी नौकरशाही का उदाहरण है । श्री डांगे ने बताया कि रूस के हाथ में दूरमारक अस्त्र शांति का परिचायक ही है । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हंगरी अथवा पोलैंड रूस के हाथों में आज इसीलिए हैं क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध की संभावना है ।

उसी प्रकार अमेरिका भी साम्राज्यवादियों द्वारा खाली की गई जगह को भरने का प्रयास कर रहा है। हमें वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए परन्तु हम तटस्थता के कारण वास्तविकता को भी भूले जा रहे हैं। हमें ऐसी तटस्थता की नीति व्यवहार में लानी चाहिए जिससे संसार में शांति हो और हम केवल झगड़ा निबटाने वाले न रह जायें। मुझे प्रसन्नता है कि काश्मीर के मामले पर हमारी नीति पहले से परिवर्तित हो गई है । इसके साथ साथ हमें संविधान में काश्मीर के बारे में संशोधन कर देने चाहिये जिससे काश्मीर की जनता को मूलभूत अधिकार मिल सकें ।

यह ठीक है कि हम सबके मित्र हैं परन्तु इस मित्रता से कुछ लाभ भी होना चाहिये । लंका से हमारा दिली समझौता हुआ जिसमें वायदे किये गये परन्तु हम वहां भारतीय राष्ट्रजनों को जिन्होंने वहां पर नागरिकता अख्त्यार कर ली है इन वर्षों में वहां की संसद् में चुनाव के अधिकार नहीं दिला पाये हैं । गोआ की स्थिति भी यथापूर्व है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रूस ने आकाश में दो सैटेलाइट फेंक कर विश्व को अपनी महत्ता बता दी है । परन्तु बजाय इसके कि हम उससे चौकन्ने होते हम चुप बैठे हैं और भाषा सम्बन्धी झगड़ों में उलझे हैं । मेरा विचार है जब तक हम विश्व की इन घटनाओं की वास्तविकता पर ध्यान नहीं देंगे तब तक विश्व की समस्या का हल नहीं हो सकता है ।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज हम अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं । वर्तमान स्थिति बड़ी विकट है और मानवता को नष्ट करने का प्रयत्न हो रहा है । इन हालात में भारत अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर सकता है, यही आज का विषय है । अणु शस्त्रों के प्रयोग शुरू होने के बाद मे कई और प्रकार के भयावह शस्त्रों का आविष्कार हुआ है जिनका कि हमें ज्ञान भी नहीं । इसलिये स्थिति संकटपूर्ण है । साम्यवादी गुट और आंग्ल-अमरीकी गुट दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अभी कोई भी नहीं कह सकता कि कौन आगे निकल जायेगा । यही कारण है कि अभी युद्ध नहीं हो रहा है । प्रत्येक को यह पता है कि युद्ध का अच्छा बुरा प्रभाव दोनों ओर पड़ेगा । भारत सैन्य शक्ति में विश्वास नहीं रखता, न ही उसकी किसी को नष्ट करने की इच्छा है, इस कारण उसकी नीति इस मामले में तटस्थता पर निर्धारित है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

भारत इस बात को अनुभव करता है कि यदि यह उन्मत्त दौड़ जारी रही और युद्ध की चिंगारी सुलग पड़ी तो न केवल लड़ने वाले गुटों की तबाही होगी परन्तु अन्य राष्ट्र भी उसकी लपेट में अवश्य आ जायेंगे । इसलिये नीति और स्वहित में भारत की यह इच्छा है, जहां तक हो सके, विभिन्न शक्तियों में शांति और सद्भावना स्थापित हो । कई लोग यह कहेंगे कि भारत कोई बहुत बड़ी सैन्य शक्ति नहीं, कि वह इस मामले में बहुत कुछ कर सके । परन्तु कई एक मामलों में भारत ने अपना कर्तव्य बड़ी सफलता से निभाया है । कोरिया, वियतनाम अथवा मध्य-पूर्व के संघर्षों में भारत के कारनामे बहुत प्रसिद्ध हैं । कई स्थानों में लड़ने वाले दोनों पक्षों का भारत पर बराबर विश्वास रहा है । आशा है कि अन्त में भारत दोनों गुटों में मित्रता और सद्भावना उत्पन्न करने में सफल हो जायेगा । उन्होंने भी भारत को ही अपने मामले में मध्यस्थ बनने को कहा है ।

कल ही की बात है कि भारत की 'पंचशील' सम्बन्धी नीति संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार की है । शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मामले में दिल्ली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इसलिये वह समय दूर नहीं जब कि भारत की शांति और सद्भावना की नीति को संसार स्वीकार करेगा ।

इन दोनों विरोधी गुटों में त्रुटि यह है कि वे परस्पर एक दूसरे का विश्वास नहीं करते, अन्यथा वह स्वयं ही किसी परिणाम पर पहुंच जाते । परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके । इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज संसार के अधिकांश देश आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी पिछड़े हुये हैं । और सब से बड़ी बात यह है कि उनमें परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं । युद्ध होने पर दोनों की एक सी तबाही होने में कोई संदेह नहीं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की नीति सफल होगी । राष्ट्रों को समझ आयेगी और वे एक दूसरे के निकट आयेंगे । मैं पूरी शक्ति से भारत की विदेश नीति का समर्थन करता हूं ।

†**श्री दिनेश सिंह** (बांदा) : हम सब प्रधान मंत्री के इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में संसार को शांति का मार्ग दिखाया है । इस बात में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिनेश सिंह]

हम एक मत से उनकी नीति के समर्थक हैं । मैं अफ्रीका की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । वहां कई स्वतन्त्र राष्ट्रों का अभ्युदय हो रहा है और कई अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं । और कई ऐसे राष्ट्र हैं जो स्थायी गुलामी अथवा किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं । यह नया प्रायद्वीप है और यहां लोग अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर आगे बढ़ना चाहते हैं । वे गुटों की उलझनों में नहीं पड़ना चाहते । यह तो स्वाभाविक ही है कि वे सहायता देने वाले मित्रों की ओर नजर करेंगे । भारत ने हमेशा उनके हितों का समर्थन किया है । अब भी प्रत्येक प्रकार से हम उनकी सहायता करेंगे । उनसे प्रत्येक दिशा में सम्बन्ध स्थापित करेंगे और विकास कार्यों में उनका पूरा साथ देंगे । बहुत से भारतीय लोग भी ऐसे हैं जो कि स्थायी रूप में वहां बस गये हैं और उनके प्रति हमारी सहानुभूति स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमने इनकी सहायता की तो संसार के दोनों गुटों से अलग यह क्षेत्र एक शांति क्षेत्र बन जायेगा । सामान्य पृष्ठभूमि होने के कारण यह हमारी विचारधारा को अच्छी प्रकार से समझते हैं, और गुलामी के जीवन की बुराइयों से भली भांति परिचित हैं । समझौतों और करारों में फंसे यूरोप के लोगों से कहीं अधिक ये पंचशील के महान् आदर्शों को समझने की बुद्धि रखते हैं । कुछ एक तो आर्थिक झंझटों में इतने उलझे हुये हैं कि उनका कुछ स्वतन्त्र दृष्टिकोण ही नहीं रहा । हमें उन्हें अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने और अपने राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने में पूरी सहायता करनी चाहिए ।

एक और बात जो मैंने कही थी वह यह है कि हमारी विदेश, प्रतिरक्षा और अर्थ नीति का अच्छा समन्वय होना चाहिए । मुझे प्रधान मंत्री के मुख से यह सुन कर हर्ष हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिरक्षा से बहुत गहरा सम्बन्ध है । इसी आधार पर हमें अर्थ नीति का भी इन मामलों से एकीकृत करना चाहिए । पिछले दिनों हमारे दो शिष्ट मंडल विदेशों में आर्थिक सहायता के लिये गये । एक के नेता तो स्वयं वित्त मंत्री थे और दूसरा शिष्ट मंडल उद्योगपतियों का था । सरकारी शिष्ट मंडल के मुकाबले में इस शिष्ट मंडल का दौरा अधिक सफल रहा, हालांकि दौरा दोनों ने उन्हीं देशों का ही किया । क्या कारण है कि सरकारी तौर पर तो इतनी सहायता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि गैर सरकारी तौर पर प्राप्त होने की आशा हो गयी । मेरे विचार में इसका सम्बन्ध भी हमारी विदेश नीति से है । यदि हम अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति कायम रखना चाहते हैं तो हमें आर्थिक तौर पर भी स्वतन्त्र होना होगा । हमें किसी से सहायता मिले वह बात तो ठीक है, परन्तु किसी पर आश्रित रहना ठीक नहीं । यह तभी सम्भव है कि हम उपरोक्त तीनों प्रकार की नीतियों का एकीकरण करें ।

हम अणु प्रयोगों को रोकने की बातें करते हैं । यह बड़ी आवश्यक बात है । यह मानवता के लिए खतरा बन रहे हैं । संसार के दो बड़े देशों में से एक ने तो इसे बन्द करने का आश्वासन दिया है परन्तु शर्त यह है कि दूसरा भी इसे बन्द करे। दूसरा इसे तब तक बन्द नहीं करना चाहता, जब तक कि निशस्त्रीकरण पर सामान्य निर्णय नहीं हो जाता । क्योंकि अमेरिका अनुभव करता है कि रूस की सैनिक शक्ति अधिक है । हमें इस सन्देह और भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, और इन प्रयोगों को बन्द करना चाहिए ।

इन शब्दों से मैं प्रधान मंत्री की विदेश नीति का समर्थन करता हूं ।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : मनुष्य प्रगति कर रहा है, चान्द तक पहुंचने के उसके प्रयत्न सफल होते दिखाई दे रहे हैं । परन्तु मानव की यह घृणा और सन्देह की परम्परा कायम है । हमारे प्रधान मंत्री ने मार्शल बुलगानिन और राष्ट्रपति आइजनहावर दोनों को इस सम्बन्ध में लिख कर विश्व के अन्धकारमय भविष्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया है । परन्तु कोई कुछ भी करे हमें अपना काम करना है, केवल दूसरों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं । मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

गोआ के प्रश्न को ले लीजिये, यह छोटी बात नहीं है । हमारी आंखों के सामने गोआ पर विपत्तियां आ रही हैं । ५ लाख भारतीयों को एक विदेशी शक्ति ने गुलामी में जकड़ रखा है । हमारे आत्म सम्मान को चुनौती देते हुये पुर्तगाली वहां अपनी सैन्य शक्ति का पूरा प्रयोग कर रहे हैं । कहा जाता है कि गोआ की स्वतन्त्रता के बिना भारत की स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं, परन्तु गोआ निवासियों के संकट दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा । यह ठीक है कि हमारा शांति का रास्ता है और हमारा पक्ष भी न्यायोचित है परन्तु हमारी ओर से इस ओर गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये । क्या हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों पर हो रहे अत्याचारों का हमारे पास कोई इलाज नहीं है ?

काश्मीर के प्रश्न को ले लीजिये, इसके कई अंग हैं । हम सरकार की विदेश नीति के सभी अंगों से सहमत नहीं हैं । यह तो ठीक है कि हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं । लेकिन इस मित्रता की कीमत की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए । इसके लिए काश्मीर को दाव पर नहीं लगाना चाहिए ।

अब मैं पश्चिमी एशिया की ओर आता हूं । अरब राष्ट्रीयता के वेग ने इंग्लैण्ड और फ्रांस को काफी जगह असफल किया है । हमने अरबों का साथ दिया है । इसका एक अंग अरब-इजराइल का झगड़ा है । हमें इस झगड़े में बीच का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि इस समस्या को हल करने में पूरी सहायता दी जा सके । पश्चिमी एशिया की एक समस्या यह भी है जिसकी ओर बड़े राष्ट्र ध्यान नहीं देते, अर्थात् अरब राष्ट्रों के समुचित दावों को मान्यता नहीं दी जाती । इस क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय स्वतन्त्रता और एकता कायम रहनी चाहिए । उनमें किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप वर्जित होना चाहिए । शस्त्र संभरण पर रोक लगनी चाहिए । यदि यह हो जाय तो इस क्षेत्र में 'शांति स्थापना' करने के कार्य को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है । हमने ईरान, मिस्र और सीरिया का संकट के समय साथ दिया यह ठीक है, परन्तु सरकार को उपरोक्त बातों पर भी ध्यान देना चाहिए ।

जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न भी बड़ा महत्व का है । इन बातों का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं रहता प्रत्युत विश्वव्यापी बन जाता है । और हमारा विनम्र निवेदन है कि इसके लिए सारे जर्मन में स्वतन्त्र चुनाव होने चाहिए । इन चुनावों के पश्चात् जो भी व्यवस्था वहां बने, जर्मन को तटस्थ नीति का पालन करना होगा । इसी से केन्द्रीय यरोप में शांति कायम रह सकेगी ।

हमारे प्रधान मंत्री ने मार्शल बुलगानिन और राष्ट्रपति आइजनहावर को पत्र लिखे हैं, यह शांति कार्य की महान् सेवा है । यह हमारी ईमानदारी को भी व्यक्त करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नाथ पाई]

मार्शल बुलगानिन और राष्ट्रपति आइजनहावर दोनों शांति चाहते हैं । परन्तु अगले ही दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि युद्ध उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रबन्ध तेजी से हो रहे हैं 'तास' के अनुसार रूसी सशस्त्र बलों को सचेत कर दिया गया है । परस्पर संघर्ष की तैयारियां जोरों पर हैं । और इन काले बादलों से उसी बात का डर है जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री ने उनके लिखे गये अपने पत्रों में किया है । प्रतिहिंसा और ईर्षा से काम नहीं चल सकेगा । यदि मार्शल बुगलानिन प्रधान मंत्री के उत्तर में यह कहते कि प्रथम जनवरी को अणु प्रयोग बन्द कर दिये जायेंगे तो यह अच्छा क्रिसमिस का तोहफा होता । इससे विश्व भर में सन्तोष की लहर दौड़ जाती । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक नवीन अध्याय का आरम्भ हो जाता ।

अतीत काल में भी हमारा देश मानव जाति की सेवा करता आया है । और इसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री को है । हम उनकी आलोचना करते हैं परन्तु जहां उन्होंने अच्छे कार्य किये हैं हमें उनकी सराहना करनी चाहिए । श्री ख्रुश्चौव ने कहा है कि अणु प्रयोग का निरीक्षण यदि भारत को स्वीकार हो, तो हम इसके लिए तैयार हैं । भारत और स्वीडन जैसे देशों को सब का विश्वास प्राप्त है । मेरे विचार में हमें अपनी सेवायें प्रस्तुत कर देनी चाहिए और साहस से इस कार्य को करना चाहिए । नहीं तो इस कठिनाई का कोई हल नहीं होगा ।

तटस्थ होने के नाते हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । इसलिए हमें कथनी और करनी पर पूरा नियन्त्रण रखना होगा । भारत के प्रवक्ताओं को बड़ा ही सचेत रहना होगा । बड़ी नाजुक अवस्था है, हमें घाव को ठीक करना है । हमें अपनी ईमानदारी और सत्यता का पूरा परिचय देना है, किसी को दुःखी करने का अवसर नहीं देना । प्रधान मंत्री को इस मामले में पूरा आश्वासन देना होगा । हम वही फिर कर दिखायेंगे जो कुछ हमने कोरिया और इण्डोनेशिया के संकट के समय कर दिखाया था । हमारी ईमानदारी ही इसका आधार है, यदि इस पर भी सन्देह हो गया तो शांति को भविष्य का खुदा ही हाफिज है ।

मेरा निवेदन है कि इसी भावना से हम विश्व की सेवा करनी चाहिए और इसी में हमारा भी हित है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : दस वर्ष पूर्व जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हमारे राष्ट्र के नेता महात्मा गांधी ने किया था, हमारी विदेश नीति उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है । मुझे प्रसन्नता है कि श्री नाथ पाई जैसे व्यक्तियों ने भी इस नीति की प्रशंसा की है । आश्चर्य की बात है कि आज के युग में भी शक्ति के दो गुट कार्य कर रहे हैं । दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं । परन्तु आज विश्व के लोगों में शांति की चाह बढ़ रही है । और इन दोनों के बीच भारत शांति और सहिष्णुता की पताका लिये खड़ा है ।

हमारा सिद्धान्त 'सह अस्तित्व' का है । वह उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा देश । आज के युग में भी हम उसका ही पालन कर रहे हैं । हमारे लिए यह कोई नयी बात नहीं, भारत के लोग हमारी विदेश नीति को ठीक प्रकार से समझ रहे हैं । इसके लिए हमें कई बार भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । गोआ और काश्मीर

---

†मूल अंग्रेजी में ।

के मामले भी हमारी नीति का आधार यही सिद्धान्त है । मेरा ारी विदेश नीति को दूसरे देशों के समक्ष ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया । हाल ही में मैंने लंदन में देखा कि पाकिस्तान ने काश्मीर, पूर्वी बंगाल, और नहरी पानी इत्यादि समस्याओं के बारे में बहुत भारी प्रचार किया है, परन्तु हमने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया । जिन लोगों के दिलों में हमारे लिए श्रद्धा है उन्हें भी हमने पूरी जानकारी नहीं दी । बहुत से लोगों को पूर्वी बंगाल की समस्या के बारे में कुछ पता ही नहीं । वे नहीं जानते कि वहां से क्यों लोग आ रहे हैं । भारत सीमित साधनों के होते हुये भी ४० लाख लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है, और अभी ८० लाख पाकिस्तान में है । इनमें केवल हिन्दू ही नहीं, ईसाई तथा अन्य जातियों के लोग भी हैं । इंग्लैंड जैसे देश में भी इस समस्या के बारे में बिलकुल अन्धकार है और लोगों की जानकारी बहुत कम है । पाकिस्तान काफी प्रचार कर रहा है परन्तु हम कुछ नहीं कर रहे । मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए । यह ठीक है कुछ शक्तियां जानबूझ कर हमें ठेस पहुंचाना चाहती हैं, परन्तु इसके बावजूद हमें अपना दृष्टिकोण संसार के समक्ष रखना चाहिए । विरोधियों के झूटे प्रचार का पूरा उत्तर देना चाहिए ।

हम जिन सिद्धान्तों के पोषक हैं, कोई भी देश उसका समर्थन करेगा । हम तमाम युद्धों और अणु प्रयोगों को बन्द कर शांति स्थापित करना चाहते हैं । फिर भी लोग हमको गलत समझ सकते हैं, हमें इसका प्रबन्ध करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण के प्रचार की समुचित व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए ।

इन शब्दों से मैं विदेश नीति का समर्थन करती हूं ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : जो कुछ बातें यहां की गयी हैं और जोर शोर से जिन सिद्धान्तों के समर्थन का दावा किया गया है, मैं उसका समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं । सह-अस्तित्व को मैं सब बीमारियों के लिए रामबाण नहीं मानता । अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन से सम्बन्धित ७५ राष्ट्रों ने सह-अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया, परन्तु अमल में जो कुछ अल्जीरिया और इंडोनेशिया में हुआ वह सब हमारे सामने है । सभी ७५ राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि समस्याओं का हल शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा ही किया जाना चाहिये । लेकिन, उससे अभी तक संसार की एक भी महत्वपूर्ण समस्या का हल नहीं हुआ है ।

हमारे देश से सम्बन्धित कोई भी समस्या उससे हल नहीं हुई है । श्री कृष्ण मनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में इतनी खूबी से हमारे दृष्टिकोण की पैरवी करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला है ।

इस सम्बन्ध में मेरे मन में एक शंका उठती है । मैं मानता हूं कि काश्मीर में जनमत संग्रह कराने के लिये हमने कुछ शर्तों पर ही वचन दिया था ; लेकिन क्या अब यह तर्क देकर हम यह वचन नहीं दे रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा सेना हटा लेने पर हम जनमत संग्रह के लिये तैयार हो जायेंगे ? हमें संसार से कह देना चाहिये कि अब परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है और जनमत संग्रह का कोई प्रश्न किसी भी प्रकार से नहीं उठाया जा सकता । मेरे मन में अक्सर यही शंका उठती है कि फिर बाद में हम अपने इस नये वचन से अपने को कैसे मुक्त करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रि० कु० चौधरी]

दूसरा प्रश्न यह है कि गोआ की जनता भारतीय संघ में मिलना चाहती है, हमारा पूरा देश उसका समर्थन करता है, भारत सरकार उसके भी पक्ष में है, फिर भी हमारे दिमाग में उसकी कोई अविलम्बनीयता नहीं रह गई है । हमने शायद यह सोच लिया है कि हम युद्ध नहीं कर सकते, इसलिये उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते ।

लेकिन इसका फल गोआ के सस्वतन्त्रता प्रेमियों को भुगतना पड़ रहा है । उनमें से लगभग ४०० जेलों में सड़ रहे हैं । इस पर भी हमें इस समस्या की अविलम्बनीयता महसूस नहीं होती ।

हम ने गोआ की जनता की विपत्तियों और उनके ऊपर होने वाले दमन तथा अत्याचार के तथ्य संसार की जनता को बताने का प्रयास नहीं किया है । मैं जानता हूं कि पुर्तगाली सरकार ने उनपर क्या जुल्म ढाये हैं ।

इंग्लैण्ड की एक प्रमुख पत्रकार, श्रीमती टाया जिकिन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि वहां की जेलें राजनीतिक बन्दियों से ठसाठस भरी हैं और जिन कमरों में तीस से अधिक कैदी नहीं रखे जा सकते, उनमें ६८ तक राजनीतिक बन्दी रखे जाते हैं । उसने वहां के जेलों की अमानवीय परिस्थितियों का भी चित्रण किया है ।

गोआ को स्वतन्त्रता संग्रामियों को 'जय हिन्द' का नारा लगाने मात्र पर छैः छैः और सोलह-सोलह वर्षों के कारावास के दण्ड दिये गये हैं ।

मैं उन ४०० राजनीतिक बन्दियों की ओर से ही बोल रहा हूं । सभा को उनकी परिस्थितियों की ओर ध्यान देना चाहिये । गोआ की जनता का स्वातंत्र्य संग्राम भारत में पुर्तगाली फासिस्टवाद को अन्तिम अवशेष के विरुद्ध है, इसलिये वह हमारे अपने स्वातंत्र्य संग्राम का ही एक भाग है ।

हमें सह-अस्तित्व की नीति के साथ ही, यह भी घोषणा कर देनी चहिये कि हम निरंकुश शासकों, औपनिवेशिक शोषकों के साथ सह-अस्तित्व नहीं रखेंगे ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं केवल तीन ही बातें कहना चाहता हूं ।

हमारे प्रधान मंत्री ने हाल ही में बड़े बड़े राष्ट्रों के नेताओं से अणु परीक्षणों को बन्द करने की अपील की है । समस्त संसार की समान्य जनता ने उसका स्वागत किया है ।

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री यह महसूस करते हैं कि अणु-परीक्षणों को बन्द कर देने से ही निःशस्त्रीकरण होगा, लेकिन उसकी ओर रुख अवश्य ही बदलने में सहायता मिलेगी । मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि शीत युद्ध के इस वातावरण में निःशस्त्रीकरण की ओर हम क्रमशः ही प्रगति कर सकते हैं ।

भारत को अपनी इस नीति के सम्बन्ध में अधिक धैर्य से काम लेना चाहिये । लेकिन, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की इस नीति में हमें किसी एक पक्ष की ओर किंचित भी पक्षपात नहीं करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत संघ अणु-परीक्षण बन्द करने के लिये तैयार मालूम पड़ता है, लेकिन अमरीका निःशस्त्रीकरण की शर्तें रख रहा है । भारत को दोनों की मध्यस्थता निष्पक्ष भाव से करनी चाहिये ।

भारत औपनिवेशिक जनता के हितों के पक्ष में भी अपनी शक्ति लगा रहा है । सभा में अफ्रीका के उपनिवेशिक का उल्लेख किया जा चुका है । यह स्वाभाविक ही है कि हम वहां की अश्वेत जनता के उपनिवेशिकवाद-विरोधी संघर्ष का समर्थन करें ।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम पर यह दोषारोपण करते हैं कि हम वहीं उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं जहां हमारे लिये वह सुविधाजनक सिद्ध होता है । यह गलत है । लेकिन, मैं इस बात की आवश्यकता भी समझता हूं कि हमें सभी प्रकार के, कम्युनिस्ट देशों के बर्बर, उपनिवेशवाद की भी निन्दा करनी चाहिये ।

कम्युनिस्ट दल समाजवादी लोकतांत्रिकता की तो बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन वे लौटविया, लियुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी आदि की जनता के शोषण की बात पर आंखें मूंद लेते हैं । चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह ने घोषणा तो की थी कि जनता रूपी सैंकड़ों पुष्पों को खिलने दो, लेकिन वह मिथ्या सिद्ध हुई है ।

सोवियत संघ में मार्शल जुखोफ को राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया गया है । अब वहां ख्रुश्चोव की तानाशाही है । लेकिन, भारत की परम्परायें सदा से तानाशाही के विरुद्ध रही हैं :

कश्मीर की समस्या और भी जटिल हो गई है । कुछ पश्चिमी लोकतंत्रों ने उसे और भी जटिल बना दिया है ।

श्रीमती रेणुका राय ने कहा है कि काश्मीर के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण को संसार के सामने पर्याप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है । मैं इससे सहमत हूं । अमरीका को श्री सान्द ने भी हाल ही में अपनी भारत यात्रा के समय बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि कश्मीर सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण को अमरीकी जनता के सामने समझदारी और सूझबूझ के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है । अमरीका की जनता भारत से बड़ी सहानुभूति रखती है, लेकिन इस प्रश्न को वह ठीक से नहीं समझती । उनका यह सुझाव भी ठीक था जनता को बड़े बड़े विस्तृत और विशद भाषणों द्वारा नहीं समझाया जा सकता ।

कश्मीर की समस्या के सम्बन्ध में हमने सुरक्षा परिषद को यह मामला सौंपते समय इस मामले की पहली बुनियादी यह बात रखी थी कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है । इसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा है ।

लेकिन, मेरी अपनी भावना है कि हमने अभी तक इस मामले की दूसरी बुनियादी बात संसार के सामने नहीं रखी है । दूसरी ओर संसार की जनता को गुमराह करने में पाकिस्तान इसीलिये कुछ सफल हुआ है कि उसने वैधानिक, वकीलों जैसी दलीलें न देकर, संसार की जनता की भावुकता को उभारने वाली अपीलें की हैं । पाकिस्तान ने दुहाई दी हैं कि काश्मीर की मुस्लिम जनता को अधिकार मिलने चाहिये, कि भारत को जनमत संग्रह का अपना वचन पूरा करना चाहिये ।

मेरी भावना यह है कि अपनी दूसरी बुनियादी बात कहते समय हमें भी संसार की जनता से भावात्मक अपीलें करनी चाहिये कि हमें संसार की जनता को बताना चाहिये कि देश के विभाजन के रूप में हमने जाति के आधार पर दो राष्ट्रों के इस मध्ययुगीन सिद्धान्त के लिये कितना अधिक मूल्य चुका दिया है । हमने यह नहीं किया है । हमें बताना

[श्री फैंक एन्थनी]

चाहिये कि हमने उस समय जनमतसंग्रह की बात केवल इसलिये मान ली थी कि जनता को साम्प्रदायिक दंगों के भीषण रक्तपात से बचाना हमारा परम कर्तव्य था । हमने सदयता से ही, प्रसादतः ही जनमत संग्रह का प्रस्ताव माना था ।

आज हम इस बात पर जोर नहीं देते कि हमने उस समय प्रसादतः ही वह प्रस्ताव मान लिया था । और जब सुरक्षा परिषद ने इतने लम्बे काल तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की, तो वह अपनी गलती की कीमत हमसे चुकाने की क्यों कहता है ।

अभी एक अमरीकी मित्र ने मुझे बताया है कि अमरीकी जनता तो इतना भी नहीं जानती कि काश्मीर के अतिरिक्त भारत में भी मुस्लिम बसते हैं । हमें अमरीका की जनता को बताना चाहिये कि काश्मीर के सवाल का सम्बन्ध केवल काश्मीर के ४०-५० लाख मुस्लिमों से ही नहीं, बल्कि भारत में बसने वाले ४ करोड़ ५० लाख मुस्लिमों से भी है । हमें यह स्पष्ट करना चाहिये कि भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक मुल्लिम बसते हैं । हमने संसार की जनता को पाकिस्तान की धर्मांधता और घृणा के प्रचार के बारे में नहीं बताया है ।

हमें पाकिस्तान और पश्चिमी लोकतंत्रों से पूछना चाहिये कि यदि काश्मीर के ४० लाख मुस्लिमों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाये,तो क्या पाकिस्तान भारत में बसने वाले ४ करोड़ ५० लाख मुस्लिमों को अपने यहां बसाने को तैयार है ? हमें अपना यह मामला भावेकतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिये ।

अमरीकी जनता को यह बताना आवश्यक है कि भारत के लिये काश्मीर एक ऐसा प्रतीक है जो उस के निरपेक्ष लोकतन्त्र का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ सम्मान रह सकते हैं । हमें पश्चिमी राष्ट्रों की जनता को समझना चाहिये कि पाकिस्तान का समर्थन कर के वह धर्मांधता और घृणा का समर्थन कर रही है ।

अन्त में, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे देश के प्रतिनिधि द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों पर खेद प्रकट किया है । हमें किसी भी राष्ट्र के प्रति असम्मान नहीं दिखाना चाहिये । वह भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के प्रतिकूल है । हमें तानाशाह देशों के कुछ प्रतिनिधियों की नकल नहीं करनी चाहिये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में, मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना आई है कि विदेशों के कुछ कम्युनिस्ट इन्डोनीशिया में जा कर वहां की सरकार को उलटने की साजिश कर रहे हैं ? यदि ऐसी कोई सूचना हो, तो क्या वे इस सभा को बतायेंगे ?

सभा का कार्य

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : कार्यवलि के अनुसार, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक, १६५७, पर शुक्रवार को ही चर्चा की जायेगी । लेकिन, हमें इस विधेयक को पारित कर के राज्य-सभा में भेजना है और यदि राज्य-सभा इस में कोई संशोधन करती है, तो इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा और यह सभा शनिवार को अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हो जायेगी । इसलिये, मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को कल ही निबटा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय सदस्यों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिये अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की चर्चा मे बचा हुआ समय, इस के लिये दे दिया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : यह बड़े ही संतोष का विषय है कि इस सभा में और संसार में हमारी वैदेशिक नीति का अधिकाधिक समर्थन किया जा रहा है । प्रधान मंत्री ने मानवता के सामने खड़े अणु-युद्ध के खतरे मे संसार को आगह किया है और दृष्टिकोण बदलने की अपील की है ।

लेकिन, श्री डांगे के भाषण में वही पुराना दृष्टिकोण बना हुआ है कि शक्ति के द्वारा ही शांति स्थापित की जा सकती है । उन्हों ने कहा है कि 'स्पुटनिक' के भय ने पश्चिमी राष्ट्रों को संयत बना दिया है । श्री डांगे का दृष्टिकोण यह है कि एक पक्ष तो बिल्कुल अच्छा है और दूसरा बिल्कुल बुरा । यह गलत दृष्टिकोण है ।

सब से विचित्र बात तो यह है कि सह-अस्तित्व के विचार का श्रेय उन्हों ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को दिया है । कम्युनिस्टों का तो यही विश्वास है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अलावा अन्य किसी विचारधारा का कोई भविष्य ही नहीं है । वे अन्य विचारधाराओं को निःशेष कर देने में विश्वास करते हैं और उस के लिये वे उचित अनुचित हर प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं । लेनिन ने सह-अस्तित्व की बात इसलिये की थी कि वे रूस के निर्माण के लिये कुछ समय चाहते थे । उन्हों ने विचार धाराओं के सह-अस्तित्व की बात नहीं सोची थी । सह-अस्तित्व को विचारधारा का श्रेय हमारे प्रधान मंत्री को ही है ।

श्री डांगे ने यह भी गलत कहा है कि भारत सरकार और कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों और अफ्रीका के अन्य राष्ट्रजनों के प्रति अपनी नीति निर्धारित नहीं की है । हमारे देश नें सभी उपनिवेशों की जनता के स्वातन्त्र्य संग्राम का सदा ही समर्थन किया है । इतना ही नहीं,इस के लिये पश्चिम देश उस पर आक्षेप भी करते हैं कि हम अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं ।

अमरीकी तो हम पर यह भी आक्षेप लगाते हैं कि हम पश्चिमी देशों की हरकतों की तो बड़ी निन्दा करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की हरकतों के बारे में चुप रहते हैं । हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री डांगे ने पश्चिमी देशों पर तो आरोप लगाये हैं, लेकिन उन्हों ने हंगरी इत्यादि में रूसी सेना के हस्तक्षेप का जिक्र भी नहीं किया है ।

हमें अन्य देशों में यह भावना पैदा नहीं करनी चाहिये कि हम एक किसी पक्ष विशेष के साथ पक्षपात करते हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमें दृढ़ता से अपनी तटस्थता की नीति का पालन करना चाहिये । जहां भी अन्याय और असत्य हो, उस की निन्दा करनी चाहिये । हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि प्रत्येक देश यही कहे कि भारत सदैव सत्य का ही समर्थन करता है । हमें अपनी न्यायप्रियता बनाये रखनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

हम ने हंगरी और स्वेज नहर, दोनों ही मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की समान रूप से निन्दा की थी। हम ने उन में से किसी का भी अनुमोदन नहीं किया था।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें अणु युद्ध के खतरे से मानवता को बचाने के लिये अपनी भावना, अपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। हमें दोनों पक्षों की समानताओं और अच्छाइओं को उभार कर सामने लाना चाहिये। दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिये। तभी पारस्परिक सहयोग और विश्वास की भावना पैदा होगी।

विज्ञान को मानवता की सेवा करनी चाहिये। दोनों ही पक्षों में शान्ति की भावना है, पर एक पक्ष केवल अणु परीक्षण को बन्द करने की बात करता है, तो दूसरा पक्ष उस के लिये निःशस्त्रीकरण की शर्तें लगाता है।

सच तो यह है कि यह दोनों चीजें परस्पर गुथी हुई हैं, आत्म-निर्भर हैं। वैज्ञानिकों की तो यह राय है कि आज कल अणु-सम्बन्धी परीक्षण और यहां तक कि अणु के शान्तिकालीन उपयोग भी पूर्णतः निरापद नहीं हैं: इसलिये, हमें अणु-शास्त्रों के निर्माण को बन्द करने के लिये भी सहमत होना चाहिये। इतना ही नहीं, अभी तक जितने भी अणु शस्त्रास्त्रों का निर्माण हुआ है उन को संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य किसी विश्वासी राष्ट्र समूह के संरक्षण में रख देना चाहिये। बाद में, उन को निरापद ढंग से नष्ट कर देना चाहिये। इस के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ हम से जो भी सेवा चाहे, हमें करने को तैयार रहना चाहिये।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मेरा दल सरकार की वैदेशिक नीति से सहमत है, लेकिन केवल इसीलिये कि वह नीति बहुत ही अनगढ़ और निर्विवाद है, इसलिये नहीं कि वह कोई अत्यन्त ही बुद्धिमत्तापूर्ण और योग्यतापूर्ण नीति है।

संसार के किसी भी देश की वैदेशिक नीति युद्ध की नहीं है। चांग काई शेक और सिंगमन री तक आज शान्ति की बातें कर रहे हैं। शान्ति तो सभी चाहते हैं। इसीलिये, मैं ने कहा है कि हमारी शान्ति-प्रिय नीति एक सामान्य नीति ही है, उस में कोई विचित्र बात नहीं है, और इसीलिये उस के विरोध का प्रश्न नहीं उठता।

सभी लोगों ने यह आशा की थी कि प्रधान मंत्री वैदेशिक समस्या के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में बोलेंगे। लेकिन मेरा अनुमान है कि गोआ, काश्मीर, नेपाल, इन्डोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उन्हों ने केवल सात मिनट का समय लिया जब कि ३८ मिनट उन्हों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के सम्बन्ध में व्याख्यान देने में व्यय किये। यह कहना गलत है कि हमारी वैदेशिक नीति की मुख्य समस्या शांति है। मैं तो यह कह सकता हूं कि वैदेशिक नीति सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में हमारी असफलता को शांति की आड़ ले कर छिपाया जा रहा है।

यदि आप काश्मीर, गोआ, लंका के भारतीय या दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या लें तो आप को ज्ञात होगा कि हमारी वैदेशिक नीति पूर्णतः असफल रही है। सहअस्तित्व का सिद्धान्त भारत का आविष्कार नहीं है अपितु १९१७ में लेनिन में इस सिद्धान्त की अवतारणा की थी लेकिन उस को किस तरह क्रियान्वित किया गया उस का उदाहरण हंगरी है। ठीक इसी प्रकार पंचशील का प्रारम्भ भी 'तिब्बत की मुक्ति' के पश्चात् हुआ था। वस्तुतः हमारी समस्या युद्ध या शांति

†मूल अंग्रेजी में

की नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत की स्थिति इस प्रकार की है कि वह यूरोप युद्ध सम्बंधी समस्याओं से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित नहीं है। यदि ऐसा है तो उन्हें वैदेशिक नीति की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि श्री ग्राहम भारत आ रहे हैं। भारत उन का स्वागत करेगा। श्री गनर जारिंग की यात्रा के समय भी यही कहा गया था। लेकन भारत सरकार ने उन के साथ विस्तृत चर्चा की जैसा उन के वक्तव्य से स्पष्ट है। लेकिन उस का कुछ भी लाभ न हुआ।

१९४८ में जब काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के सामने रखा गया था तो उस समय भारत सरकार ने इस प्रश्न के क्षेत्र को विस्तृत करने की जांच स्वीकार कर ली थी। इसी का यह फल हुआ कि यह प्रश्न और भी जटिल हो गया। प्रधान मंत्री को हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा उस समय की गई गलती का उत्तर देना चाहिये ।

पश्चिमी इरीयन सम्बन्धी संकल्प की असफलता पर प्रधान मंत्री को बहुत चिन्ता हुई लेकिन गोआ के प्रश्न पर उन्होंने इतना जोर नहीं दिया है। गोआ का प्रश्न बाडुंग सम्मेलन में भी नहीं उठाया गया था।

गोआ में हम ने अपने स्वयं सेवक भेजे और हमारे नवयुवक गोआ के लिये सभी त्याग करने को प्रस्तुत थे। लेकिन क्या प्रधान मंत्री को इस बात की चिन्ता हुई है कि हमारे नवयुवकों का यह बलिदान व्यर्थ न जाये गोआ के सम्बन्ध में शांतिपूर्ण वार्ता किसी प्रकार की जा रही है।

हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका और रूस के सर्वोच्च नेताओं ने प्रधान मंत्री की निशस्त्रीकरण सम्बन्धी अपील का उत्तर दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रेसीडेंट ने अपने उत्तर में यह कहा है कि निःशस्त्रीकरण का प्रश्न हाइड्रोजन इत्यादि के बमों के निर्माण के प्रश्न से सम्बन्धित होना चाहिये हम इस सम्बन्ध में अपने प्रधान मंत्री का मत जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें युद्ध और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग अदा करना है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण मेनन को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्हों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष बड़ी योग्यता और चतुराई से प्रस्तुत किया है । उन की इन सेवाओं के लिये उन्हें उप प्रधान मंत्री बना देना चाहिये और भारत रत्न प्रदान किया जाना चाहिये काश्मीर की समस्या के हल न होने का कारण ब्रिटेन व अमरीका हैं। वस्तुतः यदि जम्मू और काश्मीर राज्य का भारत में विलय वैध नहीं माना जाता तो भारत को काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद् से हटा लेना चाहिये ।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ है कि रूस वाले हिमालय के आरपार एक सुरंग तैयार कर सकते हैं जिस में तीन या चार वर्ष लगेंगे और यदि दोनों ओर से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो दो वर्षों में ही सुरंग बन सकती है। इसलिये यदि भारत को रूस के आक्रमण का खतरा नहीं है तो उसे यह काम प्रारम्भ कर देना चाहिये ।

इस के पश्चात् मैं आप का ध्यान मिर्जा अफजल बेग द्वारा काश्मीर विधान सभा में दिये गये भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने दिल्ली आ कर भाषण का टेप-रिकार्डिंग किया और उसे शत्रुओं को सौंप दिया। हमें विषय की पूरी जांच करानी चाहिये और अपराधी को दंड देना चाहिये। वस्तुतः मैं तो यह सलाह दूंगा कि हमें रूस से आणविक अस्त्रों की खरीद करनी चाहिये क्योंकि शत्रु हमें विनष्ट करने का षडयंत्र रच रहे हैं मेरा यह भी मत है कि पश्चिम के साथ सहयोग करने से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

वस्तुतः टर्की के सीरिया पर आक्रमण न करने का कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का भय नहीं अपितु रूस का भय है रूस के भय के कारण ही ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें मिस्र से हट गयीं। रूस के भय के कारण ही पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर रहा है।

मेरी यह राय है कि भारत को चीन और रूस के साथ सैनिक समझौता कर लेना चाहिये। यदि ऐसा न करना चाहें तो उन्हें चीन और रूस के साथ एक संघ बना लेना चाहिये। साथ ही मैं किसी देश से ऋण लेने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस समय हमें देश के औद्योगीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि हम दस बीस बरस तक और प्रतीक्षा करें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि तब हम नाभिकीय शक्ति या स्वयं चालित मशीनों द्वारा सरलता से उत्पादन कर सकेंगे।

मुझे एक बात और कहनी है। वह यह है कि हमें पाकिस्तान के साथ निशस्त्रीकरण समझौता करना चाहिये और यदि वह स्वीकार करें तो हमें भी शस्त्रों का त्याग कर देना चाहिये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा): मैं प्रधान मंत्री का बहुत आदर करता हूं और उन की शक्ति तथा सक्रियता की प्रशंसा करता हूं लेकिन मैं उन की वैदेशिक नीति से सहमत नहीं हूं। मेरी वैदेशिक नीति इस प्रकार होगी।

हमें राष्ट्रमंडल का परित्याग कर देना चाहिये और पंचशील की बातें छोड़ देनी चाहियें। वस्तुतः पंचशील अमरीका का समय प्राप्त करने के बहाने एक प्रचार है। इसी प्रकार स्पूतनिक के सम्बन्ध में जो शोर गुल मचाया जा रहा है यह सब रूस का प्रचार है।

वस्तुतः साम्यवाद संसार के लिये कोई खतरा नहीं है। साम्यवाद का प्रारम्भ यहूदियों के दिमाग से हुआ ? क्योंकि वे लोग जर्मनी और रूस में सब से अधिक पद दलित थे इसलिये उन्हों ने स्वयं जीवित रहने के लिये इस वाद का निर्माण किया। इस का परिणाम यह हुआ कि १९१७ में जब मैं रूस में था तो वहां सभी बड़े पदों पर यहूदी ही थे।

वास्तव में वर्तमान संघर्ष ऐंग्लो सेक्शन और स्लाव जातियों के बीच में हैं। वे जनता को प्रभावित करने के लिये लोकतन्त्र और साम्यवाद का नाम लेते हैं।

वस्तुतः मेरी वैदेशिक नीति यह है कि हमें छोटे राष्ट्रों यथा जर्मनी, जापान, दक्षिण अमेरीका, अफ्रीका इत्यादि को अपनी ओर मिलाना चाहिये और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र अपने मित्रों की संख्या बढ़ा देनी चाहिये। और इस प्रकार अमेरीका और रूस का युद्ध असंभव बना देना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : साम्यवादी दल के नेता का भाषण सुनने पर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने अपने भाषण का बहुत अधिक समय रूस की वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक दर्शन पर वक्तृता देने में व्यय किया और बहुत थोड़ा समय काश्मीर या गोआ के सम्बन्ध में चर्चा की।

एक देश को दूसरे देश से तुलना करना बुरा नहीं है तथापि यह कहना कि एक देश के समस्त आविष्कार मानवता के लाभ के लिये हैं और दूसरे के विनाश के लिये गलत है। क्योंकि जिस प्रकार शक्ति किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है उसी प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों की अधिकता भी उस देश का पतन कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वस्तुतः हमें यह चाहिये कि अपने देश में जितना भी वैज्ञानिक विकास हो वह सब शान्तिपूर्ण कार्यों का हो प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने भी सभा में यह बताया है कि हमारी अणु परियोजनाओं का उपयोग युद्ध के प्रयोजन से नहीं किया जायेगा। किन्तु रूस तथा अमेरीका, दोनों गुटों के देशों को यही प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वे अणुशक्ति का उपभोग युद्ध के प्रयोजन से नहीं करेंगे।

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सम्बन्ध में भी सभा में बहुत चर्चा हुई है। इस शब्द को इस के सही रूप में अर्थात् मित्रता तथा सहानुभूति के प्रयोजनों के लिये सर्व प्रथम हमारे प्रधान मंत्री ने ही अपनाया है अतः इस का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिये।

वस्तुतः भारत की वैदेशिक नीति परम्परागत कूटनीति से बिल्कुल भिन्न और नये प्रकार की है। और वस्तुतः केवल इसी नीति से जनता का लाभ हो सकता है। केवल इसी नीति को अपनाने से देश का लाभ हो सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि मैं ने भारत से सम्बन्धित विषयों पर केवल ७॥ मिनट चर्चा की और शेष ३० मिनट मैंने युद्ध और शांति के व्यापक विषय की चर्चा में व्यय किये। भले ही उन की आलोचना उचित नहीं हो तथापि उन की बात सत्य है वस्तुतः मैंने प्रातःकाल ही यह कह दिया था कि मैं केवल व्यापक प्रश्नों को ही लूंगा और आवश्यकता होने पर उत्तर देने के समय अन्य प्रश्नों को लूंगा।

मैं चाहता हूं कि सभा यह समझे कि हम आज किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चर्चा के अन्त में विषय की समुचित गम्भीरता पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय दुखान्त नाटकों में भी, यह परम्परा रही है कि नाटकों को हास्य का पुट दे कर समाप्त किया जाय, आज भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है और वाद विवाद के अन्त में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं जिस ने वर्तमान कठिन स्थिति का भार कुछ हल्का करने का काम किया है।

यह ठीक है कि इस स्थिति का दायित्व भारत या सभा पर नहीं है। संभव है हमारे कार्यों का विश्व पर कोई बड़ा प्रभाव न हो। विश्व के जनमत को प्रभावित करने के सम्बन्ध में हमारी क्षमता बहुत सीमित हो सकती है। भले ही हम जनमत को कम प्रभावित कर सकें लेकिन यदि कोई अनुचित बात हो गई तो हमें उस का परिणाम वहन करना होगा। इसीलिये मैं ने युद्ध और शांति के प्रमुख प्रश्न सभा के सम्मुख रखे हैं।

मैंने वर्तमान समय के दो सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के नाम की गई अपील का जिक्र किया था क्योंकि युद्ध और शांति तथा मानवता का भविष्य इन्हीं दो देशों पर अधिकतर निर्भर है। उन्होंने उस अपील का विस्तृत उत्तर दिया है और औचित्यपूर्ण तर्कों से अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन के उत्तरों के लिये कृतज्ञ हूं। और मैं समझता हूं कि सभा को भी कृतज्ञ होना चाहिये।

मैंने सभा का ध्यान विश्व स्थिति की वर्तमान प्रवृत्ति की और आज के इतिहास के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया था। हम भारत के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं लेकिन आज विश्व का इतिहास अन्य देशों की तरह भारत के इतिहास से इस प्रकार सम्बन्धित है। कि हम अपने दायित्व

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से बच कर नहीं जा सकते। हम श्री ब्रजेश्वर प्रसाद की तरह काल्पनिक बातें नहीं कर सकते और न उन के पश्चात् बोलने वाले माननीय सदस्य की तरह ही कार्य कर सकते हैं, जो अपनी ही निराली दुनिया में रहते हैं और अपने ३० वर्ष पुराने विश्व भ्रमण के आधार पर बोलते हैं। हम वर्तमान संसार में रहते हैं, भूतकाल में नहीं और वर्तमान के आधार पर हम भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। हमें दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिये महत्वपूर्ण होते हुए भी आधुनिक युगके विशाल चित्र का एक छोटा सा अंग हों और उनपर विश्व स्थिति का अत्याधिक प्रभाव पड़ता हो सभा के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे हमारी नीति के बारे में बहुधा प्रयत्न की जाने वाली उक्तियों को ही नहीं अपितु उस के मूल आधार को समझें।

मैं यह दावा नहीं करता कि हम सदैव उचित कदम उठाते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में और वस्तुतः इस से भी पूर्व हमारी एक विशेष विचारधारा रही है और हमने उसी के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न किया है।

मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे विचार तथा कार्य नितान्त प्रभावहीन सिद्ध नहीं हुए। उनसे विश्व के घटना-प्रवाह में अंतर हुआ है हम इस अंतर को नाप नहीं सकते हैं,क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करते या दूसरों पर रोब डालना नहीं चाहते हैं। हम सदैव विनम्र निवेदन ही करते हैं और यदि आलोचना भी करते हैं तो बहुत विनीत शब्दों में, क्योंकि हमारा उद्देश्य सदैव समझौते और सद्भावना का वातावरण तैयार करना होता है मतभेदों का प्रसार करना नहीं होता। यही एक सही दृष्टिकोण है। एक प्रकार से यही समस्याओं के प्रति व्यापक भारतीय दृष्टिकोण है। विश्व की वर्तमान स्थिति बहुत नाजुक है और यदि यही प्रवृत्ति कायम रही तो स्थिति बहुत गम्भीर और खतरनाक हो सकती है। हमें इस स्थिति के सम्बन्ध में जागरूक रहना है। और इस उत्तेजना या वर्तमान प्रवृत्ति को रोकना है। इसीलिये मैंने इन सब बातों का जिक्र किया क्योंकि इस की तुलना में अन्य बातें अपेक्षाकृत कम महत्व रखती हैं।

बहुत से सदस्यों का विचार है कि हमारे कार्यों का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ। उदाहरण के लिये वह कहते हैं कि काश्मीर में हमारी नीति से क्या लाभ हुआ है। संभव है हमें काश्मीर के सम्बन्ध में कोई लाभ न हुआ हो, अपितु हानि ही हुई हो तथापि हमारी नीति से अन्य रूप में पर्याप्त लाभ हुआ है। मैं देश को होने वाली लाभ और हानि की बातें नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना तो यह है कि हम अपने तरीकों और सिद्धान्तों के अनुसार जो हमें प्रिय हैं और जिन्हें हमने पहिले भी अपनाया है,इन परिवर्तित परिस्थितियों में भी कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसलिये उन पर हंसी में बात करना ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने मुझ से उन उत्तरों के सम्बन्ध में, विशेषतः प्रेसीडेंट आइजन हावर के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने को कहा है कि मैं उन से कहां तक सहमत हूं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं अन्ततः यह प्रश्न निशस्त्रीकरण का है। सारा प्रश्न ही निशस्त्रीकरण के चारों ओर केन्द्रित है। मैं ने रूस और अमेरिका से किसी खास चीज पर प्रतिबन्ध लगाने पर जोर नहीं दिया था। इतना जरूर था कि इस के पहिले कदम के रूप में मैंने आणविक परीक्षणों को रोकने का जिक्र किया था। और उस पर जोर भी दिया था। हम पिछले दो-तीन वर्षों से यही बात कह रहे हैं।

यदि माननीय सदस्य याद करें तो उन्हें पता लगेगा कि निशस्त्रीकरण के बारे में हम ने क्रमानुसार अपना तरीका यहां बताया है। तरीके चाहे कुछ भी हों और मैं या हमारा देश चाहे शतप्रतिशत ठीक बातें कहे किन्तु उस बात का क्या फायदा जिसे कोई माने ही न और उस का किसी बात पर

प्रभाव भी न पड़े । हो सकता है मुझे इस से सन्तोष हो जाता हो किन्तु इस का प्रभाव क्या है ? इसलिये चीज़ यह नहीं है कि आप सिर्फ़ वही बात कहें जिसे आप ठीक समझते हैं मगर वास्तव में बात ऐसी होनी चाहिये जिस से इन परिस्थितियों में लाभ पहुंचे और यही इस चीज की वास्तविक कसौटी है । इस कारण हमें सावधानी और नम्रता से काम करना पड़ता है । हम केवल कई बातों के स्थान पर एक बात का सुझाव देते हैं और हमें कई बार भाषा परिवर्तित करनी पड़ती है । उदाहरणार्थ मैंने सह अस्तित्व सम्बन्धी उस संकल्प का सभा के सामने जिक्र किया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनैतिक समिति ने पारित किया था । मैं इस बात को मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प पारित करने से ही शान्ति की स्थापना नहीं हो जाती । किन्तु मैं यह भी मानता हूं कि राष्ट्र संघ द्वारा ऐसे संकल्प पारित करना भी बड़ी बात है जिस में पंचशील के सिद्धान्त हों । उसमें "पंचशील" या "सह-अस्तित्व" के शब्द नहीं हैं । अच्छा होता यदि वे शब्द उस में होते किन्तु हम शब्दों को अधिक महत्व नहीं देते । जब उस का सार हमें ठीक लगा तो उसे हम ने आगे रखा और वह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया ।

उस संकल्प के रखने वालों के लिये यह एक बड़ी सफलता थी । भारत के अतिरिक्त इस में यूगोस्लाविया तथा स्वीडन भी शामिल थे । दूसरे भी इसे रख सकते थे । किन्तु हम नहीं चाहते थे कि इसे कोई ऐसा देश रखता जोकि सैनिक सन्धियों में भाग लेने वाला हो । निस्सन्देह उन्होंने संकल्प का समर्थन किया । यद्यपि उस संकल्प से एक दम विश्व के वातावरण में परिवर्तन नहीं आया किन्तु निस्सन्देह इस से परिस्थिति स्पष्ट होती है, उस से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन होता है । चाहे कुछ सरकारों की विशिष्ट नीतियों पर इस का अधिक प्रभाव न भी पड़े किन्तु जनसाधारण पर तो इस का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है । लोग उसी तरह सोचने लगते हैं । आज समस्त देशों में चाहे उन्हें आप लोकतंत्रात्मक कहें या न कहें जनसाधारण की राय का सम्मान होता है । लोकतंत्रात्मक देशों में तो सम्मान होता ही है, हां यह हो सकता है कि प्रभाव तुरन्त न हो और उस में थोड़ी देर लग जाये ।

इस समय जबकि दुनिया एक अजीब मनोवैज्ञानिक दौर से गुज़र रही है मेरे विचार में ऐसे संकल्प का बड़ा प्रभाव पड़ता है । सब देशों के लोग इस बात पर बड़े चिन्तित हैं कि इस अवरुद्ध स्थिति से बाहर निकलने का क्या रास्ता है । हां, उन देशों की बात मैं नहीं कहता, अगर कोई ऐसे देश हों, जहां जनमत ही न हो या जहां लोगों के कुछ विचार ही न हों । दुनिया के लोग युद्ध से घबराते हैं वे इस के विनाश से डरते हैं । इस कारण सभी एक दशा में विचार करते हैं ।

आज प्रातः मैंने कहा था कि सैकड़ों गश्ती विमान उद्जन बम लिये घूमते हैं । आप इन बातों को सोचिये । एक तो यह सोचते हैं कि कहीं कुछ हो न जाये और यदि होने लगे तो उसे हाइड्रोजन बम से रोका जाय । यदि हो जाये तो वह कैसे उन्हें अपने देश से भेज सकते हैं । उन्हें बचाने का कोई समय ही न होगा । एक तो यह विचारधारा है । इसलिये बम वहां होने चाहियें ताकि इन्हें गिराया जा सके । किन्तु उन्हें गिराने का निर्णय कौन करेगा ? प्राकृतिक रूप से कप्तान या कमांडर ही करेगा ? उस बेचारे पर कितनी जिम्मेदारी है । दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की बात एक पक्ष के ही विशेषाधिकार में नहीं है । उस काम में भी प्रतियोगिता है ताकि एक पक्ष दूसरे से पीछे न रह जाये ।

कुछ थोड़ा समय पहले मेरे विचार में पोलैण्ड की सरकार ने एक प्रकार की चेतावनी सी या नोटिस सा दिया था कि यदि पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की बात हुई तो उन्हें भी आणविक बमों वाले विमान उड़ाने का हक होगा । आपने देखा कि बुराई किस तरह फैलती है । वे उसे ठोक बता सकते हैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और कह सकते हैं कि "हम भी क्यों न वैसे ही करें"? वह कह सकते हैं हम तो वही बात कर रहे हैं जो दूसरा पक्ष कर रहा है ।

इसलिये क्रमशः वे अन्तिम खतरे की ओर चले जा रहे हैं, एक दूसरे का अनुकरण करते हुए ताकि कोई भी पक्ष दूसरे से पीछे न रह जाये । इस लिये हमें इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें जैसे श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि हमें भी नाभिकीय बम रखने चाहियें मैं नहीं जानता कि नाभिकीय बम से वह क्या अभिप्राय लेते हैं । वह नहीं चाहते कि हमारे उद्योगों का विकास हो केवल यही चाहते हैं कि नाभिकीय बम हमारे पास हों । हमें इन बातों पर तनिक अधिक बुद्धिमानी से विचार करना चाहिये । सभा में इस प्रकार की निरर्थक बातों के कहने का कोई मतलब नहीं है । जिस मामले को हम अत्यधिक महत्व तथा चिन्ता का समझ रहे हैं उसे यों ही लिया जा रहा है ।

आज भारत तीन या चार तरह की स्थितियां अपना सकता है । एक तो वह कि वह किसी एक पक्ष में मिल जाये । यदि भारत इस प्रकार की नीति अपनाता है तो निस्संदेह उसे अणु बम मिल जायेंगे । हम उन अणुबमों से क्या करेंगे यह मैं नहीं जानता । मैं समझता हूं कि सभा का एक भी सदस्य इस प्रकार की नीति का समर्थन नहीं करेगा । हमारी नीति की इधर उधर से आलोचना की जा सकती है किन्तु यहां कोई भी यह पसंद नहीं करेगा कि हम किसी सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित हों ।

यदि हम किसी पक्ष के साथ न मिलें तो हम क्या करें ? एक माननीय समाजवादी सदस्य ने कहा है कि हमारी नीति हम यास्पद है । उनका कहना है कि हम एक तीसरी शक्ति का निर्माण करें। इसका चर्चा भी पर्याप्त हुआ है । तीसरी शक्ति का मतलब क्या है ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात का वास्तविकता से कोई भी सम्बंध नहीं है । न केवल इसका कोई अर्थ ही है बल्कि यदि है भी तो वह भी गलत है ।ऐसा करना गलती होगी । इसका अर्थ तो यही होगा कि हम भी गुटबन्दी के क्षेत्र में आ गये हैं और कभी इस से कभी उससे मिलने का प्रयास करते हैं ।

आज शक्ति का अन्दाज कैसे लगाया जाता है ? सशस्त्र शक्ति से, अर्थात् किसके पास कितने अणुबम हैं, कितने क्षेत्रयास्त्र हैं; कितना धन है इत्यादि । भारत के पास इन चीजों में से एक भी चीज नहीं है । जो इस तथाकथित तृतीय गुट के सदस्य हो सकते हैं उनमें से एक के पास भी ऐसी चीज नहीं है यह बात तो अलग रही कि यह देश मिलकर क्या करेंगे, पहले तो वे इकट्ठे ही न होंगे और यदि इकट्ठे हो भी गये तो करेंगें क्या । ये सब देश अलग अलग तरीके पर सोचते हैं ।

इस लिये हमें इन सब बातों को छोड़ देना चाहिये जिनका कोई मतलब नहीं है । हमें ऐसी स्थिति के बारे में सोचना है जहां दो ऐसे देश हैं जिनके पास अथाह सैनिक शक्ति है और जो दोनों एक दूसरे से डरते हैं दोनों डरते हैं कि पता नहीं दूसरा क्या कर बैठे । उन्हें यह भी डर है कि दूसरा एक से आगे न बढ़े । इस कारण दोनों में भयानक होड़ लगी हुई है । कभी कोई आगे निकल जाता है कभी दूसरा। जैसा कि मैंने कहा है अब इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आगे कौन निकला हुआ है क्योंकि वास्तव में एक हद से दोनों आग निकल चुके हैं और दोनों के पास बर्बादी की पर्याप्त शक्ति है । जब दोनों उस हद से आगे निकल चुके हैं तो इस बात का क्या फर्क है कि दुनियां एक बार नष्ट होती है या अधिक बार ।

हमने सुझाव दिया है कि अणुबमों के परीक्षण रोक दिये जायें । इस समय यह बड़ी छोटी सी बात है । किन्तु यह बात है बड़ी ही महत्वपूर्ण मैं परीक्षणों के रोके जाने से ही संतुष्ट नहीं हूं,मैं चाहता हूं कि एक व्यापक निशस्त्रीकरण सन्धि हो । मैं समझता हूं कि अणुबमों के परीक्षण की रोक से शक्ति

संतुलन से कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हैं तो में 'रोकना' शब्द का प्रयोग नहीं करुंगा बल्कि "निलम्बन" शब्द का प्रयोग करूंगा ताकि आप इस प्रश्न पर विचार कर सकें। यदि दुनिया नहीं चाहती तो चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये बर्बादी होगी ही। किन्तु हम चाहते हैं कि हम प्रयास करें कि इस तरह की स्थिति न आये। हमारा प्रस्ताव यही है।

प्रेजीडेंट आइजन हावर ने भी अपने उत्तर में जो उन्होंने कृपा कर के मुझे भेजा है इस मामले पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं :—

"इस समय इन परीक्षणों को रोकना, जब कि हमें पता नहीं है कि हम आणविक शस्त्रों के उत्पादन पर तथा युद्ध संबंधी अन्य कार्यवाहियों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं और इसी प्रकार अचानक हुए आक्रमण के विरुद्ध निश्चायात्मक कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं एक ऐसा बलिदान है जिसे हम बुद्धिमत्ता के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा करने से युद्ध का खतरा बढ़ेगा कम नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि इससे अधिक साहसपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता है। मेरा यह विश्वास है कि जो सरकार यह घोषणा करती है कि वह आणविक शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगी उसे यदि वह सच्चे दिल से चाहती है तो इनका उत्पादन बंद कर देने पर तैयार होना चाहिये।

मैं समझता हूं कि अधिक महत्व की बात एक ऐसे समझौते का होना है जिसके अन्तर्गत भविष्य में समस्त विस्फोटक सामग्री का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये ही हो।"

आप देखते हैं कि डर है अचानक हमले का। यही डर है कि कोई घटना आकस्मिक रुप से घट सकती है। मैं उस डर को समझता हूं और इसी कारण तरह तरह के निरीक्षण तथा निमंत्रण आदि के सुझाव दिये जाते हैं। हो सकता है ऐसे नियंत्रण से पूर्व अचानक हमला हो जाये मेरा अपना विचार यह है कि आणविक परीक्षणों के बन्द होने से भी यह भय तो दूर नहीं होगा। मैं इन दोनों बातों के इस सम्बन्ध को समझता नहीं। लेकिन इस बात से मैं प्रेजीडेंट आइजन हावर से सहमत हूं कि हमें अधिक व्यापक एवं साहस पूर्ण उपाय करना होगा और आणविक शस्त्रों का उत्पादन बंद करना होगा। मैं तो और भी आगे जाने को तैयार हूं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। इस लिये मैं कहता हूं कि हम जितना जितना कर सकें उतना तो करें।

इस समय मैं यही अपील करता हूं कि हमें एक कदम तो आगे बढ़ाना चाहिये और उसके बाद फिर दूसरे कदम को आगे बढ़ाने की बात की जाये। यदि हम इन सब चीजों के एक साथ होने की प्रतीक्षा करेंगें तो ऐसा बहुत कठिन होगा, चाहे लोग ऐसा चाहते हों—दुर्भाग्य की बात तो यहीं है। इस लिये कम से कम परीक्षण तो बंद ही होने चाहियें।

मेरा व्यक्तिगत विश्वास है तथा जिन लोगों ने इस समस्या का अध्ययन किया है वे भी जानते हैं कि दुनिया के लोग कहीं पर इस समय या भविष्य में युद्ध नहीं चाहते। जब स्थिति ऐसी है तो अचानक हमले का खतरा भी नहीं है। वैसे तो जैसा मैंने अभी कहा परीक्षण बंद करने से भी अचानक हमले का खतरा दूर नहीं होता। इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि अब समय आ चुका है जब इस मामले का संबंधित देशों द्वारा सीधे ही आपसी बात चीत से, एक दूसरे की आलोचना न करके जैसा वे करते रहे हैं हल करना चाहिये।

वास्तव में अब दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां समस्यायें सशस्त्र शक्ति से हल नहीं की जा सकती प्राय : यह कहा जाता है कि कि रोटी अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं किन्तु केवल रोटी से ही सारी मानव जाति की प्रगति नहीं होती है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि खाली फ़ौजी ताकत काफ़ी नहीं है;

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उल्टे यह एक बड़ा ज़बरदस्त खतरा बन गई है। मैं प्रेजीडेंट आइजन हावर के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि किसी एक पक्ष के लिये ही विजयी होने का अब प्रश्न नहीं रहा है। मुझे महात्मा बुद्ध के उन शब्दों का स्मरण हो जाता है जिस में उन्होंने कहा था कि सच्ची विजय तो वही है जिसमें किसी की हार न हो।

यदि हम इस तरीके से इस प्रश्न पर विचार करें तो एक नहीं सैंकड़ों हल इस बात के निकल सकते हैं। किन्तु यदि हम दूसरे पक्ष का अपमान या उस पर चोट करना चाहते हैं तो स्वभाविक रूप से दूसरे पक्ष की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है और परिणाम स्वरुप फायदा बिल्कुल नहीं होता। अब यदि आप इस प्रकार की प्रतियोगिता से बाहर हैं तो पूर्ण बर्बादी से बचने का उपाय यही है कि हम सुझाव और हल ढूंढ़ते रहें यदि शीघ्र नहीं तो शनै शनै अवश्य।

अब मैं अन्य एक दो बातों के बारे में कहूंगी जिनकी यहां चर्चा की गई है माननीय श्री चौधरी गोआ की स्थिति के बारे में बड़ी भावुकता से बोले। अन्य सदस्य भी गोआ के बारे में बोले। कई लोग मुझ से यह कहते हैं कि मैं लोगों को गोआ में कार्यवाही करने क्यों नहीं देता? दूसरे इसके सम्बन्ध में अन्य सुझाव देते हैं। श्री महन्ती ने कहा है कि मैं अल्जीरिया के लिये अधिक चिन्तित हूं गोआ के लिये नहीं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने न्याय पूर्ण बात नहीं कही कि मुझे गोआ की कठिनाइयों से अधिक चिन्ता नहीं है। मैंने गोआ के बारे में अधिक इस कारण नहीं कहा क्योंकि इस विजय पर अधिक कुछ कहने को था ही नहीं और पहली बातों को दोहराना उचित भी न था। गोआ का मामला बड़ा गम्भीर है, यह केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु मानवीय दृष्टिकोण से भी यह मामला बड़ा महत्व का है। गोआ की समस्या हमें सदैव आघात पहुंचाती है। जो ३०० या ४०० बन्दी वहां की जेलों में हैं और जिन की स्थिति माननीय सदस्य ने बताई है जिन्हों ने स्वयं वे यातनायें भुगती हैं उस से हमें सदैव दुख होता है। हमें कुछ दीखता ही नहीं कि हम क्या करें या इस समस्या का हल कैसे करें। मैं ख़ाली डींगें हांकना नहीं चाहता कि हम उन की ऐसे सहायता करेंगे और ऐसे समस्या को सुलझायेंगे।

आप ने कहा "आप लोगों को क्यों कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देते?" उस का उत्तर यही है कि हम उस पहलू में स्वयं आये बिना लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं नहीं समझता कि एक संगठित राज्य उस स्थिति में कैसे मौन रह सकता है जबकि उस के लोग विदेशियों की गोलियों से छलनी छलनी किये जा रहे हों। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता का इस प्रकार से वध किया जाये। या तो फिर हम अपनी सेना की सहायता देने को तैयार हों—जो एक अलग प्रश्न है—यदि हम वैसा करने को तैयार न हों तो हम अपने लोगों को भी ऐसी अनुमति नहीं दे सकते। जो लोग गोआ को स्वतंत्र कराने के लिये वहां गये हैं उन के साथ जो व्यवहार हुआ है वह बहुत बुरा हुआ है और हम नहीं समझते कि हम ने अपने नवयुवकों को उसी कार्य के लिये आगे बढ़ावा दें। भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता। एक समय आ सकता है जब हम कोई कार्यवाही करें —यह अलग बात है। इस समय मैं वर्तमान के बारे में ही बोल रहा हूं।

दुर्भाग्य से ये सब बा पारस्परिक रूप से सम्बद्ध हैं। हम गोआ के बारे में सैनिक या ऐसी ही कोई कार्यवाही नहीं कर सकते; जो हमारी नीति और सिद्धान्त हैं, जो आश्वासन, जो वायदे हम ने लोगों से कर रखे हैं उन का विचार न करते हुए ही हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। मेरा विश्वास कि गोआ का प्रश्न वहां के लोगों के लिये और हमारे लिये उचित रूप से हल हो जायेगा। यह भी गलत होगा यदि मैं कहूं कि तुरन्त ही कुछ कार्यवाही उस के सम्बन्ध में की जायेगी।

कई सदस्यों ने हमारे प्रचार के बारे में कहा। उस से पहले मैं उस बात के बारे में कहना चाहता हूं जो श्री डांगे ने अफरीका के लोगों के सम्बन्ध में कही हैं। मैं उन की बात सुन कर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि अफ्रीका आदि देशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में हमारी नीति स्पष्ट रही है। हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों में रुचि रखते हैं जो स्वाभाविक है और हमारी इच्छा है कि वे लोग पूर्ण आत्म सम्मान के साथ रहें। हम नहीं चाहते कि किसी भी देश में भी भारतियों के साथ दुर्व्यवहार हो या उन्हें दूसरों से न्यून दर्जे का स्थान प्राप्त हो।

हम पता है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। आप इस बात को स्मरण रखें कि वे भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं। हां, वे लोग भारतीय उद्भव के हैं। दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेकों देशों ने विरोध प्रकट किया है। किन्तु इतने पर भी उनके रवैये में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में हालात ज्यादा खराब हो हुए हैं।

माननीय सदस्य पूछ सकते हैं भला सरकार क्या करने जा रही है ? सच बात तो यह है कि इस समय तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हम अफ्रीका से जंग तो नहीं छेड़ सकते। हमें यह काम संयुक्त राष्ट्र संघ में ही करना है और वहां अपनी ताक़त बढ़ानी है। इस के अतिरिक्त और किया क्या जा सकता है।

हमारी सामान्य नीति यही है कि हमारे जो लोग पूर्वी अफ्रीका जाते हैं उन्हें चाहिये कि वे सब से पहले उन देशों के रहने वालों के हितों को सोचें। उन्हें कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहिये, सब से मित्रता कर के रहना चाहिये, उन से सहयोग करना चाहिये, उन की सहायता करनी चाहिये और साथ ही साथ अपना गौरव तथा सम्मान बनाये रखना चाहिये। यह नीति केवल ठीक ही नहीं है अपितु वास्तविक भी है। यदि वहां भारतीय इस नीति का अनुसरण नहीं करेंगे तो वह स्थानीय लोगों तथा यूरोपीय और अन्य देशों से आने वाले लोगों के बीच पिस जायेंगे। उन देशों में वास्तव में भारतीय ही यूरोपीय लोगों की तरह काम करते हैं अर्थात् वाणिज्य व्यापार इत्यादि करते हैं। इस कारण निरन्तर यूरोपीय लोगों से उन की टक्कर रहती है और यदि स्थानीय लोगों से भी उन्हों ने बिगाड़ कर लिया तो उसका बुरा असर ही होगा। इस कारण अवसरवादी दृष्टिकोण से भी केवल यही नीति ऐसी है जिस के अनुसार सब को आचरण करना चाहिये। लेकिन केवल अवसरवादी दृष्टिकोण से ही हम ने यह बात नहीं कही बल्कि दूरदर्शिता भी इसी बात में है और यही बात ठीक है कि भारतीय वहां पर इस प्रकार चलें जिस से यह न लगे कि वे वहां पर वहां की जनता का शोषण करने के लिये आये हैं। वास्तव में हम ने तो यही कहा है कि यदि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते तो वहां से लौट आइये और भारत के पवित्र नाम पर धब्बा न लगाइये।

कुछ सदस्यों ने हमारे प्रचार की आलोचना की है। मैं स्वयं भी उस से संतुष्ट नहीं हूं और उस में सुधार करने के लिये हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि यह आलोचना पूरी ठीक हो। प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हम भारत की बात कहें और बस लोग यह कहने लगें कि आप बहुत ठीक कह रहे हैं। किन्तु वास्तव में बात यह नहीं है। अधिकतर लोगों को यों ही किसी भी मामले में रुचि नहीं होती। लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे रहते हैं। जो लोग नीति निर्धारित करते हैं वे विदेशी कार्यालायों में काम करने वाले लोग हैं या समाचार पत्रों के लोग हैं और उन देशों में मुख्य साधन वही होते हैं।

अब बात यह है कि यद्यपि हमारी मुख्य वैदेशिक नीति को सारी दुनिया के लोग पसन्द करते हैं किन्तु आपगे देखेंगे कि इसे विदेशी कार्यालय वाले लोग पसन्द नहीं करते। उस का कारण यह है कि हम उन की हां में हां नहीं मिलाते। हम अपने तथा एशिया के दृष्टिकोण जोर से अभिव्यक्त करते हैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और इस बात से उन लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है जिन्हें केवल यूरोप के दृष्टिकोण से ही विचार करने की आदत पड़ी हुई है। वे समझते हैं कि यूरोप ही सब कार्यों का केन्द्र है।

इस तथ्य का कभी कभी जिक्र किया जाता है कि एशिया दुनिया में उठा है किन्तु यह महसूस नहीं किया जाता कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले से यूरोप समस्त गतिविधियों का केन्द्र रहा है। यूरोप ने एशिया के कितने ही भागों को अपना शिकार बनाया। जब भी उन में आपसी युद्ध हुए वह एशिया की लूट के बंटवारे पर ही हुए। अतः एशिया और अफ्रीका को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था और इन्हें यूरोप के अधीन समझा जाता था। बाद में इस शताब्दी में अमरीका का भी आगमन हुआ। और चूंकि अमरीका एक बहुत बड़ा देश है अतः सभी मामलों में उस की बात का महत्व बढ़ गया।

जब मैं यूरोप शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा मतलब रूस तथा उधर के सभी देशों को भी सम्मिलित कर के बने यूरोप से होता है। अतः ये देश यह समझते थे कि वे एशिया और अफ्रीका के रक्षक, और उन के भाग्य निर्माता हैं। मैं यह नहीं कहता कि इन देशों ने अब ऐसा सोचना छोड़ नहीं दिया है। वे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पर अभी भी उनके विचारों में पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ है। जब एशिया के लोग कोई बात जोरदार शब्दों में कहते हैं तो ये पश्चिम के देश ऐसा समझते हैं कि हम लोग कोई परकीय तत्व हैं। वे समझते हैं कि हम बुरे लोग हैं, हमें जबान बन्द रख कर सब कुछ सहना चाहिये और उस तरह चुप रहना चाहिये जैसे नौकर अपने बड़े अधिकारियों के सामने चुप रहता है। यही मूल बात है। कुछ परिस्थितियों के कारण भारत ने एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा इस मामले में अधिक प्रत्यक्ष सहायता की है।

उसके बाद राष्ट्रसंघ में एशियाई-अफ्रीकी दल बना। यह एक अनौपचारिक दल है। यूरोप, अमरीका तथा अन्य देशों ने इस का विरोध भी किया। उन्हें फिर भय हुआ कि एक परकीय दल फिर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि इस दल के लोग जो कहते हैं वह बात हमेशा सही हो यह बात नहीं है। यह जरूर है कि एशिया और अफ्रीका अब स्वतंत्र रूप से विभिन्न मामलों पर सोचते हैं और किसी के कहे में नहीं चलते पर यूरोप तथा अमरीका की नाराजगी इस बात पर है कि भारत जैसा देश, जिस ने इस दल में सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है, उन देशों के सामने ऐसा व्यवहार करे।

आप लोग नीति की बातें कहते हैं। आप का कोई भी प्रचार तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि वह वैसा ही न हो जैसाकि उन लोगों का प्रचार है। यदि आप उन के प्रचार की तरह प्रचार करते हैं तो फिर आप को प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अतः यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिये।

श्री एन्थनी ने सुरक्षा परिषद में श्री कृष्ण मेनन के भाषण का जिक्र किया और कहा कि वह बहुत लम्बा था। ठीक है पर मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह भाषणों को अच्छी तरह पढ़ें। सुरक्षा परिषद् में हमें अपने मामले को बहुत अच्छी तरह ब्योरेवार ढंग से पेश करना है ताकि उस में कोई बात छूट न जाये और सुरक्षा परिषद् के सदस्य या अन्य विदेशी लोग जो इन भाषणों को पढ़ें वे अच्छी तरह जान सकें कि हमारी बात कहां तक ठीक है और उन को कोई भी सन्देह न रह जाये।

ये देश हम से नाराज इसीलिये हैं कि हम ने अपने मामले में जो तर्क रखे थे उन का उन के पास कोई जवाब ही नहीं था। हमारी बात को लोगों ने यह कह कर टाल दिया था कि हम ६ वर्ष पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं। भारत की किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि उन के पास हमारे तर्कों का कोई जवाब ही नहीं था। वे चाहते थे कि भारत का प्रतिनिधि उन के

सामने कहे कि हमारी मदद करो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और इस पर वे देश कहते, ठीक है, तुम्हारी मदद की जायेगी। पर हम ने शुरू से ही उचित ढंग अपनाया है हम ने संसार के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है

पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की नई सरकार के प्रति अपनी शुभ कामनायें प्रकट करता हूं। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि पाकिस्तान में कुछ अस्थिरता रही तो उस से हमें असुविधा और हानि अवश्य होगी। यदि कोई यह सोचता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती रहे तो उस का सोचना बिलकुल गलत है। हम चाहते हैं कि वहां एक स्थायी सरकार हो और हम उन के साथ हमेशा सहयोग करने को तैयार हैं।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैं आप को एक बात और बताना चाहता हूं। लोग काश्मीर तथा नहर के पानी के झगड़े की बातें करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पर यह सोचना गलत है कि भारत और पाकिस्तान के सभी झगड़ों का कारण काश्मीर का मामला या नहर के पानी का झगड़ा है। काश्मीर तथा नहर के पानी का झगड़ा तो भारत और पाकिस्तान के कटु सम्बन्धों के परिणाम हैं, कारण नहीं हैं। यदि हमारे सम्बन्ध अच्छे होते तो ये झगड़े पैदा ही न होते।

वैसे तो विभाजन के पहले से ही पर विशेषतया विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुर्भावना, डर तथा संशय आदि पैदा हो गये हैं। इसी कारण हम इन समस्याओं को आसानी से सुलझा नहीं पा रहे हैं। यदि काश्मीर की समस्या न होती और नहर के पानी का भी झगड़ा न होता तो भी भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा रहता क्योंकि दोनों के बीच दुर्भावना, संशय तथा भय आदि पैदा हो गये हैं। पर ध्यान रखिये कि ये भावनायें हमेशा इसी तरह नहीं रहेंगी, इन में परिवर्तन होगा।

काश्मीर की समस्या को लीजिये। यह केवल छोटे से राज्य क्षेत्र की बात नहीं है, माना कि काश्मीर हमारे लिये बहुत मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण है। यह केवल ४० लाख व्यक्तियों की ही समस्या नहीं है। इन सब बातों से अधिक यह समस्या हमारी सरकार की रूपरेखा से और हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक भावना से सम्बद्ध है जिसे हम ने स्थापित करने की कोशिश की है। काश्मीर की समस्या हमारे इन उद्देश्यों के लिये चुनौती है। पाकिस्तान जो कुछ भी है, मैं उस का सम्मान करता हूं फिर भी वह न तो धर्मनिरपेक्ष है और न लोकतंत्रात्मक है। अतः मूल कठिनाई हमारी विचार-धारा की भिन्नता है जिस के कारण अन्य कठिनाइयां पैदा होती हैं। अतः यदि इस मूल कारण को ठीक किये बिना यदि हम सुरक्षा परिषद् के किसी प्रस्ताव द्वारा इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो यह इस रोग की दवा नहीं होगी। यह रोग किसी और रूप में उमड़ पड़ेगा। पूर्वी पाकिस्तान की घटनायें इस का प्रमाण हैं, वहां से जो लोग भारी संख्या में आ रहे हैं वह क्या काश्मीर समस्या की ही प्रतिक्रिया है? क्या यह नहर के पानी के झगड़े की प्रतिक्रिया है? नहीं, यह सब भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न दुर्भावना, संशय तथा भय की मूल कठिनाई का परिणाम है।

कुछ देशों ने पाकिस्तान को गलत बातों के लिये उकसाया है और वह इस तरह के काम कर रहा है; इससे मूल कठिनाई दूर नहीं होगी। पाकिस्तान ने अपने यहां की अन्य बातों को छिपाने के लिये और ढकने के लिये काश्मीर के मामले को एक खास मसला बना दिया है। यही बात सब कठिनाई की जड़ है पर भारत और पाकिस्तान के सामने इस रास्ते के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वे कोई ऐसा हल निकालें कि दोनों देश सहयोग के साथ रहें क्योंकि हम भौगोलिक कारणों से बाध्य हैं। अगर इस बात को न भी माना जाये कि भारत के करोड़ों लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के करोड़ों परिवार भारत में हैं और हम दोनों के इतिहास, परम्पराओं और संस्कृति में बहुत एक सी बातें हैं तो भी हम अपनी भौगोलिक स्थिति को नहीं भुला सकते हैं और इसी कारण दोनों देशों में भिन्नता का होना आवश्यक है। अतः इन सभी भिन्नताओं के होते हुये भी हमें मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिये। जहां तक भारत और पाकिस्तान की जनता का सम्बन्ध है हमें ध्यान रखना चाहिये कि हममें कोई संघर्ष न है और न ही होना चाहिये। हम सभी लोग एक ही थे और हम सबने मिल कर स्वतंत्रता के लिये युद्ध किया था, हालांकि पाकिस्तानी नेताओं ने, कम से कम कुछ ने तो जरूर उस का विरोध ही किया।

अतः हमें पाकिस्तान के मामले में तथा शेष संसार के अन्य देशों के साथ भी इस विस्तृत दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर व्यवहार करना चाहिये : आज संसार भर में जो अशान्ति फैली हुई है उसे हटाने के लिये हमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। मैंने अपनी अपील में प्रेसीडेण्ड आइजनहावर और श्री बुलगानिन से भी प्रार्थना की है कि हमें इन आणविक शस्त्रास्त्रों पर कुछ रोक लगानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम सब बरबाद हो जायेंगे। हमें महात्मा बुद्ध की बात याद रखनी है कि हमें इस प्रकार की विजय चाहिये जिसमें किसी की पराजय न हो।

संशोधन के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं श्री राधा रमण के संशोधन को स्वीकार करता हूं, अन्य संशोधनों को नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री जगन्नाथ राव से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहते हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जी नहीं।

श्री जगन्नाथ राव का स्थानापन्न प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ५ को सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्,

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की ततसम्बंधी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव अवरुद्ध घोषित किये गये।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८६७—९१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९०	ज्वालामुखी में पैट्रोल के लिये छिद्र करना	२८६७—६९
११९१	दुर्गापुर में इंजीनियरिंग कालेज	२८६९—७१
११९२	राष्ट्रीय गवेषणा प्रयोगशालाओं में संग्रहालय	२८७१-७२
११९४	हिन्दू धार्मिक संस्थायें	२८७३-७४
११९५	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बैन्च, पटना	२८७४-७५
११९६	फोर्ड प्रतिष्ठान योजना	२८७५-७६
११९७	मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन	२८७६—७८
११९८	रूमानिया के पैट्रोल का निर्यात	२८७८—८१
११९९	नौवहन के लिये विश्व बैंक का ऋण	२८८१-८२
१२००	स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता	२८८२—८४
१२०१	पत्तनों का बन्द किया जाना	२८८४—८६
१२०२	जनता बीमा पालिसी	२८८६-८७
१२०४	रामनाथपुरम् में दंगे	२८८७—९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२८९१—२९२९
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९३	रूरकेला में उर्वरक कारखाना	२८९१
१२०३	हिन्दी शब्दों का संकलन	२८९१-९२
१२०५	केरल में बाढ़	२८९२
१२०६	योगाभ्यास	२८९२-९३
१२०७	भिलाई परियोजना के लिये मशीनें	२८९३
१२०८	अपर-हाऊस में भूतपूर्व सैनिकों का नामनिर्देशन	२८९३-९४
१२०९	राजस्थान के ऐतिहासिक किले	२८९४
१२१०	उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा	२८९४
१२११	युद्धास्त्र कारखानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति	२८९४-९५
१२१२	आंध्र में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	२८९५

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या		पृष्ठ
१२१३	सेवानिवृत्ति सुविधायें	२८९५
१२१४	रूरकेला का इस्पात कारखाना	२८९५-९६
१२१५	अधिकृत लेखापाल	२८९६
१२१६	आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता	२८९६-९७
१२१७	दिल्ली में अनिवार्य शिक्षा	२८९७
१२१८	इस्पात के कारखाने	२८९७
१२१९	उच्चतर माध्यमिक और बहु प्रयोजनीय स्कूलों के लिये पाठ्यक्रम	२८९८
१२२०	पंजाब में भाषा विवाद	२८९८
१२२१	बिलासपुर के निष्क्रांत व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी समिति	२८९९
१२२२	पूर्वी तिब्बत में प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां	२८९९
१२२३	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२८९९-२९००
१२२४	बुद्ध का स्मारक	२९००
१२२५	पुरातत्वीय सर्वेक्षण	२९००
१२२६	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् मुख्यालय	२९००-०१
१२२७	छावनियों का विकास	२९०१
९०८	विदेशी मुद्रा	२९०१

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
१७३४	छात्रवृत्तियां	२९०२
१७३५	अखिल भारतीय स्मारक	२९०२
१७३६	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण स्कूल	२९०२
१७३७	विदेशी यात्री	२९०३
१७३८	राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा कालेज, रामपुर	२९०३-०४
१७३९	अखिल भारतीय सेवा नियम	२९०४
१७४०	दिल्ली में अपराध	२९०४
१७४१	उर्दू	२९०४-०५
१७४२	नवीन करेंसी नोट प्रेस	२९०५
१७४३	जम्मू और काश्मीर को सहायता	२९०५-०६
१७४४	आन्ध्र प्रदेश में स्मारक	२९०६
१७४५	दिल्ली प्रशासन के नियमों आदि का हिन्दी में अनुवाद	२९०६
१७४६	चोरी छिपे लाये ले जाये गये सोने का पकड़ा जाना	२९०६-०७
१७४७	कलकत्ता में जीस प्लेनेटेरियम (ग्रह मंडल की प्रतिकृति)	२९०७
१७४८	बम्बई को नालीदार लोहे की चादरों का सम्भरण	२९०७
१७४९	प्रारंभिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिष	२९०७

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		पृष्ठ
१७५०	भ्रष्टाचार के मामले	२९०८
१७५१	कोयले का वितरण	२९०८-०९
१७५२	इस्पात का वितरण	२९०९
१७५३	उत्पादन शुल्क	२९०९
१७५४	संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक विकास सम्बन्धी विशिष्ट निधि	२९०९
१७५५	जीवन बीमा सम्बन्धी नया कारबार	२९१०
१७५६	यूनेस्को	२९१०
१७५७	भारतीय मुद्रा का तस्कर व्यापार	२९११
१७५८	ब्रिटेन से प्रतिरक्षा सामग्री का क्रय	२९११
१७५९	पोस्त की काश्त	२९११-१२
१७६०	केन्द्रीय अनुदान	२९१२
१७६१	मनीपुर में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक	२९१२
१७६२	मनीपुर में ग़ैर-सरकारी हाई स्कूल	२९१२-१३
१७६३	मनीपुर में बुनियादी स्कूल	२९१३
१७६४	निकोबार द्वीपों में परिवहन सुविधायें	२९१३-१४
१७६५	अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों में शिक्षा	२९१४-१५
१७६६	कानपुर में विश्वविद्यालय	२९१५
१७६७	गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस वर्कशाप	२९१५
१७६८	मंत्रियों के निजी कर्मचारी	२९१६
१७६९	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२९१६
१७७०	प्रविधिक कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	२९१६-१७
१७७१	भाषायी अल्पसंख्यक	२९१७
१७७२	बम्बई के लिये विकास बोर्ड	२९१७
१७७३	दिल्ली के माध्यमिक स्कूल	२९१८
१७७४	त्रिपुरा कर्मचारी	२९१८
१७७५	त्रिपुरा में सड़कें	२९१९
१७७६	सशस्त्र बलों के आपात्कालीन कर्तव्य	२९१९
१७७७	हिन्दी पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां	२९१९-२०
१७७८	लघु बचत योजना	२९२०
१७७९	बुनियादी शिक्षा	२९२०-२१
१७८०	भूतपूर्व सैनिकों का नौकरी में लगाया जाना	२९२१
१७८१	स्टेनलेस स्टील	२९२१
१७८२	इस्पात संयंत्रों के लिये कारीगर	२९२२
१७८४	उसमानिया विश्वविद्यालय	२९२२
१७८५	कोलम्बो योजना	२९२२-२३
१७८६	जेल सुधार विशेषज्ञ समिति	२९२३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१७८७	लौह अयस्क परियोजना	२९२३-२४
१७८८	हिमाचल प्रदेश में कोयला	२९२४
१७८९	चांदमारी क्षेत्र	२९२४
१७९०	आयुध निर्माणी समाचार	२९२५
१७९१	जीवन बिमा निगम कर्मचारी, सेंट्रल जोन, कानपुर	२९२५
१७९२	उच्चन्यायालय	२९२५
१७९३	बोकारो कोयला क्षेत्र	२९२५-२६
१७९४	खनन पट्टा नियंत्रक	२९२६
१७९५	हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा	२९२७
१७९७	असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट्स	२९२७
१७९८	आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप	२९२७-२८
१७९९	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२९२८
१८००	आचार्य जगदीश चन्द्र बोस जन्म शताब्दी	२९२८
१८०१	इन्फ्लूएन्जा महामारी	२९२९
१८०२	हिन्दी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनी	२९२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२९२९-३०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :--

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १८ फरवरी, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ३५४

(दो) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५, में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ नवम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २४९६

(तीन) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १७ नवम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २६९२

(चार) दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २९४६

(पांच) कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १५ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०३२

(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियम, १९५६

विषय पृष्ठ

में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८८२ की एक प्रति

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . .

सोलहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य २९३१

वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सहायता के बारे में वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और उसकी एक प्रति सभा पटल पर भी रखी

सदस्य की दोष सिद्धि २९३१

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक ९५ दिसम्बर, १९५७ को इस आशय का एक बंतार का संदेश प्राप्त हुआ है कि :

"श्री जगदीश अवस्थी को, भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है और उन्हें १०० रुपये का अर्थ दण्ड अथवा उसके न देने पर एक मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है।"

विधेयक पारित २९३२

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार करने का प्रस्ताव किया। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . २९३२–७२

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये। दस स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। श्री राधा रमण द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव, अर्थात् "कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है," स्वीकृत हुआ

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९५७ के लिए कार्यावलि . . . .

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक पर विचार; रामनाथपुरम् के दंगों के बारे में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग के प्रतिवेदन पर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में आधे घंटे की चर्चा